

Hkkj r ds fu; æd&egkys[ kki j h{kd  
dk i fronu

j kT; I j dkj ds foRr  
31 ekpl 2015 dks I eklr gq o"kl ds fy,

mÙkj i ns' k I j dkj

# अनुक्रमणिका

	fooj . k	nHkz	
		çLrj	i "B   a[ ; k
प्राक्कथन		-	v
कार्यकारी सार		-	vii
	<b>1</b> v/; k; jkt; l jdkj ds foRr		
उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य		-	1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद		-	1
प्रस्तावना		1.1	1
राज्य के संसाधन		1.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ		1.3	10
पूँजीगत प्राप्तियाँ		1.4	19
लोक लेखे (निवल)		1.5	21
संसाधनों के अनुप्रयोग		1.6	21
व्ययों की गुणवत्ता		1.7	26
शासकीय व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण		1.8	30
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें		1.9	34
ऋण प्रबन्धन		1.10	39
राजकोषीय असंतुलन		1.11	41
निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ		1.12	45
	<b>2</b> foRrh; çclu/ku , oœ ctVh; fu; #.k		
प्रस्तावना		2.1	47
विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण		2.2	47
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन		2.3	48
चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम		2.4	58
कोषागार निरीक्षण प्रतिवेदन का परिणाम		2.5	59
निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ		2.6	60

v/; k; 3 fORrh; fj i kfVlk		
उपभोग प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत न किया जाना	3.1	61
विस्तृत आकस्मिक बिल	3.2	61
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	3.3	62
लम्बित प्रकरणों की रिपोर्टिंग	3.4	63
लघु लेखा शीर्ष—‘800’ का परिचालन	3.5	63
धनराशियों को केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तांतरण न किया जाना	3.6	64
नकद अवशेष में भिन्नता	3.7	65
वैयक्तिक जमा खाते में निधियों का अन्तरण	3.8	65
दिये गए अनुदान/ऋण के विवरण का अप्रस्तुतीकरण	3.9	66
निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	3.10	66
i fj f' kf"V; kj		
i fj f' kf"V 1.1 राज्य का परिवृश्य		69
i fj f' kf"V 1.2 शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप		71
i fj f' kf"V 1.3 वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार		73
i fj f' kf"V 1.4 वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना		77
i fj f' kf"V 1.5 राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध ऑँकड़े		79
i fj f' kf"V 1.6 (अ) वर्ष 2010–15 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व (ब) वर्ष 2010–15 की अवधि में करेतर राजस्व		82
i fj f' kf"V 1.7 31 मार्च 2015 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार		83
i fj f' kf"V 1.8 आरक्षित निधियों का विवरण		85
i fj f' kf"V 2.1 अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी		88
i fj f' kf"V 2.2 अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था		92
i fj f' kf"V 2.3 प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए		93
i fj f' kf"V 2.4 अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ दो करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए		95

i f'j f' k"V 2.5	निधियों का अधिक / अनावश्यक / अपर्याप्त पुनर्विनियोग	96
i f'j f' k"V 2.6	वर्ष 2014–15 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण	101
i f'j f' k"V 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)	116
i f'j f' k"V 2.8	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	117
i f'j f' k"V 2.9	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण	118
i f'j f' k"V 2.10	व्यय का अतिरेक	120
i f'j f' k"V 2.11	समीक्षित अनुदान का सार	124
i f'j f' k"V 2.12	पेंशन की असंवितरित धनराशि जो शासकीय लेखे में जमा नहीं की गयी	125
i f'j f' k"V 2.13	नई पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रान का आवंटन न किया जाना	126
i f'j f' k"V 3.1	विभागीय वाणिज्यिक एवं अद्व्य वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशों का विवरण	127
i f'j f' k"V 3.2	दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का विवरण (जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2015 तक लम्बित थी)	128
i f'j f' k"V 3.3	चोरी, दुर्विनियोग, शासकीय सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	129
i f'j f' k"V 3.4	वर्ष 2014–15 में विभागवार निस्तारित/अपलेखित किए गए प्रकरणों का विस्तृत विवरण	130
i f'j f' k"V 3.5	लघु शीर्ष ‘800—अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण	131
i f'j f' k"V 3.6	लघु शीर्ष ‘800—अन्य व्यय’ के अंतर्गत पुस्तांकित मुख्य शीर्षवार व्यय का विवरण	132
i f'j f' k"V 4	'kCnkoyh %vfrfjDr vkjdm%	
	गणना का आधार	133
	पदों की व्याख्या	134
	प्रथमाक्षरी	136

## प्रावक्थन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से भी, जहाँ पर आवश्यक था, सूचनाएँ प्राप्त की गयी हैं।
3. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आधारित अध्याय 3 वर्तमान वर्ष में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति एवं उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।
4. विभिन्न विभागों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों एवं परिषदों की लेखापरीक्षा तथा राजस्व प्राप्तियों पर अनुमानों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए गये हैं।

## dk; dkjh | kj

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश सरकार के 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षा किये गये लेखों के आधार पर, राज्य सरकार के वार्षिक लेखे या लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा है। यह विश्लेषणात्मक समीक्षा राज्य के वित्तीय निष्पादन के अनुमान, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2004 एवं इसके द्वितीय संशोधन अधिनियम 2011, बजट अभिलेखों, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं से प्राप्त विभिन्न वित्तीय आंकड़ों पर आधारित है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में है।

v/; k; 1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष पर उत्तर प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह अद्याय बजट अनुमानों, वचनबद्ध व्ययों आदि के सापेक्ष राज्य के समग्र वित्त की प्रवृत्ति, वास्तविक व्ययों आदि की पूरी जानकारी प्रदान करता है।

v/; k; 2 विनियोग लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है और इसमें अनुदानवार विनियोगों, बजट अनुमानों की तैयारियाँ तथा सेवादायी विभागों द्वारा किस प्रकार से आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया है, का विवरण है।

v/; k; 3 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा—जोखा है।

ys[kki j h{kk fu"d"kl

v/; k; 1% jkt; l jdkj ds forr

jktLo i kfir; kj

- jktLo i kfir; kj में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः भारत सरकार से अनुदान (₹ 10,286 करोड़; 46 प्रतिशत), कर राजस्व (₹ 7,590 करोड़; 11 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 3,846 करोड़; 7 प्रतिशत) का योगदान था। ₹ 1,93,422 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,26,419 करोड़ के बजट अनुमान से (₹ 32,997 करोड़) कम थी।

vi Lrj 1-1-1½

jktLo 0;

- jktLo 0; में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह (₹ 1,71,027 करोड़) बजट अनुमान (₹ 1,97,425 करोड़) से कम (₹ 26,398 करोड़) था। jktLo 0; ds vUrxl आयोजनेतर व्यय में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 11,275 करोड़ (नौ प्रतिशत) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 1,605 करोड़ (पाँच प्रतिशत) की वृद्धि हुई। आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ 1,37,765 करोड़), तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय अनुमान (₹ 88,219 करोड़) से बहुत अधिक (56 प्रतिशत) था।

vi Lrj 1-1-1½

jktalkh; fLFkfr

- शासन के पास राजस्व आधिक्य था जिसका प्रमुख कारण राजस्व प्राप्तियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि है जबकि राजस्व व्यय में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक राजकोषीय घाटे में तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम तीन प्रतिशत के लक्ष्य से 0.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

॥i Lrj 1-1-2॥

i thxr 0; ;

- वर्ष 2013–14 के सापेक्ष पूँजीगत व्यय में ₹ 20,434 करोड़ (62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सङ्कें एवं सेतु, ऊर्जा परियोजनाएं, वृहद सिंचाई एवं ग्रामीण विकास में हुई। यह बजट अनुमान से कम थी।

॥i Lrj 1-1-1॥

\_.k | vguh; rk

- वर्ष 2014–15 के अंत में ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (31.53 प्रतिशत) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 के निर्धारित लक्ष्य 41.90 प्रतिशत की तुलना में कम था।

॥i Lrj 1-1-2॥

vkdfLed ns rk, a

- प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि वर्ष 2012–13 के ₹ 50,459 करोड़ के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर (55 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 78,023 करोड़ हो गयी। प्रत्याभूति की अवशेष धनराशियाँ (ब्याज सहित) भी वर्ष 2012–13 के ₹ 43,337 करोड़ से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर (63 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 70,740 करोड़ हो गयी।

॥i Lrj 1-9-4॥

jktalkh; vI ryu

- राजकोषीय घाटा वर्ष 2010–11 के ₹ 17,248 करोड़ से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ हो गया, परन्तु पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते हुए वर्ष 2013–14 के सापेक्ष 2014–15 में ₹ 32,513 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः पूँजीगत व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि (62 प्रतिशत) के कारण हुई। वित्तीय वर्ष 2014–15 की समाप्ति पर राज्य का प्राथमिक घाटा ₹ 13,648 करोड़ था। यह वर्ष 2013–14 की तुलना में राजकोषीय घाटे में ₹ 8,833 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

॥i Lrj 1-11-1॥

jKT; dh foRrh; fLFkfr

- राजकोषीय घाटा वर्ष 2014–15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.33 प्रतिशत पर स्थिर रही जो विगत पांच वर्षों में पहली बार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के तीन प्रतिशत लक्ष्य से 0.33 प्रतिशत अधिक रही। राजकोषीय घाटे के वार्षिक वृद्धि दर में भी 2010–11 के मात्र आठ प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014–15 में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो राजकोषीय असंतुलन में वृद्धि को प्रदर्शित करती है।

॥i Lrj 1-11-4॥

v/; k; 2% foRrh; çcl/ku , oactvh; fu; k=.k

vufpr ctV ds dkj .k vR; f/kd cpr

- ₹ 52,043.50 करोड़ की कुल बचत ₹ 55,351.80 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 3,308.30 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

॥i Lrj 2-2॥

vuoj r cpr

- विगत पांच वर्षों के दौरान अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) हुई। राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के ₹ 6,459.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 12,314.12 करोड़ हो गयी।

॥i Lrj 2-3-2॥

i ko/kkuks I s vf/kd gq s 0; ; ks ds fofu; ferhdj .k dh vkoश; drk

- भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत वर्ष 2005–14 की अवधि के व्याधिक्य ₹ 20,352.17 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था।

॥i Lrj 2-3-4॥

vuko' ; d@vi ; klr vuqjjd i ko/kkuks , oafuf/k; ks dk vR; f/kd] vuko' ; d i ꝓfofū; ks

- धनराशियों के अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान एवं अत्यधिक, अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण पाये गये। अनुमानित बचतों को समर्पित न किये जाने के प्रकरण भी प्रकाश में आये। वर्ष के अन्त में व्यय का अतिरेक भी वित्तीय प्रबंधन की एक गम्भीर समस्या है।

॥i Lrj 2-3-6] 2-3-7] 2-3-10 , oaf 2-3-12॥

v/; k; 3% वित्तीय रिपोर्टिंग

yfcr mi Hkkx i tek.k&i = , oaf foLr;r vkdirLed fcy

- 31 मार्च 2015 को अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अत्यधिक धनराशि (₹ 1,27,743.38 करोड़) के उपभोग प्रमाण–पत्र अप्राप्त थे एवं ₹ 236.62 करोड़ के 5,985 सार आकस्मिक बिलों के विस्तृत आकस्मिक बिल प्रतीक्षित थे।

॥i Lrj 3-1 , oaf 3-2॥

pkjh] gkfū] nfofū; ks , oaf xcu ds i adj .k

- वर्ष 2014–15 के अंत तक चोरी, हानि, दुर्विनियोग एवं गबन के कुल 139 प्रकरण थे, जिनमें ₹ 884.60 लाख की धनराशि सन्निहित थी।

॥i Lrj 3-4॥

---

---

v/; k; **1**  
jkT; l j dkj ds foRr

---

---

v/; k; & 1  
j kT; I j dkj ds forr

mRrj i ns' k jkT; dk i fjn';

उत्तर प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है एवं 2.41 लाख वर्ग कि0मी0 के भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ यह भारत का पांचवां बड़ा राज्य एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2011 में 19.98 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015 में 21.33 करोड़ हो गई (अनुमानित)। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का प्रतिशत वर्ष 2011–12 में अखिल भारतीय औसत 30 प्रतिशत के सापेक्ष लगभग 39.80 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर ₹ 9,76,297 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 56.27 प्रतिशत (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 67.68 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2014–15 के अंत में, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 45,777 थी।

उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य औंकड़े, उदाहरणार्थ जनसंख्या घनत्व, शिशु मृत्यु दर एवं जीवन प्रत्याशा आदि /f/f'k"V 1-1 में दिये गये हैं।

I dy jkT; ?kj sy mRi kn

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दिये गये समयावधि में राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से स्वीकृत अंतिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को सूचित करता है। वर्तमान मूल्य (आधार वर्ष 2004–05) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। kj.kh 1-1 में दी गयी हैं।

I kj.kh 1-1% orkku e; /vk/kkj o"kl 2004&05% ij n'k ds I dy ?kj sy mRi kn  
, oajkT; dk I dy jkT; ?kj sy mRi kn

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807	1,15,09,810
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	18.66	15.77	11.88	11.54	9.90
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	5,88,467	6,87,836	7,69,729	8,90,265	9,76,297
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	19.78	16.89	11.91	15.66	9.66

(चोत: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निदेशक, आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशालय)

I kj.kh से प्रदर्शित है कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2010–15 की अवधि में निरन्तर वृद्धि हुई है। यद्यपि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर दोलायमान प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है।

## 1.1 i Lrkouk

राज्य सरकार ने 20 जून 2014 को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए बजट प्रस्तुत किया। बजट भाषण के अनुसार, राज्य सरकार ने नई योजनाएँ शुरू कीं जिसके लिए

₹ 20,957 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विस्तार हेतु ₹ 41,538 करोड़; अवस्थापना सुविधाओं के लिए ₹ 49,108 करोड़; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, विकलांगों, अल्पसंख्यकों एवं सामान्य श्रेणी के गरीबों के कल्याण हेतु ₹ 25,522 करोड़; कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों हेतु ₹ 7,625 करोड़; चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार एवं विस्तार हेतु ₹ 14,377 करोड़ तथा त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों हेतु ₹ 1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया।

यह अध्याय राज्य सरकार के वर्ष 2014–15 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पांच वर्षों की अवधि के समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों का वर्ष 2013–14 की तुलना में समीक्षात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण राज्य सरकार के वित्त लेखे एवं उसमें निहित सूचनाओं के आधार पर किया गया है।

राज्य सरकार के लेखे की संरचना /f/f'k"V 1-2 ds Hkkx&v और वित्त लेखे का प्रारूप Hkkx&c में दर्शाया गया है।

### 1.1.1 o"kl 2014&15 ei jkt dks"kh; yu&nukl dk | kj kd k

| kj . kh 1-2 में राज्य सरकार के वर्ष 2013–14 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश प्रदर्शित है। /f/f'k"V 1-3 में वर्ष 2014–15 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ–साथ समग्र राजकोषीय स्थिति प्रदर्शित है।

| kj . kh 1-2% o"kl 2014&15 ei jkt dks"kh; yu&nukl dk | kj kd k

(₹ करोड़ में)

ckflr; kj			forj . k				
	2013-14	2014-15		2013-14	2014-15		
<b>Hkkx&amp;v: jktLo</b>							
jktLo ikflr; kj	<b>1,68,213.75</b>	<b>1,93,421.60</b>	jktLo 0; ;	<b>1,58,146.87</b>	<b>1,37,764.87</b>	<b>33,262.45</b>	<b>1,71,027.32</b>
कर राजस्व	66,582.08	74,172.42	सामान्य सेवायें	<b>61,983.49</b>	64,266.13	39.60	<b>64,305.73</b>
करेतर राजस्व	16,449.80	19,934.80	सामाजिक सेवायें	<b>60,756.28</b>	34,032.41	26,873.37	<b>60,905.78</b>
संघीय करों/ शुल्कों का अंश	62,776.70	66,622.91	आर्थिक सेवायें	<b>25,710.72</b>	28,535.76	6,349.48	<b>34,885.24</b>
भारत सरकार से अनुदान	22,405.17	32,691.47	सहायता अनुदान एवं अंशदान	<b>9,696.38</b>	10,930.57	शून्य	<b>10,930.57</b>
<b>Hkkx&amp;c: i thxr , or vU;</b>							
fofo/k i thxr ikflr; kj	-	-	i thxr 0; ;	<b>32,862.65</b>	<b>8,880.85</b>	<b>44,416.43</b>	<b>53,297.28</b>
_.k , or vfxekd dh ol lyh	<b>589.57</b>	<b>262.48</b>	I forfjr __.k , or vfxe	<b>1,473.34</b>	<b>1,071.87</b>	<b>800.77</b>	<b>1,872.64</b>
ykd __.k ikflr; kj	<b>14,900.45</b>	<b>35,520.28</b>	ykd __.k vnk; xh	<b>8,166.74</b>	<b>9,411.21</b>	-	<b>9,411.21</b>
vkdfLedrk fuf/k	<b>262.32</b>	<b>0.55</b>	vkdfLedrk fuf/k	<b>86.55</b>	<b>203.15</b>	-	<b>203.15</b>
ykd ys[k ikflr; kj	<b>2,26,077.56</b>	<b>2,30,199.19</b>	ykd ys[k forj . k	<b>2,20,459.29</b>	<b>2,28,014.45</b>	-	<b>2,28,014.45</b>
ij k fHkd jkdm+ vo' ksk	<b>15,172.42</b>	<b>4,020.63</b>	vfre j kdm+ vo' ksk	<b>4,020.63</b>	(-) 401.32	-	(-) 401.32
; kx	<b>4,25,216.07</b>	<b>4,63,424.73</b>	; kx	<b>4,25,216.07</b>	<b>3,84,945.08</b>	<b>78,479.65</b>	<b>4,63,424.73</b>

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2013–14 एवं 2014–15)

वर्ष 2013–14 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के राजकोषीय लेन देनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए:

- *jktLo i kfl; k* में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 25,208 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः भारत सरकार से अनुदान (₹ 10,286 करोड़; 46 प्रतिशत), कर राजस्व (₹ 7,590 करोड़; 11 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 3,846 करोड़; छ: प्रतिशत) का योगदान था। ₹ 1,93,422 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,26,419 करोड़ के बजट अनुमान<sup>1</sup> से कम (₹ 32,997 करोड़) थीं।
- *dj jktLo* में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 7,590 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि करों (₹ 3,289 करोड़; आठ प्रतिशत), राज्य आबकारी (₹ 1,839 करोड़; 16 प्रतिशत) एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹ 2,282 करोड़; 24 प्रतिशत) का विगत वर्ष के सापेक्ष हुई वृद्धियों में योगदान था। ₹ 74,172 करोड़ स्वयं के कर राजस्व बजट अनुमान के ₹ 81,000 करोड़ के लक्ष्य से कम था। यद्यपि, यह तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय आकलन (₹ 59,619 करोड़) से अधिक था।
- *dj;j jktLo* में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 3,485 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा यह बजट अनुमान से ₹ 20,232 करोड़ कम था। यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानकीय अनुमान के आकलन (₹ 12,115 करोड़) से अधिक था।
- *Hkkj r | jdkj | s | gk; rk vupku* में वर्ष 2013–14 (₹ 22,405 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2014–15 (₹ 32,691 करोड़) में ₹ 10,286 करोड़ (46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- *dUnh; dj;k vkj 'kVdk; ei jkt; ds v;k* में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 3,846 करोड़ (छ: प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह (₹ 66,623 करोड़) बजट अनुमान (₹ 76,502 करोड़) से कम (₹ 9,879 करोड़) थी।
- *jktLo 0;* में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 12,880 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह (₹ 1,71,027 करोड़) बजट अनुमान (₹ 1,97,425 करोड़) से कम (₹ 26,398 करोड़) था।
- *jktLo 0;* के अन्तर्गत आयोजनेत्तर व्यय में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 11,275 करोड़ (नौ प्रतिशत) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 1,605 करोड़ (पाँच प्रतिशत) की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 1,37,765 करोड़), तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय आकलन (₹ 88,219 करोड़) से बहुत अधिक (56 प्रतिशत) था।
- *i thxr 0;* (₹ 53,297 करोड़) में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 20,434 करोड़ (62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सङ्कें एवं सेतु, ऊर्जा परियोजनाएं, वृहद सिंचाई एवं ग्रामीण विकास में हुई। यह बजट अनुमान (₹ 55,986 करोड़) से कम (₹ 2,689 करोड़) था।

<sup>1</sup>मध्यकालिक राजकोषीय पुर्णसंरचना नीति, 2014 को प्रस्तुत करता है।

- *...क्षा, ओ व्हिएक्स दि ओ लीय (₹ 262 करोड़) में वर्ष 2013–14 (₹ 589 करोड़) के सापेक्ष ₹ 327 करोड़ (55 प्रतिशत) की कमी हुई परंतु यह बजट अनुमान (₹ 491 करोड़) से कम (₹ 229 करोड़; 47 प्रतिशत) थी। ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण (₹ 1,873 करोड़) भी बजट अनुमान (₹ 1,910 करोड़) से दो प्रतिशत कम था।*
- *यक्षद यक्षि कि (₹ 35,520 करोड़) में वर्ष 2013–14 (₹ 14,900 करोड़) के सापेक्ष ₹ 20,620 करोड़ (138 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 9,500 करोड़), अन्य संस्थाओं से ऋण (₹ 5,270 करोड़), एन.एस.एस.एफ को प्रदत्त विशेष प्रतिभूतियाँ (₹ 3,618 करोड़), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिम (₹ 1,724 करोड़) तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ऋण (₹ 405 करोड़) के अन्तर्गत हुई।*
- *यक्षद यक्षि लिफ्ट कि (₹ 2,30,199 करोड़) में वर्ष 2014–15 के दौरान वर्ष 2013–14 (₹ 2,26,078 करोड़) के सापेक्ष ₹ 4,121 करोड़ (दो प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः प्रेषण के अन्तर्गत प्राप्तियों (₹ 27,698 करोड़) में ₹ 4,178 करोड़ (18 प्रतिशत) एवं वर्ष 2013–14 (₹ 1,62,145 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में उचंत एवं विविध शीर्षों के प्राप्तियों (₹ 1,66,336 करोड़) में ₹ 4,191 करोड़ (तीन प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।*
- *यक्षद यक्षि लिफ्ट कि में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 7,555 करोड़ (तीन प्रतिशत), की वृद्धि दर्ज की गयी।*
- *वर्ष 2014–15 में व्हिएक्स लिफ्ट कि से ₹ 203 करोड़ के आहरण की प्रतिपूर्ति शेष थी।*
- *उद्ध वो'क्षक्षि में मार्च 2014 के ₹ 4,021 करोड़ के क्रेडिट अवशेष से मार्च 2015 तक ₹ 401 करोड़ (डेबिट), कुल ₹ 4,442 करोड़ (110 प्रतिशत) की कमी हुयी।*

- *2014–15 के अंत में जक्टक्लो व्हिएक्स के बढ़कर ₹ 12,327 करोड़ (122 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 22,394 करोड़, राजकोषीय घाटा ₹ 8,833 करोड़ (37 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 32,513 करोड़ एवं प्राथमिक घाटा ₹ 7,380 करोड़ (118 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 13,648 करोड़ हो गयी। विस्तृत विवरण ।L1j 1-11-1 में दिया गया है।*

### **1.1.2 जक्टक्लो व्हिएक्स दि लिफ्ट**

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 पारित हुआ (फरवरी 2004), जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास एवं स्थिरता के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व था कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति विधान सभा में रखे, जिसमें निर्धारित राजकोषीय संकेतकों को पाँच वर्षों में प्राप्त करने का परिवर्तनीय लक्ष्य निर्धारित हो एवं अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नियम बनाये जायें। अधिनियम को अक्टूबर 2006 में अधिसूचित किया गया। अधिनियम में प्रावधानित राजकोषीय सिद्धान्त को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गये:

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले पाँच वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य पर लाया जाना।
- राजकोषीय घाटे को आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक कम किया जाना। यद्यपि, अर्थव्यवस्था में व्यापक मन्दी को देखते हुये भारत सरकार ने राज्यों को उनका वित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की थी।
- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 14 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करना कि अन्तिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व उस वर्ष के लिए आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।
- यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं दी जाये।
- इसके अतिरिक्त, आन्तरिक गड़बड़ियों या प्राकृतिक आपदाओं से उपजी अदृष्ट मांगों को इस शर्त के साथ कि आपदा को प्रदान किया गया आधिक्य वास्तविक राजकोषीय लागत से अधिक न हो, को छोड़कर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं हो सकता है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 में संशोधन किया (सितम्बर 2011) तथा स्वयं के लिए वर्ष 2011–15 की अवधि के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ विकसित किया जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त करना एवं धीरे–धीरे वर्ष 2014–15 तक राजकोषीय एवं ऋण के स्तरों में कमी लाना था। | kj . kh 1-3 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

| kj . kh 1-3% jkt dk's'kh; | p'<#djk . k i Fk

o"kl	jkt dk's'kh; ?kkVk	dly ns rk %th-, I -Mh-i h- ds /fr'kr e%
2011-12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	46.90
2012-13	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	45.10
2013-14	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	43.40
2014-15	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	41.90

(स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना, सितम्बर 2011)

वर्ष 2014–15 में राज्य का निष्पादन, बजट में उपबंधित मुख्य परिवर्ती कारकों के अधीन, तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य पर आधारित है, जिसे | kj . kh 1-4 में दर्शाया गया है।

I kj . kh 1-4% o"kl 2014&15 e; jkT; dk fu"i knu

e[; jkt dks'kh; l drd	rj go; foRr v{k; kx }jk k fu/kkfj r y{;	jkt dks'kh; mRrj nkf; Ro , o; ctV i cl/ku vf/fu; e }jk k fu/kkfj r y{; @i x{ki	ctV vupeku e; fu/kkfj r y{;	i po"kh; वित्तीय ; kst uk e; i x{ki @, e-Vh- , Q-i h-	okLrfod v{kdm;
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	(+28,994	(+)28,994	(+)22,394
राजकोषीय घाटा (-) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं अर्थात ₹(-)29,289 करोड़	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं अर्थात ₹(-)29,289 करोड़	2.97 प्रतिशत	2.97 प्रतिशत	3.33 प्रतिशत
कुल बकाया ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 41.90 प्रतिशत (₹ 4,09,068 करोड़)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 41.90 प्रतिशत (₹ 4,09,068 करोड़)	27.80 प्रतिशत	27.80 प्रतिशत	31.53 प्रतिशत

(स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर 2011)

I kj . kh से यह प्रदर्शित है कि राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य था जिसका प्रमुख कारण वर्ष 2013–14 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि थी जबकि राजस्व व्यय में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटा में तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के लक्ष्य से 0.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि, कुल बकाया ऋण वर्ष 2014–15 के अंत में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.53 प्रतिशत था जो बजट अनुमान के लक्ष्य (27.80 प्रतिशत) से अधिक (3.73 प्रतिशत) था लेकिन तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित लक्ष्य (41.90 प्रतिशत) की तुलना में कम (10.37 प्रतिशत) था।

### 1.1.3 ctV vupeku , o; okLrfod v{kdm;

#### ctV vupeku


प्राप्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना था जिसमें मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों (₹ 76,502 करोड़) में राज्य के अंश में वृद्धि लाना था तथा व्ययों में सामाजिक सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 75,479 करोड़; पूँजीगत व्यय: ₹ 14,210 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 74,325 करोड़; पूँजीगत व्यय: ₹ 4,278 करोड़) की ओर केन्द्रित करना था। राज्य सरकार ने राजकोषीय स्थिति के अंतर्गत राजस्व आधिक्य (₹ 28,994 करोड़), राजकोषीय घाटे (₹ 28,411 करोड़) एवं प्राथमिक घाटे (₹ 9,526 करोड़) का आकलन किया ॥/f/श/V 1-4॥।

#### ctV vupeku ds I ki s{k okLrfod v{kdm;

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों का विवरण है। राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमानों में शुद्धता के महत्व के व्यापक रूप से समग्र आर्थिक प्रबन्धन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से किसी प्रकार का विचलन या तो

ऐसी घटनाओं के घटित होने जिसका पूर्व में अनुमान न किया जा सका हो अथवा बजट की तैयारियों के स्तर पर ही व्ययों या राजस्व प्राप्तियों का कम/अधिक अनुमान वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की ओर संकेत करते हैं।

वर्ष 2014–15 में बजट अनुमान के चुने हुये राजकोषीय प्राचलों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े  $\text{pkVl}$  1-1 और  $\text{ifjfk'V}$  1-4 में दिए गये हैं।



(स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे वर्ष 2014-15)

उपरोक्त  $\text{pkVl}$  से यह देखा जा सकता है कि:

- बजट अनुमान ( $\text{pkVl}$ ) ( $₹ 1,93,422$  करोड़) बजट अनुमान ( $₹ 2,26,419$  करोड़) से ₹ 32,997 करोड़ कम थी। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 1,93,422 के संग्रह में ₹ 6,828 करोड़ की कमी हुई जबकि ₹ 1,97,425 बजट अनुमान से ₹ 297 करोड़ कम था। ₹ 1,97,425 में कमी मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर कर ( $₹ 4,566$  करोड़), साथ ही साथ स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क ( $₹ 920$  करोड़) एवं वाहन कर ( $₹ 153$  करोड़) में कमी के कारण हुई। ₹ 1,97,425 में कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं ( $₹ 1,603$  करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं ( $₹ 1,798$  करोड़) के कारण हुई।
- बजट अनुमान ( $₹ 1,71,027$  करोड़) से कम ( $₹ 26,398$  करोड़) था। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं, सामान्य सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में पाई गई। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 14,573 करोड़, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 10,019 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 1,697 करोड़ की कमी हुई।  $\text{ifjfk'V}$  के अंतर्गत कमी मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति ( $₹ 5,855$  करोड़), साथ ही साथ सामाजिक कल्याण एवं पोषण ( $₹ 1,662$  करोड़) तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास ( $₹ 2,522$  करोड़) में हुई।  $\text{ifjfk'V}$  के अंतर्गत कमी मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं ( $₹ 2,543$  करोड़), पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाओं ( $₹ 3,502$  करोड़) एवं ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा ( $₹ 3,220$  करोड़) में हुई।  $\text{ifjfk'V}$  के

अंतर्गत मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 2,081 करोड़), साथ ही साथ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,129 करोड़) तथा कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं (₹ 460 करोड़) के कारण हुई कमी ऊर्जा मद के अंतर्गत अधिक व्यय (₹ 1,936 करोड़) के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

- *कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं* (₹ 18,865 करोड़) पर हुआ व्यय वर्ष 2014–15 के दौरान बजट अनुमान (₹ 18,885 करोड़) से ₹ 20 करोड़ कम था।
- *सामाजिक सेवाओं* (₹ 2,689 करोड़ कम था। पूँजीगत व्यय में कमी सामाजिक सेवाओं (₹ 1,455 करोड़), आर्थिक सेवाओं (₹ 965 करोड़) एवं सामान्य सेवाओं (₹ 269 करोड़) के अन्तर्गत हुई।
- *जलवायिका एवं विद्युत* (₹ 22,394 करोड़) बजट अनुमान (₹ 28,994 करोड़) से कम (₹ 6,600 करोड़) था तथा *जलालंबन; वृद्धि* (₹ 32,513 करोड़) में बजट अनुमान (₹ 28,411 करोड़) के सापेक्ष वृद्धि (₹ 4,102 करोड़) हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान *प्रतिशत वृद्धि* (₹ 13,648 करोड़) बजट अनुमान (₹ 9,526 करोड़) से ₹ 4,122 करोड़ (43 प्रतिशत) अधिक था।

प्राप्तियों एवं व्ययों का स्वरूप, वर्ष 2014–15 में तैयार किये गये मूल बजट के स्तर से भिन्न था जो अनुचित बजट अनुमान को प्रदर्शित करता है।

#### **1.1.4 जलवायिका एवं विद्युत के सापेक्ष व्यय की घोषणा की।**

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने अपने बजट भाषण में स्वयं के कर राजस्व में 17 प्रतिशत (वर्ष 2013–14 की तुलना में) वृद्धि की घोषणा की।

वर्ष 2013–14 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व में हुई वृद्धि को 1% की 1-5 में दर्शाया गया है।

1% की 1-5% लो; अधिक जलवायिका

जलवायिका	/कुल की
वर्ष 2013–14 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़े (₹ करोड़ में)	66,582
वर्ष 2014–15 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़े (₹ करोड़ में)	74,172
वर्ष 2014–15 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़ों में वृद्धि (₹ करोड़ में)	7,590
वर्ष 2014–15 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़ों में वृद्धि (प्रतिशत में)	11.40

यह इंगित करती है कि वर्ष 2014–15 के दौरान वर्ष 2013–14 के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व में 17 प्रतिशत की वृद्धि की बजट भाषण में की गई घोषणा के सापेक्ष 11.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

#### **1.2 जलवायिका एवं विद्युत के सापेक्ष व्यय की घोषणा की।**


##### **1.2.1 जलवायिका एवं विद्युत के सापेक्ष व्यय की घोषणा की।**

राज्य सरकार के संसाधनों के अंतर्गत दो स्रोत राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्क में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत प्रकीर्ण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से

ऋण प्राप्तियां एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों के साथ—साथ लोक लेखे से उपार्जित प्राप्तियां सम्मिलित हैं।


I kJ. kh 1-2 राज्य सरकार के वर्ष 2014–15 के दौरान वार्षिक वित्त लेखे में अंकित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है। pkVl 1-2 कुल प्राप्तियों का संघटन, pkVl 1-3 वर्ष 2010–15 की अवधि में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा pkVl 1-4 वर्ष 2014–15 में संसाधनों के संघटन को प्रदर्शित करता है।

pkVl 1-2% o"kl 2014&15 ds nkjku dly i kflr; kls ds | ॥kvu



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त प्रक्षेप से यह दर्शित होता है कि वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,31,390 करोड़ थीं। इसमें से राजस्व प्राप्तियाँ: ₹ 1,93,422 करोड़, पूँजीगत प्राप्तियाँ: ₹ 35,782 करोड़, आकस्मिकता निधि से प्राप्तियाँ: ₹ एक करोड़ और लोक लेखे प्राप्तियाँ: ₹ 2,185 करोड़ (निवल) <sup>2</sup> थीं। पुनः, कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2010–11 के ₹ 1,43,239 करोड़ के स्तर से ₹ 88,151 करोड़ (62 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 2,31,390 करोड़ हो गईं।



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

प्रक्षेप 1-4 यह दर्शाता है कि कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 84 प्रतिशत, लोक लेखे प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ 15 प्रतिशत थीं।

### 1.2.2 राजस्व प्राप्तियों का अन्तरण एवं लोक लेखे प्राप्तियों का अन्तरण


31 मार्च 2014 तक] विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी/गैर सरकारी संगठनों (एनोजीओ) को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियों का अन्तरण किया था। महालेखा नियन्त्रक के पी.एफ.एम.एस. (पब्लिक फार्म्सेन्सियल मैनेजमेण्ट सिस्टम ) पोर्टल के अनुसार वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार ने कोई भी राशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसीज को अन्तरित नहीं किया है। भारत सरकार के निर्णय कि राज्य सरकार को सीधे केन्द्रीय पुरोन्धानित योजना/अन्य केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए सभी सहायता सीधे राज्य सरकारों को निर्गत किया जायेगा, न कि क्रियान्वयन एजेन्सी को, के कारण क्रियान्वयन एजेन्सी को प्रत्यक्ष अन्तरण पिछले वर्ष की तुलना में शत प्रतिशत कम हुआ है।

### 1.3 लोक लेखे का अन्तरण

वित्त लेखे के फॉर्म 14 में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2010–15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन प्रक्षेप 1-5 में


<sup>2</sup>लोक लेखे प्राप्तियाँ: ₹ 2,30,199 करोड़ (–) लोक लेखे संवितरण: ₹ 2,28,014 करोड़

प्रस्तुत की गयी हैं एवं क्रमशः pkVl 1-5 एवं 1-6 में भी प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

pkVl 1-5 यह दर्शाता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 1,93,422 करोड़) में वर्ष 2013-14 के सापेक्ष ₹ 25,208 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2010-15 के दौरान यह ₹ 1,11,184 करोड़ से समान रूप से बढ़कर ₹ 1,93,422 करोड़ हो गया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

pkVl 1-6 यह दर्शाता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,93,422 करोड़ के कुल राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 94,107 करोड़ स्वयं के स्रोतों, स्वयं के कर राजस्व (₹ 74,172 करोड़) एवं करेतर राजस्व (₹ 19,935 करोड़), से प्राप्त हुए तथा शेष ₹ 99,315 करोड़ भारत सरकार के संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 66,623 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 32,692 करोड़) से प्राप्त हुए।

वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 25,208 करोड़; 15 प्रतिशत) में वृद्धि का मुख्य कारण, अधिक सहायता अनुदान के साथ—साथ भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निवल प्राप्तियों का अधिक आवंटन, बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिक करों का संग्रहण, देशी मदिरा, बीयर, विदेशी मदिरा एवं स्पिरिट, राज्य मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत करों के अधिक संग्रहण, वानिकी एवं वन्य जीवन के अन्तर्गत प्राप्तियों का अधिक संग्रहण तथा विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर अधिक कर संग्रहण था। तकनीकी शिक्षा, शिक्षण एवं अन्य शुल्क तथा कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत कम प्राप्ति, भू—राजस्व एवं परती भूमि के बिक्री आगम से कम प्राप्ति तथा भूमिकर का उन्मोचन, सिंचाई उद्देश्यों हेतु जल की बिक्री से कम प्राप्ति, व्यवसायिक उपक्रम के नियमन से कम प्राप्ति एवं पर्यटन से कम प्राप्तियों के कारण राजस्व प्राप्ति में कमी भी हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ। kj.kh 1-6 में प्रस्तुत की गई हैं।

| kj.kh 1-6% | dy jkt; ?kjy mRi kn ds | ki sk jktLo ckflr; k dhl cofuk

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
jktLo ckflr; k ₹ djkM+e%	1,11,184	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.31	17.70	11.49	15.29	14.99
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	18.89	19.03	18.96	18.89	19.81
<b>mRiykourk vui kr<sup>3</sup></b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पादनता	0.774	1.048	0.964	0.976	1.552
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्पादनता	1.079	1.657	0.880	0.932	1.180
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्पादनता	0.717	0.633	1.100	1.047	1.315
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	5,88,467	6,87,836	7,69,729	8,90,265	9,76,297
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	19.78	16.89	11.91	15.66	9.66

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

| kj.kh से प्रदर्शित है कि:

- वर्ष 2013–14 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पादनता में 0.576 की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2011–12 और वर्ष 2014–15 में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में समानता थी। यद्यपि, वर्ष 2010–11, 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान प्राप्तियों में हुई वृद्धि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि के समानुपातिक नहीं थी।

<sup>3</sup> उत्पादनता अनुपात राजकोषीय चर की, आधार चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलापन की मात्रा को इग्निट करता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2010–11 के लिए राजस्व उत्पादनता का मान 0.7 का अर्थ है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

- राज्य के स्वयं के कर की उत्पादनता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 0.932 (2013–14) से बढ़कर 1.180 (2014–15) हो गयी। वर्ष 2010–15 की अवधि में राज्य के स्वयं के कर का अनुपात सकल राज्य के घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 0.880 और 1.657 के मध्य रही।

### 1.3.1 jkt; ds Lo; a ds Lkd k/ku

केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है, इसलिए संसाधन के संग्रहण में राज्य का निष्पादन उसके स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 2010–15 की अवधि में कर राजस्व तथा करेतर राजस्व की प्राप्तियों का सकल संग्रह  $i/f/f'k''V$  1-6 में दिया गया है। यह वर्ष 2010–11 के ₹ 52,286 करोड़ से बढ़कर (80 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 94,107 करोड़ हो गया।

| kj . kh 1-7 में वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की तुलना तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये आकलन एवं राज्य सरकार के बजट अनुमानों से की गयी है।

I kj . kh 1-7% rj goi foRr vk; kx }kj k fu/kkfj r vkj ctV  
vupku ds | ki sk o"kl 2014&15 ds okLrfod dj , oI dj rj i kfjr; k|

(₹ करोड़ में)

fooj . k	तेरहवें वित्त आयोग का vkdyu	ctV vupku	okLrfod vkjdMs
स्वयं के कर राजस्व	59,618.65	81,000.00	74,172.42
करेतर राजस्व	12,115.47	20,231.95	19,934.80
; kx	<b>71,734.12</b>	<b>1,01,231.95</b>	<b>94,107.22</b>

(चोत: तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, राज्य बजट एवं वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय अनुमान (₹ 59,619 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 14,554 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह वर्ष 2014–15 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में ₹ 6,828 करोड़ (आठ प्रतिशत) कम थी।

वर्ष 2014–15 के दौरान करेतर राजस्व में तेरहवें वित्त अयोग के मानकीय अनुमान (₹ 12,115 करोड़) की तुलना में ₹ 7,819 करोड़ (65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसमें वर्ष 2014–15 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में ₹ 297 करोड़ (एक प्रतिशत) की कमी हुई।

#### 1.3.1.1 dj jktLo


कर राजस्व के अन्तर्गत बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क आदि आते हैं। वर्ष 2010–15 की अवधि के कर राजस्व के घटक | kj . kh 1-8 , oI pkVl 1-7 में दिये गये हैं।

## । क्ष. क्ष 1-8: दि जूत्तो दे ?क्वद

₹ करोड़ में

jktLo ds ?kVd	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	o"क्ल 2013&14 दे । कि ले o"क्ल 2014&15 एफ) (+)/दह (-) दह ि फ्रंकर्क
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	24,837	33,107	34,870	39,645	42,934	8
राज्य आबकारी	6,723	8,139	9,782	11,644	13,483	16
वाहनों पर कर	1,817	2,376	2,993	3,441	3,797	10
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	5,975	7,694	8,742	9,521	11,803	24
भू-राजस्व	1,134	491	805	772	527	(-)32
सामान एवं यात्रियों पर कर	242	5	1	1	1	0
अन्य कर	382	801	905	1,558	1,627	4
;	<b>41,110</b>	<b>52,613</b>	<b>58,098</b>	<b>66,582</b>	<b>74,172</b>	<b>11</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

। क्ष. क्ष यह इंगित करती है कि वर्ष 2013–14 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के दौरान कर राजस्व में ₹ 7,590 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन कर तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली में वृद्धि के कारण हुई। राज्य आबकारी में वृद्धि देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर तथा स्पीरिट पर राजस्व की अधिक वसूली के कारण हुई। वाहन कर में वृद्धि वाहनों की बिक्री पर करों की वसूली एवं राज्य मोटर वाहन कराधन अधिनियम के अन्तर्गत अधिक कर संग्रहण के कारण हुई। यद्यपि, भू-राजस्व के अन्तर्गत कर संग्रहण में तीक्ष्ण कमी आई जो भू-राजस्व एवं बंजर भूमि के विक्रय से आय एवं भूमिकर के उन्मोचन से कम प्राप्ति के कारण हुई।

### 1.3.1.2 दि जूत्तो दे

करेतर राजस्व मुख्यतः शिक्षा, ऊर्जा, व्याज, वानिकी एवं वन्य जीवन, उद्योग, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों से प्राप्त होती है।

वर्ष 2014–15 के दौरान करेतर राजस्व की प्राप्तियाँ | kj . kh 1-9 में दी गयी हैं।

### I kj . kh 1-9: dj rj jktLo

(₹ करोड़ में)

jktLo 'kh'kz	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	o"kl 2013&14 ds l ki gk o"kl 2014&15 e <sup>g</sup> of) (+)/deh (-) dh i fr'krk
ब्याज प्राप्तियाँ	689	789	1,186	1,619	2,303	42
लाभांश एवं लाभ	27	38	63	5	8	60
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	10,460	9,318	11,721	14,826	17,624	19
; kx	<b>11,176</b>	<b>10,145</b>	<b>12,970</b>	<b>16,450</b>	<b>19,935</b>	<b>21</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj . kh यह इंगित करती है कि करेतर राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 21 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 3,485 करोड़) हुई। यह वृद्धि मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों, सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं, एवं अन्य करेतर राजस्व के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

अन्य करेतर राजस्व में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 2,798 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अन्य करेतर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः लोक सेवा आयोग एवं विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत हुई।

### 1.3.2 Hkkjr | jdkj | s i klr | gk; rk vupku

राज्य सरकार भारत सरकार से आयोजनेत्तर अनुदान, राज्य आयोजनागत योजना/केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं आदि के रूप में सहायता अनुदान प्राप्त करती है। वर्ष 2010–15 की अवधि में प्राप्त सहायता अनुदान की धनराशि I kj . kh 1-10 में दी गई है।

### I kj . kh 1-10 Hkkjr | jdkj | s i klr | gk; rk vupku

(₹ करोड़ में)

fooj . k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजनेत्तर अनुदान	3,092.99	4,396.73	4,341.00	7,933.79	6,808.88
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	6,772.07	6,813.40	5,518.39	6,595.22	6,576.02
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	435.16	212.45	12.31	225.90	17.37
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	5,133.43	6,337.44	7,466.09	7,650.26	19,289.20
dky vupku	<b>15,433.65</b>	<b>17,760.02</b>	<b>17,337.79</b>	<b>22,405.17</b>	<b>32,691.47</b>
विगत वर्ष से वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	(-) 9.96	15.07	(-) 2.38	29.00	45.91
राजस्व प्राप्तियाँ	1,11,184	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422
राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान की प्रतिशतता	13.88	13.57	11.88	13.32	16.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 10,286 करोड़ (46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2013–14 के ₹ 22,405 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 32,691 करोड़ हो गई। सहायता अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 की तुलना में

वर्ष 2014–15 के दौरान केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं में वृद्धि (₹ 11,640 करोड़) हुई तथा मुख्य कमी आयोजनेत्तर अनुदानों (₹ 1,125 करोड़) एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (₹ 209 करोड़) में हुई।

### 1.3.3 દિનાંક દિગ્લિખી કરણ


भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों जैसे आयकर, सेवाकर, संघीय उत्पाद शुल्क आदि में राज्य का अंश हस्तांतरित करती है। वर्ष 2010–15 की अवधि में केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ | kj . kh 1-11 एवं pkVl 1-8 में दी गई हैं।

| kj . kh 1-11 દિનાંક દિગ્લિખી કરણ કરણ કરણ કરણ

(₹ કરोડ મें)

fooj . k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
દિગ્લિખી કરણ કરણ	43,464	50,351	57,498	62,777	66,623
સेवा કर	4,309	6,010	8,396	10,227	9,822
निगम કर સे ભिन્ન અन्य આय પर કર	8,927	10,067	12,365	13,902	16,614
संघीय ઉત्पाद શुल्क	5,498	5,649	6,493	7,234	6,084
नિગમ કર	16,893	19,819	20,654	21,113	23,265
સમ्पत्ति પर કર	35	76	35	58	63
સीમा કર	7,557	8,730	9,555	10,243	10,775

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

केन्द्रीय कर हस्तांतरण में ₹ 3,846 करोड़ (छ: प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो ₹ 62,777 करोड़ (वर्ष 2013–14) से बढ़कर ₹ 66,623 करोड़ (वर्ष 2014–15) हो गई। वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान वृद्धि मुख्यतः निगम कर से भिन्न अन्य आय पर कर में ₹ 2,712 करोड़ (20 प्रतिशत) और निगम कर में ₹ 2,152 करोड़ (10 प्रतिशत) की हुई।

### 1.3.4 વ્યાપક વ્યાપક

वर्ष 2014–15 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सकल संग्रह हेतु किया गया व्यय एवं व्ययों की सकल संग्रह से प्रतिशतता | kj . kh 1-12 में दी गई है।

| kj . kh 1-12: | xg dh ykxr

fooj . k	dy   xg   ij 0; ;   र करोड़ में)	xg ij fd; s x; s 0; ; dh   dy   xg ds   kfkr i fr' krkr	foxr o"kl ei vf[ky Hkkjrh; Lrj ij vkl r
वाणिज्य कर	43,127	492	1.14
राज्य आबकारी	13,479	135	1.00
वाहनों, सामान एवं यात्रियों पर कर	3,797	124	3.26
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	11,858	232	1.95
(स्रोत: संबंधित विभाग)			3.37

Lkj . kh से यह स्पष्ट है कि 2014–15 के दौरान राज्य आबकारी, वाहनों, सामान एवं यात्रियों पर कर एवं स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क पर कर संग्रह की लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से कम था जबकि वाणिज्य कर के संग्रह की लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से अधिक था। राज्य सरकार को कारणों का विश्लेषण करना चाहिये।

### 1.3.5 rjgoi foRr vk; kx dh vuqk dk kvka ds v/khu i klr vuqku

राज्य सरकार के विभिन्न अंगों में सुधार हेतु तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार हेतु अनुदानों की अनुशंसाएं की थीं। | kj . kh 1-13 में चयनित अनुदानों की वित्तीय स्थिति एवं उनमें आयी कमी दी गयी है।

| kj . kh 1-13% rjgoi foRrk vk; kx }kjk fn; s x; s vuqkuk dk foRrh; fLFkfr

| र करोड़ में)

vuqkuk dk   f; k , oa uke	fooj . k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	; kx
13— कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	बजटीय धनराशि	शून्य	50.00	47.56	50.00	50.00	<b>197.56</b>
	व्यय	शून्य	15.64	47.39	35.18	45.55	<b>147.76</b>
	बचत	शून्य	34.36	0.17	14.82	0.45	<b>49.80</b>
37— नगर विकास विभाग	बजटीय धनराशि	शून्य	459.10	796.66	1,301.26	494.65	<b>3,051.67</b>
	व्यय	शून्य	168.82	795.92	1,099.33	494.65	<b>2,558.72</b>
	बचत	शून्य	290.28	0.74	201.93	0	<b>492.95</b>
40— नियोजन विभाग	बजटीय धनराशि	शून्य	शून्य	शून्य	5.27	15.45	<b>20.72</b>
	व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	5.25	15.43	<b>20.68</b>
	बचत	शून्य	शून्य	शून्य	0.02	0.02	<b>0.04</b>
42— न्याय विभाग	बजटीय धनराशि	39.41	12.21	149.39	43.07	136.15	<b>380.23</b>
	व्यय	37.71	12.03	32.50	15.53	38.24	<b>136.01</b>
	बचत	1.70	0.18	116.89	27.54	97.91	<b>244.22</b>
92— संस्कृति विभाग	बजटीय धनराशि	शून्य	25.00	29.49	25.87	28.41	<b>108.70</b>
	व्यय	शून्य	25.00	29.44	0.84	28.41	<b>83.69</b>
	बचत	शून्य	शून्य	0.05	25.03	शून्य	<b>25.08</b>
94— सिंचाई विभाग (निर्माण)	बजटीय धनराशि	शून्य	341.00	309.15	751.07	शून्य	<b>1,401.22</b>
	व्यय	शून्य	14.76	254.03	69.13	शून्य	<b>337.92</b>
	बचत	शून्य	326.24	55.12	681.94	शून्य	<b>1,063.30</b>
egk; kx ctVh; /kuj kf' k 0; ; cpr	ctVh; /kuj kf' k	<b>39.41</b>	<b>887.31</b>	<b>1,332.25</b>	<b>2,176.54</b>	<b>724.66</b>	<b>5,160.17</b>
	0; ;	<b>37.71</b>	<b>236.25</b>	<b>1,159.28</b>	<b>1,225.26</b>	<b>622.28</b>	<b>3,284.78</b>
	cpr	<b>1.70</b>	<b>651.06</b>	<b>672.97</b>	<b>951.28</b>	<b>98.38</b>	<b>1,875.39</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

उपरोक्त | kj . kh से यह इंगित होता है कि वर्ष 2010–15 की अवधि के दौरान तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये कुल बजटीय धनराशि ₹ 5,160.17 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1,875.39 करोड़ (36 प्रतिशत) निधियों का कम उपयोग किये जाने के कारण सरकार के लेखे में व्यपगत हो गई, जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कमी को दर्शाता है।

### 1.3.6 jktLo cdk; k

कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 26,837.24 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 11,572.73 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जिसका विवरण | kj . kh 1-14 में दिया गया है।

#### | kj . kh 1-14% jktLo cdk; k

(₹ करोड़ में)

ØO । Ø	jktLo dk ' kh"kl	31 ekpI 2015 dks dly cdk; k /kuj kf' k	31 ekpI 2015 dks i kp o"kl l s vf/kd vof/k l s cdk; k /kuj kf' k	fVII . kh
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	26,347.13	11,462.56	बकाया राजस्व ₹ 26,347.13 करोड़ में से ₹ 2,594.53 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था; अन्य राज्यों को ₹ 1,276.72 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं; माननीय न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण एवं शासन द्वारा ₹ 4,441.96 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी गई; सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों से ₹ 560.79 करोड़ की वसूली लम्बित थी; ₹ 1,613.14 करोड़ की वसूली को बट्टे खाते में डाले जाने की संभावना थी एवं ₹ 45.02 करोड़ ट्रांसपोर्टरों से बकाया थे। शेष ₹ 15,814.97 करोड़ के संबंध में विशेष कार्यवाही विभाग में लिबित थी।
2	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	202.77	उपलब्ध नहीं	विभाग के पास पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था। विभाग द्वारा जिन स्तरों पर वसूली लम्बित थी, उनका विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
3	वाहनों पर कर	136.82	उपलब्ध नहीं	विभाग के पास पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था। विभाग द्वारा जिन स्तरों पर वसूली लम्बित थी, उनका विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म	77.52	51.15	निदेशालय के स्तर पर विभाग के पास बकाया का विवरण उपलब्ध नहीं था।
5	राज्य आबकारी	53.12	52.62	कुल ₹ 53.12 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था। ₹ 53.12 करोड़ में से अन्य राज्यों को ₹ 0.06 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं, ₹ 16.87 करोड़ की वसूली पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी एवं ₹ 5.85 करोड़ बट्टेखाते में डाले जाने की संभावना थी।

6	मनोरंजन कर	19.88	6.40	बकाया राजस्व ₹ 19.88 करोड़ में से, ₹ 9.98 करोड़ की वसूली पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी एवं ₹ 8.65 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में माँग हेतु प्रमाणित किया गया था। शेष ₹ 1.35 करोड़ अपीलीय प्राधिकरण में लंबित थे।
	; kx	26,837.24	11,572.73	

(चोत: सम्बन्धित विभाग)

उपरोक्त | kj . kh यह इंगित करती है कि ₹ 11,572.73 करोड़ के राजस्व की वसूली पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी।

#### 1.4 iñthxr i kflr; kj

पूंजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत लोक ऋण प्राप्तियाँ तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली सम्मिलित हैं। वर्ष 2010–15 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ | kj . kh 1-15 में दी गई हैं।

| kj . kh 1-15 iñthxr i kflr; kd dh i ñofRr; kj

(₹ करोड़ में)

jKT; dh iñthxr i kflr; kd ds   ks	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
iñthxr i kflr; kj	21,879	19,785	16,239	15,489	35,782
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	485	133	419	589	262
लोक ऋण प्राप्तियाँ	21,394	19,652	15,820	14,900	35,520
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 5	(-) 8	(-) 19	(-) 6	138
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	66	(-) 73	215	41	(-) 56
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	19.78	16.89	11.91	15.66	9.66
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-) 4	(-) 10	(-) 18	(-) 5	131

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

| kj . kh वर्ष 2010–14 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों के संग्रहण में घटने की प्रवृत्ति दर्शाती है। यद्यपि, यह वर्ष 2013–14 के ₹ 15,489 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 35,782 करोड़ हो गई। पूंजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2010–11 के ऋणात्मक पाँच प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013–14 में ऋणात्मक छः प्रतिशत हो गयी। यद्यपि यह वर्ष 2013–14 के ₹ 14,900 करोड़ से बढ़कर (138 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 35,520 करोड़ हो गयी। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2013–14 के ₹ 589 करोड़ से घटकर (56 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 262 करोड़ हो गई।

##### 1.4.1 \_\_.kks , oa vfxekl dh ol fy; kj

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों और संवितरण के सापेक्ष हुई वसूलियों की प्रतिशतता को | kj . kh 1-16 में दर्शाया गया है।

| kj . kh 1-16% \_\_.kka , oव्यक्ति dk | forj . k@ol lyh

₹ करोड़ में)

fooj . k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
संवितरण	968	976	1,003	1,473	1,873
वसूलियाँ	485	133	419	589	262
संवितरण के सापेक्ष वसूली की प्रतिशतता	50	14	42	40	14

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

| kj . kh से यह प्रदर्शित है कि वर्ष 2010–15 की अवधि में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 50 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत के मध्य रही, जो यह इंगित करता है कि ऋणों एवं संवितरित अग्रिमों की वसूली की क्रियाविधि अप्रभावी थी।

#### 1.4.2 व्यक्ति का संकलन एवं क्रियाविधि

आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों के अन्तर्गत बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 तक की अवधि में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों की धनराशि | kj . kh 1-17 में दर्शायी गई है।

| kj . kh 1-17% व्यक्ति का संकलन एवं क्रियाविधि

₹ करोड़ में)

fooj . k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बाजार ऋण	12,000	15,830	9,500	8,000	17,500
वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण	1,543	1,277	1,421	1,494	7,176

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

| kj . kh से यह प्रदर्शित है कि बाजार ऋण वर्ष 2013–14 के ₹ 8,000 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 17,500 करोड़ हो गयी जो आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों पर निर्भरता में वृद्धि की ओर संकेत करता है।

#### 1.4.3 भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करती है। भारत सरकार से वर्ष 2010–15 की अवधि में प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण | kj . kh 1-18 में दिया गया है।

| kj . kh 1-18% भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

₹ करोड़ में)

fooj . k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	363	316	296	390	486
वृद्धि / कमी की प्रतिशतता	28	(-13)	(-6)	32	25

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

| kj . kh से वर्ष 2010–13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों में कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। यद्यपि, इसमें वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 में 32 प्रतिशत और वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुयी।

## 1.5 ykdl yslks lfuoyh

कुछ लेन देनों जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधि आदि जो समेकित निधि के अंग हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अधीन स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं। ये विधान मण्डल के मत पर आधारित नहीं होती है। इनके संबंध में शासन बैंकर का काम करता है एवं संवितरण के बाद अवशेष निधि उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है। लोक लेखे (निवल) की स्थिति | kj . kh 1-19 में दी गई है।

| kj . kh 1-19% ykdl yslks lfuoyh dh fLFkfr

₹ करोड़ में)

f0fkkUu 'kh"kkh ds vUrxlr   d k/ku	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ykdl yslks lfuoyh	10,176	7,478	14,006	5,619	2,185
क. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	4,871	3,630	3,341	2,363	1,686
ख. आरक्षित निधि	2,339	5,487	4,386	7,954	(-) 2,694
ग. निक्षेप एवं अग्रिम	1,842	-2,038	1,753	5,037	1,050
घ. उचंत एवं विविध	757	607	3,540	-9,637	535
ड. प्रेषण	367	-208	986	-98	1,608
वित्तीय आंकड़े लोक लेखे के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं संवितरण के निवल आंकड़े हैं। वर्ष 2010-13 के आंकड़े विगत वर्षों से भिन्न हो सकते हैं।					

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

| kj . kh से यह प्रदर्शित है कि लोक लेखे (निवल) की प्रवृत्तियाँ दोलायमान हैं। यह वर्ष 2010-11 के ₹ 10,176 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर ₹ 2,185 करोड़ हो गई।

## 1.6 | d k/kukh ds vuqiz; ksx


राज्य सरकार के स्तर पर व्ययों के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यय करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अन्तर्गत लोक व्ययों को घाटे द्वारा अथवा उधार लेकर पोषित करने में बजट की समस्या आती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य के स्तर पर वर्तमान में किये जा रहे राजकोषीय समेकन पथ, व्यय की कीमत पर, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों के विकास हेतु किए जा रहे व्यय पर, नहीं है।

### 1.6.1 ॥ ; ds | &kVU , oamueo of) ; kj


कुल व्ययों में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं। राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और विगत वर्षों के दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाता है। अतः इसमें राज्य की अवस्थापना एवं दी जा रही सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। दूसरी ओर, पूँजीगत व्ययों द्वारा राज्य की अवस्थापना एवं उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं (मूर्त परिसम्पत्तियाँ) में वृद्धि होती है।

कुल व्यय में स्थिर गति से वृद्धि (₹ 97,280 करोड़; 75 प्रतिशत) हुई जो वर्ष 2010-11 के ₹ 1,28,917 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 2,26,197 करोड़ हो गई तथा वर्ष 2010-15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों का कुल व्यय के साथ अनुपात 86 प्रतिशत एवं 89 प्रतिशत के मध्य रहा एवं वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान एक प्रतिशत की मामूली कमी हुई।

वर्ष 2010–15 की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटन को pkVl 1-9 तथा कार्यकलाप-वार कुल व्यय को pkVl 1-10 में प्रस्तुत किया गया है।



pkVl 1-9 वर्ष 2010–15 की अवधि में कुल व्यय में इसके संघटकों सहित बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

pkVl 1-10 वर्ष 2010–15 की अवधि में कार्यकलापवार व्यय में मासूली परिवर्तन प्रदर्शित करता है। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल व्यय में से सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय 33 प्रतिशत, आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 31 प्रतिशत एवं सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 30 प्रतिशत है। शेष छः प्रतिशत में से सहायता अनुदान (पाँच प्रतिशत) तथा ऋण एवं अग्रिम (एक प्रतिशत) के मध्य विभाजित हैं।

jkLo 0; में कुल वृद्धि (कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) ₹ 12,880 करोड़ (आठ प्रतिशत) थी जो वर्ष 2013–14 के ₹ 1,58,147 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,71,027 करोड़ हो गयी। वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान वृद्धि मुख्यतः Åtkl (₹ 7,054 करोड़; 136 प्रतिशत) के अन्तर्गत संचार और वितरण हेतु अधिक व्यय के कारण, i f j okj dY; k.k (₹ 1,410 करोड़; 56 प्रतिशत) के

अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना और अन्य व्यय तथा | fyl (₹ 1,273 करोड़; 14 प्रतिशत) के अन्तर्गत वायरलेस और कम्प्यूटर पर व्यय, फोरेंसिक विज्ञान और अन्य व्यय के कारण वृद्धि हुई। वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 में कमी का मुख्य कारण vui fpr tkfr; kq vui fpr tutkfr; kq, oq vll; fi NM; oxk dk dY; k.k (₹ 3,782 करोड़; 68 प्रतिशत) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा और अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना पर कम व्यय एवं Je vky jkt xkj (₹ 951 करोड़; 48 प्रतिशत) के अन्तर्गत श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा और अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना पर कम व्यय होना था।

इसी प्रकार, i thxr 0; ; में वृद्धि (कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) ₹ 20,434 करोड़ (62 प्रतिशत) की थी जो वर्ष 2013–14 के ₹ 32,863 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 53,297 करोड़ हो गयी। यह वृद्धि मुख्यतः vkokl (₹ 3,719 करोड़; 291 प्रतिशत) के अन्तर्गत लोहिया ग्रामीण आवास योजना, आसरा योजना और ग्राम्य आवास पर केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सहायतित योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण, vll; xke; fodkl dk; lde (₹ 2,843 करोड़; 178 प्रतिशत) में ग्राम्य विकास क्रिया-कलाप कार्यक्रमों पर व्यय के कारण और f'kk [ksy] dyk vky | Ldfr (₹ 646 करोड़; 87 प्रतिशत) में माध्यमिक शिक्षा के लिये केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय सहायतित योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का क्रय और निर्माण/विस्तार/अधिष्ठान पर व्यय के कारण हुई। कमी मुख्यतः I keftd I j {kk vky dY; k.k (₹ 349 करोड़; 37 प्रतिशत) के अंतर्गत समाज कल्याण और अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम के केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय सहायतित योजनाओं पर व्यय में कमी के कारण हुई।

### 1.6.2 jktLo 0; ;

वर्ष 2010–15 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ | kj . kh 1-20 में प्रस्तुत की गयी हैं।

I kj . kh 1-20% I dy jkt; ?kj sy mRi kn ds I ki sk jktLo 0; ; dh i dtियाँ

fooj . k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,07,676	1,23,885	1,40,724	1,58,147	1,71,027
राजस्व अधिक्य (₹ करोड़ में)	(+)3,508	(+)6,984	(+)5,180	(+)10,067	(+)22,394
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	5,88,467	6,87,836	7,69,729	8,90,265	9,76,297
राजस्व व्यय की वृद्धि दर	20.48	15.05	13.59	12.38	8.14
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.30	18.01	18.28	17.76	17.52
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	19.78	16.89	11.91	15.66	9.66

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj . kh इंगित करती है कि वर्ष 2011–12, 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम थी। यद्यपि, यह वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक थी। यह इंगित करता है कि राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2011–12, 2013–14 एवं 2014–15 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप रही। यद्यपि, यह

वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप नहीं थी।

### 1.6.3 opuc) ०; ;

राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत वचनबद्ध व्यय मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 18,865 करोड़) वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 62,147 करोड़), पेंशन (₹ 22,305 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 7,661 करोड़) सम्मिलित है। वचनबद्ध व्यय (₹ 1,10,978 करोड़) राजस्व व्यय का मुख्य घटक है तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 1,37,765 करोड़) का 81 प्रतिशत इसमें उपभोग किया गया।

वर्ष 2010–15 की अवधि के वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्तियाँ | kj . kh 1-21 और pkVl 1-11 में प्रस्तुत की गयी हैं।

| kj . kh 1.21: opuc) ०; ; kj ds ?kVdk ; dh i pfRr

(₹ करोड़ में)


opuc) ०; ; kj ds ?kVd	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					c tV vupku	okLrfod ०; ;
orū* , oie etnijh ftl ei	40,159(36)	47,521(36)	52,755(36)	54,892(33)	72,244	62,147 (32)
आयोजनेत्तर शीर्ष	36,316	42,244	46,007	47,654	-	51,195
आयोजनागतशीर्ष**	3,843	5,277	6,748	7,238	-	10,952
C; kt Hkxrku	14,216(13)	15,481(12)	16,921(12)	17,412(10)	18,885	18,865(10)
i iku ij ०; ;	12,618(11)	14,127(11)	17,921(12)	19,521(12)	25,799	22,305(11)
I fcl Mh	4,437(4)	5,601(4)	5,964(4)	6,608 (4)	8,343	7,661(4)
opuc) ०; ; dk ; kx	71,430(64)	82,730(63)	93,561(64)	98,433(59)	1,25,315	1,10,978(57)

इस मद में राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत कोष्ठक में अंकित किये गये हैं।

\*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।

\*\*आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वह वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है जिसका भुगतान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं से किया गया था।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वचनबद्ध व्ययों के विश्लेषण से यह इंगित होता है कि इसके सभी मदों में वर्ष 2010–15 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह वर्ष 2010–11 के ₹ 71,430 करोड़ से 55 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,10,978 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी तथा पेशन मदों के अन्तर्गत थी। वचनबद्ध व्ययों के अन्तर्गत विभिन्न घटकों में वृद्धि/कमी की विवेचना आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

### 09U , 01 etnijh

| kj . kh 1-21 के विश्लेषण से इंगित है कि वर्ष 2013–14 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर हुए व्यय में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पुनः आयोजनेत्तर तथा आयोजनागत शीर्षों में वर्ष 2010–15 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। आयोजनेत्तर शीर्षों के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2010–11 के ₹ 36,316 करोड़ से बढ़कर (41 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 51,195 करोड़ हो गया। यह तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 19,942 करोड़) से अधिक था। आयोजनागत शीर्ष के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2010–11 के ₹ 3,843 करोड़ से बढ़कर (185 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 10,952 करोड़ हो गया।

### i \ku Hkxrku

वर्ष 2010–15 की अवधि में पेशन पर व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह वर्ष 2010–11 के ₹ 12,618 करोड़ से बढ़कर (77 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 22,305 करोड़ हो गयी। वर्ष 2013–14 की तुलना में इसमें ₹ 2,784 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 22,305 करोड़ का यह व्यय तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 13,932 करोड़) से अधिक (₹ 8,373 करोड़) था। पेशन देयताओं के प्रभाव को कम करने के लिए 01 अप्रैल 2005 से या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अंशदायी पेशन योजना प्रारम्भ की गयी।

### C; kt Hkxrku

राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान वर्ष 2010–11 के 13 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 10 प्रतिशत हो गया। वास्तविक ब्याज अदायगी (₹ 18,865 करोड़) बजट अनुमान (₹ 18,885 करोड़) से कम (₹ 20 करोड़) था। यद्यपि, वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 18,865 करोड़ का यह व्यय तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 19,543 करोड़) से भी कम (₹ 678 करोड़) था।

### I fcl Mh

वित्त लेखे (*if/f'k"V II*) दर्शाते हैं कि शासन ने वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 7,661 करोड़ के प्रत्यक्ष सब्सिडी भुगतान किए जो राजस्व प्राप्तियों का चार प्रतिशत थी। कुल भुगतानित सब्सिडी में ₹ 5,644 करोड़ (74 प्रतिशत) आयोजनेत्तर मद, ₹ 1,282 करोड़ (17 प्रतिशत) आयोजनागत मद एवं ₹ 735 करोड़ (नौ प्रतिशत) केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं<sup>4</sup> के अंतर्गत संवितरित की गयी। प्रमुख कार्यकलापों जिन्हें सब्सिडी दी गई, उनमें ऊर्जा कार्यकलाप: ₹ 5,297 करोड़ (69 प्रतिशत); कृषि एवं अन्य संबद्ध कार्यकलाप: ₹ 1,924 करोड़ (25 प्रतिशत) तथा समाज कल्याण: ₹ 288 करोड़ (चार प्रतिशत) सम्मिलित थे। कार्यकलापवार विस्तृत विवरण उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिए गए हैं।

<sup>4</sup>राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त निधियाँ

वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान  $\text{A}^{\text{t}}\text{k}$  के अंतर्गत सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 108 करोड़ (दो प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 में सब्सिडी का अधिकतम भुगतान आयोजनेत्तर शीर्ष के अन्तर्गत उ0प्र0 विद्युत निगम लिमिटेड को ₹ 4,327 करोड़ क्षतिपूरक अनुदान स्वरूप एवं ₹ 850 करोड़ भुगतानित विद्युत कर के सापेक्ष राजस्व क्षतिपूरक अनुदान स्वरूप किया गया। इसके अतिरिक्त, विद्युत दर में छूट के सापेक्ष क्षतिपूरक एवं पावरलूम बुनकरों के लिए ₹ 120 करोड़ की सब्सिडी का भी भुगतान किया गया था।

वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान  $\text{D}^{\text{f}}\text{k}$  के अंतर्गत सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 724 करोड़ (60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान सब्सिडी की अधिकतम धनराशि ₹ 240 करोड़ आयोजनेत्तर शीर्षों के अंतर्गत कृषि उत्पादों में सुधार के लिए निजी नलकूप कृषकों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए उ0प्र0 विद्युत निगम को भुगतान किया गया। इसके अतिकित, कृषि विकास योजनाओं (₹ 164 करोड़), राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (₹ 160 करोड़), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (₹ 146 करोड़), गोल्डेन जुबली ग्राम स्वरोजगार योजना (₹ 124 करोड़) एवं सौर फोटो वोल्टिक सिंचाई पर्य की अवस्थापना अनुदान योजना हेतु ₹ 87 करोड़ सब्सिडी का भुगतान किया गया।

वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान  $\text{l}\text{e}\text{k}\text{t}$   $\text{d}\text{Y}$ ;  $\text{k}\text{k}$  के अंतर्गत सब्सिडी में ₹ 174 करोड़ (153 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सब्सिडी की अधिकतम धनराशि का भुगतान स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (₹ 118 करोड़), ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लागू करने के लिये अनुदान (₹ 34 करोड़) एवं कृषि उत्पादन के लिए छोटे एवं सीमान्त कृषकों को (निःशुल्क बोरिंग) सहायता हेतु ₹ 30 करोड़ का किया गया।

वर्ष 2014–15 के दौरान के कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी के विस्तृत विवरण  $\text{l}\text{j}$ . $\text{k}\text{h}$  1-22 में दिये गये हैं।

$\text{l}\text{j}\text{.k}\text{h}$  1-22%  $\text{o}^{\text{k}}$  2014&15  $\text{d}\text{h}$   $\text{d}\text{N}$   $\text{v}\text{i}$   $\text{R}$ ;  $\text{k}$   $\text{l}\text{f}\text{c}$   $\text{M}\text{h}$   $\text{dk}$   $\text{fooj}$ . $\text{k}$

(₹ करोड़ में)

०० १०	$\text{kst}$ $\text{uk}$ ; $\text{I}$ $\text{f}\text{c}$ $\text{M}\text{h}$	$\text{foHkkx}$ $\text{dk}$ $\text{uke}$	/ $\text{kuj}$ $\text{kf'}$ $\text{k}$
1.	सामान्य श्रेणी के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	22.40
2.	सामान्य श्रेणी के कक्षा 6 से 8 तक के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	26.38
3.	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	43.50
4.	कन्या विद्याधन योजना	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.54
5.	12वीं पास लड़के/लड़कियों को मुफ्त लैपटाप	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	11.90
			; $\text{k}\text{x}$ $\text{104.72}$

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2014-15)

अतः, वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 104.72 करोड़ का भुगतान अप्रत्यक्ष सब्सिडी के लिये किया गया।

### 1.7 $\text{O}; \text{k}\text{a}$ $\text{d}\text{h}$ $\text{x}\text{q}$ $\text{k}\text{oRr}\text{k}$

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना की उपलब्धता सामान्यतः राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत मुख्यतः तीन पक्ष निहित होते हैं, नामतः व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थः लोक

सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रबन्ध); व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (सेवाओं के परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

### 1.7.1 *ykd ॥ ; dh i ; kllrrk*

सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक अवस्थापना से संबंधित व्यय का दायित्व राज्य सरकारों को निर्दिष्ट है। मानव विकास के स्तर में वृद्धि हेतु राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र विशेष में राजकोषीय प्राथमिकता (किसी क्षेत्र विशेष में व्यय का सकल व्यय से अनुपात) संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है तो उस क्षेत्र में राजकोषीय प्राथमिकता कम होगी। वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक व्यय तथा पूँजीगत व्यय का विश्लेषण। *kj . kh 1-23* में प्रस्तुत किया गया है।

*I kj . kh 1-23% o"kl 2011&12 vkj 2014&15 ej jkT; dh jkt dks"kh; i kf fedrk*

*Yifr'kr e*

<i>jkt dks"kh; i kf fedrk "l dy jkT; ?kj sy mRi kn l s i fr'kr rk</i>	<i>, -b@ th, I -Mh- i h-</i>	<i>Mh-b@ , -b@ b@, -b@ b@, -b@ Lkh-b@ , -b@ tad's ku @, -b@ gYFk@ , -b@</i>	<i>, I - b@, -b@ b@, -b@ b@, -b@ Lkh-b@ , -b@ tad's ku @, -b@ gYFk@ , -b@</i>	<i>15.98</i>	<i>65.39</i>	<i>36.63</i>	<i>28.76</i>	<i>13.23</i>	<i>17.10</i>	<i>4.68</i>
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2011–12										
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2011–12	21.29	59.34	35.91	23.21	14.73	17.96	4.58			
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014–15	16.49 <sup>#</sup>	69.12	36.50	32.61	14.01	16.23	5.04			
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2014–15	23.17	64.86	32.89	31.97	23.56	15.62	5.29			

\* 18 सामान्य श्रेणी राज्यों के आंकड़ों के आधार पर।

# गोवा एवं पुडुचेरी को छोड़कर 17 राज्यों के आंकड़ों के आधार पर।

ए.ई.: कुल व्यय, डी.ई.: विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, ई.एस.ई.: आर्थिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूँजीगत व्यय।

<sup>^</sup> विकास व्यय में राजस्व विकास व्यय, पूँजीगत विकास व्यय, और ऋण एवं अप्रिम संवितरण सम्मिलित है।

विश्लेषण से ज्ञात हुआ:

- सामान्य श्रेणी के राज्यों (जी.सी.एस.) की तुलना में राज्य के कुल व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2014–15 में अधिक था।
- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2014–15 में विकास व्यय हेतु पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी क्योंकि इसका कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था।
- वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2014–15 में सामाजिक क्षेत्र में किये गये व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से थोड़ा कम था।
- वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2014–15 में आर्थिक क्षेत्र में किये गये व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था।
- वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2014–15 में पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से अधिक था।

● उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र पर किए गए व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से वर्ष 2011–12 में थोड़ा अधिक लेकिन वर्ष 2014–15 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था।

● राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया गया व्यय वर्ष 2011–12 में सामान्य श्रेणी के राज्यों से थोड़ा कम लेकिन वर्ष 2014–15 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से थोड़ा अधिक था।

राज्य सरकार को विकास व्यय एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय (शिक्षा पर व्यय सहित) पर और अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

#### 1-7-1-1 fodkl , oঃ fodkl Rrj ০; ;

राजस्व शीर्ष के व्यय, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय विकास व्यय में सम्मिलित किए जाते हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय विकासेत्तर व्यय माना जाता है।

वर्ष 2010–15 की अवधि में शासन द्वारा किये गये विकास एवं विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर। kj . kh 1-24 में दी गयी है।

#### I kj . kh 1-24% fodkl , oঃ fodkl Rrj ০; ;

₹ करोड़ में)

fooj . k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व व्यय	1,07,676	1,23,885	1,40,724	1,58,147	1,71,027
पूँजीगत व्यय	20,273	21,574	23,834	32,863	53,297
ऋण एवं अग्रिम	968	976	1,003	1,473	1,873
dly ০; ;	<b>1,28,917</b>	<b>1,46,435</b>	<b>1,65,561</b>	<b>1,92,483</b>	<b>2,26,197</b>
fodkl ০; ;	<b>75,019</b>	<b>86,897</b>	<b>97,904</b>	<b>1,17,209</b>	<b>1,46,705</b>
विकास व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6	16	13	20	25
fodkl Rrj ০; ;	<b>53,898</b>	<b>59,538</b>	<b>67,657</b>	<b>75,274</b>	<b>79,492</b>
विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	20	10	14	11	6

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj . kh से इंगित होता है कि विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2010–11 के 20 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में छः प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2014–15 में विकास व्यय की वृद्धि दर में विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इससे यह इंगित होता है कि शासन द्वारा विकासात्मक कार्यकलापों को प्राथमिकता दी गई।

#### 1-7-1-2 vk; kstu kxr , oঃ vk; kstu Rrj jktLo ০; ;

राज्य के कुल व्यय, राजस्व (आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्ययों सहित), पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम, कुल व्यय की वृद्धि दर, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर एवं आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर का विवरण। kj . kh 1-25 में दिया गया है।

। क्ष. क्ष 1.25% वर्क; क्षुक्षर, ओवर्क; क्षुक्षर्ज ज्ञत्वा ०; ;

(₹ करोड़ में)

ज्ञान एवं अग्रिम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल व्यय	1,28,917	1,46,435	1,65,561	1,92,483	2,26,197
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	1,07,676	1,23,885	1,40,724	1,58,147	171,027
आयोजनागत व्यय	86,636	1,01,269	1,14,846	1,26,490	1,37,765
पूँजीगत व्यय	21,040	22,616	25,878	31,657	33,262
ऋण एवं अग्रिम	968	976	1,003	1,473	1,873
कुल व्यय की वृद्धि दर	12	14	13	16	18
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर	18	17	13	10	9
आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर	34	7	14	22	5

(ज्ञान: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

। क्ष. क्ष से इंगित होता है कि वर्ष 2010–15 की अवधि में कुल व्यय की वृद्धि दर 12 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत के मध्य दोलायमान रही एवं आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर भी पांच प्रतिशत एवं 34 प्रतिशत के मध्य दोलायमान रही। आयोजनेत्तर व्यय की वृद्धि दर में निरन्तर कमी हुई जो 18 प्रतिशत (वर्ष 2010–11) से घटकर वर्ष 2014–15 में नौ प्रतिशत हो गई।

### 1.7.2 ज्ञान क्रम

चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किए गये पूँजीगत व्यय एवं अनुरक्षण पर किये गये राजस्व व्यय के घटकों का विवरण । क्ष. क्ष 1-26 में दिया गया है। वर्ष 2013–14 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के दौरान पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात में 8.52 प्रतिशत की वृद्धि हुयी।

। क्ष. क्ष 1.26% परिवर्तन के बारे में ज्ञान क्रम

ज्ञान क्रम	2013-14		2014-15	
	ज्ञान एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	ज्ञान एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप (₹ करोड़ में)	ज्ञान एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	ज्ञान एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप (₹ करोड़ में)
सामान्य शिक्षा	2.32	25,057	12	3.97
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14.15	5,372	98	15.87
जलाधार्ता, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	50.44	93	53	75.33
ज्ञान क्रम के बारे में ज्ञान क्रम के बारे में	9.91	31,783	181	17.14
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	10.10	2,011	31	19.78
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	38.31	2,373	1,101	43.35
शक्ति एवं ऊर्जा	55.85	26	00	47.04
परिवहन	74.86	84	2,351	81.88
ज्ञान क्रम के बारे में ज्ञान क्रम के बारे में	46.21	7,915	3,510	50.52
ज्ञान क्रम के बारे में ज्ञान क्रम के बारे में	25.08	39,698	3,691	33.60
ज्ञान क्रम के बारे में ज्ञान क्रम के बारे में			45,739	3,908

(ज्ञान: वित्त लेखे तथा वी.एल.सी. आँकड़े वर्ष 2013–14, 2014–15)

विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत कुल व्यय में पूँजीगत व्यय के अंश में 7.23 प्रतिशत की तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 4.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के दौरान कुल व्यय से पूँजीगत व्यय के अनुपात में 24.89 प्रतिशत की वृद्धि जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं शहरी आवास विकास में हुई। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 9.68 प्रतिशत कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप में, 7.02 प्रतिशत परिवहन में तथा 5.04 प्रतिशत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में वृद्धि हुई, यद्यपि शक्ति एवं ऊर्जा क्षेत्र में 8.81 प्रतिशत की कमी आयी।

कुल व्यय में वेतन एवं मजदूरी के अंश में वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 में ₹ 6,041 करोड़ की वृद्धि हुई। सामाजिक सेवाओं में 16 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामाजिक सेवाओं (₹ 5,100 करोड़) एवं आर्थिक क्षेत्र (₹ 941 करोड़) के मध्य विभाजित थी यद्यपि वर्ष 2013–14 की तुलना में परिवहन में ₹ 80 करोड़ की कमी हुई।

वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 में सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में परिचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के अंश में ₹ 90 करोड़ की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 में आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में परिचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के कुल अंश में ₹ 127 करोड़ की वृद्धि हुई यद्यपि वर्ष 2013–14 की तुलना में परिवहन में ₹ 328 करोड़ (14 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी हुई।

## 1.8 'kkI dh; 0; ; kI , o fuos'kkI dk foRrh; fo' y's'k.k

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (एवं उधार) को न केवल कम स्तर पर रखें बल्कि पूँजीगत व्ययों/निवेशों (अग्रिमों एवं ऋणों को सम्मिलित करते हुए) की आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अप्रत्यक्ष सक्षिप्ती के रूप में अपने बजट एवं वित्तीय संचालन में पारदर्शिता लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के स्थान पर बाजार–आधारित संसाधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के संक्रमण काल में अपने निवेशों पर यथेष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं उधार ली गयी धनराशियों का मूल्य वसूलने की आवश्यकता है। इस अनुच्छेद में विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार के निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्ययों के वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है।

### 1.8.1 fI pkbz fuekLk dk; kI ds foRrh; i fj . kke

सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुरक्षण व्यय के सापेक्ष लागत वसूली की दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2014–15 के दौरान वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियाँ (₹ 397 करोड़) उनके परिचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये ₹ 5,009 करोड़ के व्यय का आठ प्रतिशत थी, जो वर्ष 2014–15 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली अनुमान, 75 प्रतिशत, से बहुत कम थी, जो यह दर्शाता है कि परियोजनाये व्यवसायिक रूप से अव्यवहारिक थीं।

| kj . kh 1-27 में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के संदर्भ में लागत वसूली दर एवं अनुरक्षण व्यय दिया गया है।

I kj . kh 1-27% rj goa foRr vk; kx }kj k fu/kkfjr ekud ds I nhkz es  
ykr ol yh nj , oavuj{k.k 0; ;

o"kl	jktLo 0; ;	jktLo ikflr; kj	jktLo 0; ; dh rjuk es jktLo ikflr; kj	rj goa 2010&15% foRr vk; kx }kj k ykr ol yh dk eW; kdru	ykr ol yh es vUrj
<b>₹ dj kM+es</b>		<b>ifr'kr es</b>			
2010-11	3,409	186	5	25	20
2011-12	3,736	232	6	35	29
2012-13	4,323	258	6	45	39
2013-14	4,472	550	12	60	48
2014-15	5,009	397	8	75	67

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj . kh से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्यों के संबंध में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के सन्दर्भ में लागत वसूली दर तथा अनुरक्षण व्यय राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, निर्धारित अवधि (2010–15) के दौरान लागत वसूली का अन्तर निरंतर 20 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के मध्य बढ़ रहा था, जबकि राजस्व व्यय में इसी समयावधि में निरंतर बढ़ि हुयी।

### 1.8.2 vi wkl i fj ; kstuk, a

अपूर्ण परियोजनाओं पर धनराशियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति I kj . kh 1-28 में दी गई है।

I kj . kh 1-28% 31 ekpl 2015 dks foHkkxokj vi wkl i fj ; kstukvka dh fLFkfr

(₹ करोड़ में)

foHkkx	vi wkl i fj ; kstukvka dh l a[; k	i kj fEHkd ctVh; ykr	i fj ; kstukvka dh i ujh hf{kr ykr	I p; h okLrfod 0; ; ekpl 2015%
लोक निर्माण (सड़कें एवं सेतु)	521	6,339	1,011	3,396
सिंचाई	24	1,314	5,300	4,318
; kx	<b>545</b>	<b>7,653</b>	<b>6,311</b>	<b>7,714</b>

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

अपूर्ण 545 परियोजनाओं पर किये गये ₹ 7,714 करोड़ (मार्च 2015) के व्यय से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

### 1.8.3 fuos k , oai frQy

31 मार्च 2015 तक शासन ने सांविधिक निगमों (₹ 596 करोड़), शासकीय कम्पनियों (₹ 57,021 करोड़), सहकारी संस्थाओं (₹ 928 करोड़) और बैंकों (₹ 61 करोड़) सहित कुल ₹ 58,606 करोड़ का निवेश किया था। वर्ष 2010–15 की अवधि में निवेशों पर प्रतिफल की स्थिति I kj . kh 1-29 में दी गयी है।

## | kj . kh 1-29% fuo'kkkj ij i frQy

fuo'kk@i frQy@fy; s x; s m/kkj dh ykxr	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अंत तक निवेश (₹ करोड़ में)	38,272.54	42,607.07	46,227.91	52,466.73	58,606.06
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	26.81	38.17	62.70	5.23	8.08
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.07	0.09	0.14	0.01	0.01
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.67	6.62	6.73	6.43	6.40
ब्याज दर एवं प्रतिफलों में अंतर (प्रतिशत)	6.60	6.53	6.59	6.42	6.39

(अतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

### | kj . kh से ज्ञात हुआ कि

- सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान मुख्य रूप से ऐसे निगमों के अंश पूँजी में निवेश किया गया था, जो विद्युत उत्पादन, विद्युत संचार एवं वितरण आदि में लगे हुये थे।
- इन निवेशों का प्रतिफल मात्र 0.01 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष 2014–15 के दौरान लिये गये उधार पर 6.40 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज भुगतान किया गया। अतः सरकारी निवेशों पर प्रतिफल सरकार द्वारा लिये गये उधार पर व्यय के सापेक्ष नगण्य था।

### 1.8.4 | ko'lfud futh | k>nkjh i f; kstu, a

सार्वजनिक निजी साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक तरफ सरकार/सांविधिक इकाई/ शासकीय स्वामित्व वाली इकाई है और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की इकाई। इस व्यवस्था में सार्वजनिक सम्पत्ति तथा/अथवा सार्वजनिक सेवाओं के लिये प्रावधान होता है तथा निवेश एवं प्रबंधन निजी क्षेत्र की इकाई द्वारा किया जाता है। यह प्रबंधन एक निश्चित समयावधि के लिये होता है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं शासकीय इकाई के मध्य जोखिम की शर्त पूर्ण रूप से परिभाषित होती है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र को भुगतान, कार्य निष्पादन (या बैंचमार्क) के आधार पर किया जाता है जिसका मानक पूर्व निर्धारित न्यूनतम मानदंड के अनुरूप होता है। निजी क्षेत्र द्वारा निष्पादित कार्यों का आकलन शासकीय इकाई अथवा इसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2014–15 तक 102 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं, ₹ 1,40,691.50 करोड़ की धनराशि से शुरू की गयी हैं। यद्यपि, राज्य सरकार ने सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रबन्धन के अन्तर्गत इसके वित्तीय उत्तरदायित्व को अगस्त 2015 तक सूचित नहीं किया।

### 1.8.5 jkT; | jdkj }kj k \_\_.k , oavfxie

सहकारी संस्थाओं, निगमों एवं कम्पनियों में किए गए निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों को कई ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती है। Lkkj . kh 1-30 लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों की 31 मार्च 2015 तक की स्थिति और विगत तीन वर्षों में ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्ति की स्थिति प्रदर्शित करती है।

---

वर्ष 2014–15 तक के निवेशों के अंकड़े वित्त लेखे वर्ष 2014–15 के विवरण संख्या–19 के भाग–1 एवं भाग–2 के मुख्य एवं लघु शीर्षवार निवेश, एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान विवरण के भाग–1 में (₹ 52,450.71 करोड़) एवं भाग–2 में (₹ 58,606.06 करोड़) दर्शायी गयी निवेश की राशि में अन्तर ₹ 6,155.35 करोड़ का मिलान किया जा रहा है।

I kj . kh 1-30% jKT; I j dkj }kj k \_\_.kks vKj vfxekl ij vKj r C; kt i kflr; kj

₹ करोड़ में)

fooj . k	2012-13	2013-14	2014-15
i kj fHkd vo' ksk	10,988	11,572	12,456
वर्ष के दौरान अग्रिम धनराशि	1,003	1,473	1,873
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतानित धनराशि	419	589	262
vfre vo' ksk	11,572	12,456	14,067
अवशेष धनराशि जिसके लिये नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयीं			
निवल वृद्धि	(+)584	(+)884	(+)1,611
ब्याज प्राप्तियाँ	26	19	14
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता	0.22	0.15	0.10
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयतायें	2,59,621	2,81,709	3,07,859
राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं के सापेक्ष ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.52	6.18	6.13
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्तियों के मध्य अंतर (प्रतिशत में)	6.30	6.03	6.03

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

बकाया ऋणों में ₹ 1,611 करोड़ की वृद्धि हुई जो वर्ष 2013–14 के ₹ 12,456 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 14,067 करोड़ हो गई। वर्ष 2014–15 के दौरान ऋण का मुख्य अंश जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 730 करोड़), उद्योग एवं खनिज (₹ 816 करोड़) और सरकारी कर्मचारियों को ऋण हेतु (₹ 103 करोड़) दिए गए।

### 1.8.6 udn vo' ksk , oñ udn vo' ksk ds fuo' k

वर्ष 2014–15 के दौरान सरकार को नकद अवशेषों के निवेश पर ₹ 469.05 करोड़ के ब्याज प्राप्त हुए। वर्ष 2014–15 के दौरान नकद अवशेष एवं राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेषों के निवेश को I kj . kh 1-31 में दर्शाया गया है।

I kj . kh 1-31% udn vo' ksk , oñ udn vo' ksk ds fuo' k

₹ करोड़ में)

fooj . k	1 vi 2014 dks i kj fHkd vo' ksk	31 ekpl 2015 dks vfre vo' ksk
₹/₹   keku; j kdm+vo' ksk		
कोषागारों में नकद	#	00.00
रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	(-)1,156.31	(-)1,009.27
मार्गस्थ प्रेषण	#	00.00
; kx	(-)1,156.31	(-)1,009.27
रोकड़ अवशेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	5,164.46	595.35
; kx ₹/₹	4,008.15	(-)413.92
₹/₹ ₹/₹; j kdm+vo' ksk , oñ fuo' k		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद अर्थात लोक निर्माण के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी	12.05	12.17
विभागीय अधिकारियों के पास आक्रियक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.43	0.43
उद्दिदष्ट निधियों के निवेश	45.20	45.20
; kx ₹/₹	57.68	57.80
egk; kx ₹/₹\$ ₹/₹	4,065.83	(-)356.12

# राशि ₹ एक लाख से कम है।

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

वर्ष 2014–15 की समाप्ति, पर उदिदष्ट निधियों के निवेश पर ₹ 45.20 करोड़ (₹ 401.32 करोड़ – ₹ 45.20 करोड़ = ₹ 356.12 करोड़ डेबिट शेष) की कटौती के बाद शासन के पास ₹ 401.32 करोड़ (डेबिट) नकद अवशेष थे। नकद अवशेष में मार्च 2014 (₹ 4,021 करोड़) की तुलना में मार्च 2015 के अंत में ₹ 4,421.95 करोड़ की कमी हुई।


### 1.9 इफ्ट एफर; क्षेत्रों की अवशेष

#### 1.9.1 इफ्ट एफर; क्षेत्रों की अवशेष


राज्य सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली के अन्तर्गत, राज्य सरकार की भूमि, भवनों इत्यादि जैसी अचल परिस्मृतियों को समग्र रूप से लेखाबद्ध नहीं किया जाता है। यद्यपि, राज्य सरकार के लेखे राज्य सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिस्मृतियों को समाहित करते हैं। /f/f/k/V 1-7 में 31 मार्च 2014 की स्थिति के सापेक्ष 31 मार्च 2015 को राज्य सरकार की ऐसी ही वित्तीय देयताओं एवं सृजित परिस्मृतियों का सार दिया गया है। यद्यपि, /f/f/k/V 1-7 में अंकित वित्तीय देयताओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से आन्तरिक उधार भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं रक्षित निधियों से प्राप्तियां दर्शायी गयी हैं जबकि परिस्मृतियों के अन्तर्गत मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ अवशेषों का विवरण दिया गया है।

#### 1.9.2 जटिलक्षण; निवेश

राज्य की अवशेष राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति /f/f/k/V 1-7 में प्रस्तुत की गयी है एवं वर्ष 2013–14 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटन को pkVl 1-12 एवं 1-13 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: वित्तीय लेखे वर्ष 2013–14 एवं 2014–15)



pkVl 1-12 एवं 1-13 इंगित करते हैं कि वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 की समाप्ति पर सरकार की राजकोषीय देयताओं<sup>6</sup> के घटकों में थोड़ा परिवर्तन हुआ।

प्रक्षेत्र	1 वित्तीय 2014 के द्वारा देयताएँ	31 एकल 2015 के द्वारा देयताएँ
आन्तरिक ऋण	1,56,208	1,83,191
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	15,336	14,462
लोक लेखे देयताएँ	1,10,165	1,10,206
<b>प्रक्षेत्र के द्वारा देयताएँ</b>	<b>2,81,709</b>	<b>3,07,859</b>

राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर, इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात, राजस्व प्राप्तियों से अनुपात तथा राज्य के स्वयं संसाधनों से अनुपात एवं इन प्राचलों के सन्दर्भ में राजकोषीय देयताओं से उत्पादनता। *kj . kh* 1-32 में दी गयी है।

| *kj . kh* 1-32% *jkt dk*<sup>kh</sup>; *ns rk*, & *ely i kpy*

<i>fooj . k</i>	<b>2010-11</b>	<b>2011-12</b>	<b>2012-13</b>	<b>2013-14</b>	<b>2014-15</b>
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	2,24,785	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859
वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.43	8.21	6.74	8.51	9.28
<i>jkt dk</i> <sup>kh</sup> ; <i>ns rk</i> <sup>kh</sup> <i>dk vu</i> <sup>j kr%</sup>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	38.20	35.36	33.73	31.64	31.53
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	202.17	185.86	177.94	167.47	159.16
स्वयं के संसाधन (प्रतिशत)	429.91	387.56	365.31	339.28	327.14
<i>jkt dk</i> <sup>kh</sup> ; <i>ns rk</i> <sup>kh</sup> <i>dh mRlykourk%</i>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.578	0.486	0.566	0.543	0.961
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.747	0.464	0.587	0.557	0.619
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	1.129	0.410	0.509	0.506	0.696

(चोत: सबधित वर्षों के वित्त लेखे)

| *kj . kh* से यह विदित होता है कि राज्य सरकार की कुल राजकोषीय देयतायें 37 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2010-11 के ₹ 2,24,785 करोड़ से वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 3,07,859 करोड़ हो गयी। वर्ष 2013-14 के 8.51 प्रतिशत की वृद्धि दर के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में वृद्धि दर 9.28 प्रतिशत रही। यद्यपि, राजकोषीय देयताओं से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में वर्ष 2010-15 की अवधि में कमी की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की उत्पादनता 0.961 थी।

### 1.9.3 *vkj f{kr fuf/k; k* *ds vUrxJr yunu*

राज्य सरकार के लेखे में अनेक आरक्षित निधियाँ निहित हैं, जो विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिये बनायी गयी हैं एवं राज्य या बाहरी अभिकरणों के संचित निधि के अनुदानों के अंशदान द्वारा रखी जाती हैं। वर्ष 2012-15 के लिये ऐसी निधियों जैसे निधियों के नाम, प्रारंभिक एवं अन्तिम अवशेष के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का वर्षवार विवरण *fjf'k"V* 1-8 में दिया गया है एवं | *kj . kh* 1-33 में सारांशीकृत किया गया है।

| *kj . kh* 1.33: o"kl 2012&15 dh vof/k ei *vkj f{kr fuf/k; k* dh fLFkfr

(₹ *yk*[k+e])

<i>00</i> <i>10</i>	<i>ys[kk 'kh"kl</i>	<i>vkj f{kr fuf/k; k</i> <i>dh i a[; k</i> <i>i fj pkfyr</i>	<i>1 vi by 2012</i> <i>dk s i kj fHkd</i> <i>vo' k'sk</i>	<i>i kfI; k</i> <i>2012&amp;15</i>	<i>I forj . k</i> <i>2012&amp;15</i>	<i>31 ekpl 2015</i> <i>dk vfre</i> <i>vo' k'sk</i>
<i>C: kt I fgr vkj f{kr fuf/k; k</i>						
1.	8115-मूल्यांकन/नवीकरण आरक्षित निधियाँ	01	01	1,848.54	00	6,290.11
2.	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	01	01	126.69	00	126.69
						शून्य

क्रमांक नं. का वर्ष विवरण							
क्रमांक	वर्ष	प्रत्याभूति	विवरण	वर्ष	प्रत्याभूति	विवरण	वर्ष
1.	8222-	सिक्किंग फण्ड		01	शून्य	29,80,966.95	21,12,593.24
2.	8223-	अकाल राहत निधियाँ		01	शून्य	853.50	00
3.	8225-	सड़के एवं सेतु निधियाँ		01	शून्य	99,841.03	4,90,000.00
4.	8226-	मूल्यांकन/नवीकरण आरक्षित निधियाँ		01	शून्य	4,909.77	1,022.00
5.	8229-	विकास एवं कल्याण निधियाँ		04	02	42,970.55	4,71,951.35
6.	8235-	सामाच्च एवं अन्य आरक्षित निधियाँ		03	03	22,331.92	1,84,966.71
				13	07	31,53,848.95	32,60,533.30
						22,95,922.52	41,18,459.73
							वर्ष का औसत ₹ 41,184.60

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

। क्रमांक से यह स्पष्ट है वर्ष 2012–15 की अवधि में 20 में से सात आरक्षित निधियाँ (₹ 41,184.60 करोड़ के अन्तिम अवशेष के साथ) परिचालित नहीं हुयी। मार्च 2015 के अंत में सात आरक्षित निधियाँ में ₹ 47.98 करोड़ का अन्तिम अवशेष (छंती निधियों में क्रेडिट शेष) एवं ₹ 44.42 करोड़ (एक निधि में डेबिट शेष) था।

#### 1.9.4 वर्षों का वित्त लेखे

प्रत्याभूतियाँ, राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं, जो उधार लेने वाले, जिनके लिए प्रत्याभूति दी गयी थी, द्वारा उधार की अदायगी न करने पर की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार किसी नियम अथवा विधि के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि की प्रत्याभूति नहीं देगी।

फिर भी, राज्य सरकार ने ऐसी कोई विधि या नियम नहीं बनाये थे जो राज्य सरकार की संचित निधि के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियों की सीमा निर्धारित करती हो। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक देयताओं, जो प्रत्याभूतियों के भुगतान करने पर उत्पन्न हों, की प्रतिपूर्ति हेतु कोई निधि भी स्थापित नहीं की गई थी।

फलस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति हेतु लिए गये शुल्कों को निर्दिष्ट निधि में जमा करने के स्थान पर राजस्व प्राप्तियों के मद में जमा किया गया जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों के मांग की परिस्थिति में किया जाना था।

वित्त लेखे के अनुसार सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया का विवरण। क्रमांक 1.34 में दिया गया है।

#### क्रमांक 1.34: सरकार द्वारा प्रदत्त वित्त लेखे

(करोड़ में)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	50,459	69,752	78,023
अवशेष प्रत्याभूतियों की राशि (व्याज सहित)	43,337	62,822	70,740
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	34.58	41.47	40.34

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रत्याभूतियों की अधिकतम धनराशि वर्ष 2012–13 के ₹ 50,459 करोड़ के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर (55 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 78,023 करोड़ हो गयी। प्रत्याभूतियों की अवशेष धनराशियों (ब्याज सहित) भी वर्ष 2012–13 के ₹ 43,337 करोड़ के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर (63 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 70,740 करोड़ हो गयी एवं अधिकतम वृद्धि ऊर्जा (₹ 4,500.74 करोड़, तीन संस्थानों) एवं अन्य संस्थानों (₹ 91.81 करोड़, 11 संस्थानों) के अन्तर्गत हुयी। वर्ष 2012–13 में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष दी गयी प्रत्याभूतियाँ भी 34.58 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 40.34 प्रतिशत हो गयी। 31 मार्च 2015 तक ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की धनराशि राज्य वित्त निगम (₹ 27.46 करोड़, एक संस्थान), ऊर्जा क्षेत्र के संस्थानों (₹ 67,530.86 करोड़), सहकारी संस्थानों (₹ 1,953.01 करोड़, दो संस्थानों) एवं अन्य संस्थानों (₹ 1,228.30 करोड़, 14 संस्थानों) के सापेक्ष बढ़ाया थी।

**1.9.5** =fVi || k] i f rkdu@ys[kkdu ds dkj.k jktLo vkf/kD; , o<sup>1</sup>  
jkt dks'kh; ?kkVs i j i Hkko

शासकीय लेखे में राजस्व एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण लेखांकन के प्रकरण थे। विवरण | kj . kh 1-35 में दिया गया है।

| kj . kh 1-35: ys[kkVs i j =fVi || k] oxhldj . k@ys[kkdu dk jktLo vkf/kD;  
, o<sup>1</sup> jkt dks'kh; ?kkVs i j i Hkko

jkt dks'kh; ?kkVs i j i Hkko (₹ dj KM+e)		jktLo vkf/kD; i j i Hkko (₹ dj KM+e)		fooj . k
vfr'k; rk	U; urk	vfr'k; rk	U; urk	
-	-	47.75	14.49	शासकीय लेखांकन नियमों के अन्तर्गत 'वृहद निर्माण कार्यों पर व्यय को पूंजीगत अनुभाग में तथा 'लघु निर्माण कार्यों पर व्यय को राजस्व अनुभाग में लेखांकित किया जाना चाहिए। तथापि राज्य सरकार के द्वारा लघु निर्माण कार्य (₹ 47.75 करोड़) को विभिन्न पूंजीगत शीर्षों में लेखांकित किया गया तथा धनराशि ₹ 14.49 करोड़ के वृहद निर्माण कार्य को राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत लेखांकित किया गया जिसकी वजह से राजस्व आधिक्य में इतनी ही धनराशि की न्यूनता रही।
-	-	806.09	-	वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य सरकार ने खाद्य भण्डारण एवं भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय –खाद्य (लेखा शीर्ष-4408-01) के अन्तर्गत ₹ 806.09 करोड़ (खाण्डसारी शक्कर योजना के अन्तर्गत धनराशि ₹ 638.70 करोड़ की प्राप्ति को सकल व्यय में कमी को सम्मिलित करते हुए) की राशि को पुस्तांकित किया। इसमें विभाग के स्थापना पर व्यय ₹ 0.14 करोड़, खाद्यान्न की खरीद एवं आपूर्ति पर व्यय ₹ 1,025.64 करोड़ तथा खाद्यान्न खरीद एवं आपूर्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक से लिये गये ऋण पर ब्याज ₹ 419 करोड़ की राशियाँ भी सम्मिलित थीं। खाद्य शीर्ष (लेखा शीर्ष 4408-01) के अन्तर्गत मार्च, 2015 तक का प्रगामी पूंजीगत परिव्यय (निवल) ₹ 17,075.49 करोड़ {₹ 8,050.85 करोड़ (राज्य के पुनर्गठन के उपरान्त के) तथा ₹ 9,024.64 करोड़ (राज्य के पुनर्गठन के पूर्व के)} था। इस प्रकार के व्यय प्रथमतः राजस्व प्रकृति के होते हैं। यद्यपि जहाँ पर पूंजीगत प्रकृति के घटक भी विद्यमान हों, सामान्य लेखांकन पद्धति के अनुसार समस्त व्यय को प्रथमतः राजस्व व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना चाहिए, तदूपरान्त पूंजीगत व्यय से सम्बन्धित व्यय को पूंजीगत मद के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। तथापि, राज्य सरकार के द्वारा समस्त व्यय ₹ 806.09 करोड़ को पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया जिसकी वजह से राजस्व आधिक्य में अतिशयता रही।
-	98.71	98.71	-	वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य सरकार के 31 मार्च 2005 को अथवा उससे पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के "पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ" पर वर्ष के दौरान ₹ 22,304.61 करोड़ (अवकाश नकदीकरण की राशि ₹ 1,132.75 करोड़ को सम्मिलित

				करते हुए जो सकल राजस्व व्यय (₹ 1,71,027 करोड़) का 13.04 प्रतिशत था) का व्यय हुआ। 1 अप्रैल 2005 अंशदान बाद में नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी, नई पेंशन योजना जो निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना है, के योग्य हैं। योजना के शर्तों के अनुसार कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है तथा समतुल्य धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाती है। समस्त धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा लिमिटेड (एन०एस०डी०एल०)/नियामक बैंक के माध्यम से निर्धारित निधि प्रबन्धक को अन्तरित कर दी जाती है। कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक धनराशि एवं सरकार का समतुल्य अंशदान का आकलन सही रूप से नहीं किया गया। वर्ष 2014–15 में कर्मचारियों के अंशदान की राशि ₹ 604.64 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा केवल ₹ 505.93 करोड़ का ही अंशदान किया गया तथा समस्त राशि ₹ 1,110.57 करोड़ को लेखा शीर्ष 8342–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित पेंशन अंशदायी योजना के अन्तर्गत जमा किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 1,052.10 करोड़ की राशि को एन०एस०डी०एल०/नियामक बैंक में अंतरित किया गया। दिनांक 31 मार्च 2015 को इस योजना के अन्तर्गत ₹ 553.83 करोड़ का अवशेष था। राज्य सरकार द्वारा ₹ 98.71 करोड़ (₹ 604.64 करोड़–₹ 553.93 करोड़) का कम अंशदान नई पेंशनर लाभदायी योजना के अंतर्गत किये जाने के कारण राजस्व आधिक्य में इतनी ही धनराशि की अतिशयता रही।
-	4.81	4.81	-	राज्य सरकार द्वारा अनिवेशित राशि ₹ 64.16 करोड़ पर व्याज देय था। यह राशि ₹ 4.81 करोड़ आंकी गयी (2014–15 के अर्थोपाय अग्रिमों के औसत व्याज दर 7.5 प्रतिशत पर) जिसे राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया। इसी क्रम में वर्ष के लिये राजस्व आधिक्य की अधिशयता हुई। पूर्ववर्ती वर्षों से इन व्याज वाली रक्षित निधियों के विरुद्ध बकाया व्याज की राशि का आंकलन नहीं किया गया है, जबकि यह राज्य सरकार के सम्पूर्ण दायित्वों को प्रभावित करता है।
-	3,987.81	3,987.81	-	पुनर्भुगतानित धनराशि के समतुल्य राशि पुस्तक समायोजन के द्वारा लोक लेखे में सिंकिंग फण्ड के नामे तथा राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत 0075–विविध सामान्य सेवाएं सिंकिंग फण्ड से प्राप्ति को क्रेडिट (कॉन्ट्रा डेबिट), सिंकिंग फण्ड से बिना किसी नकद प्रवाह के, किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य में ₹ 3,987.81 करोड़ की अतिशयता हुई।
-	336.75	336.75	-	बारहवें वित्त आयोग की अनुसंस्कृति के अनुसार, राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन करना चाहिये था। मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा धनराशि ₹ 336.75 करोड़ (वर्ष 2014–15 के प्रारम्भ में बकाया प्रतिशूलि ₹ 67,350.54 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। अतः राजस्व आधिक्य में इतनी ही धनराशि की अतिशयता रही।
-	14.32	14.32	-	वर्ष 2014–15 के प्रारम्भ में, राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एस०डी०आर०एफ०) के अन्तर्गत ₹ 190.89 करोड़ का अवशेष था। एस०डी०आर०एफ० के मार्गनिर्देशों के अनुसार अनिवेशित अवशेष की राशि पर अर्थोपाय अग्रिम पर देय औसत व्याज की दर से व्याज की गणना की जानी थी। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 14.32 करोड़ व्याज की राशि (वर्ष 2014–15 के लिए अर्थोपाय अग्रिम की औसत व्याज दर 7.5 प्रतिशत पर) का भुगतान नहीं किया गया। जिसकी वजह से राजस्व आधिक्य में ₹ 14.32 करोड़ की अतिशयता रही। यह तथ्य, कि राज्य सरकार द्वारा निधि का संचालन लगातार बिना व्याज वाले अरक्षित निधियों के अन्तर्गत किया जा रहा है, राज्य सरकार के सम्पूर्ण कार्पस् को प्रभावित करता है। पुनःच, निधि के अंतर्गत समस्त लेन देन का संचालन पुस्तक समायोजन के माध्यम से किया जाता है, अतः निधि के अन्तर्गत कोई वास्तविक रोकड़ अवशेष उपलब्ध नहीं है।
-	4,442.40	5,296.24	14.49	; kx
	₹ 4,442.40 क्षमता	₹ 5,296.24 क्षमता	₹ 14.49 क्षमता	₹ 5,281.75 क्षमता

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

व्यय एवं प्राप्ति शीर्षों के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन एवं लेखांकन के कारण राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभावस्वरूप राजस्व आधिक्य में ₹ 5,281.75 करोड़ की अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में ₹ 4,442.40 करोड़ की न्यूनता हुई।

### 1.10 क्रेडिट्स/क्रेडिट्स

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण किया जाये जो राज्य की ऋण संवहनीयता का निर्धारण करते हैं। प्रतिवेदन का यह प्रभाग ऋणों में स्थिरता, गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता, उधार ली गई धनराशियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार की प्रत्याभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में सरकार के ऋणों की संवहनीयता का आकलन करता है।

पाँच वर्षों की अवधि (वर्ष 2010–15) के लिये ऋण संवहनीयता सूचकांक | क्र.ख 1-36 से प्रदर्शित होता है।

| क्र.ख 1-36% क्रेडिट्स/क्रेडिट्स |

(₹ करोड़ में)

<u>क्रेडिट्स/क्रेडिट्स</u>	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
क्रेडिट्स का अनुपात (\$ क्रेडिट्स का अनुपात)	23,413	23,134	10,282	17,695	(-)4,465
गैर-ऋण प्राप्तियों की प्रचुरता (संसाधन अंतराल)	1,445	1,815	(-)3,805	(-)4,442	(-)8,833
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	8,915	3,051	(-)463	4,741	7,352
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	13	12	12	10	10
बकाया ऋण	2,24,785	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,88,487	6,87,836	7,69,729	8,90,265	9,76,297
बकाया ऋण (राजकोषीय देयतायें)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	38	35	34	32	32

संसाधन अंतराल: वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के राजस्व प्राप्तियों एवं ऋण रहित पूँजीगत प्राप्तियों का अंतर (-) वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के कुल व्यय का अंतर

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ऋण संवहनीयता के सन्दर्भ में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में स्थिर रहे। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात अधिक होगा जो इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोकऋणों का स्तर असंवहनीय है। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा धनात्मक है तो ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात कम होगा जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण संवहनीय स्तर का है।

| क्र.ख से प्रदर्शित है कि वर्ष 2010–14 की अवधि में प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटे का योग धनात्मक रहा जो लोक ऋण के संवहनीय स्तर को इंगित करता है। यद्यपि, प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा वर्ष 2014–15 में ऋणात्मक (₹ -4,465 करोड़) हो गया जो वर्ष 2014–15 के दौरान लोक ऋण की असंवहनीयता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 32 प्रतिशत था जो राज्य द्वारा ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संसाधन जुटाने के प्रयास की आवश्यकता को इंगित करता है।

### 1.10.1 fy; s x; s m/kkj dh fuoy mi yC/krk

वर्ष 2010–15 की अवधि में ब्याज एवं ऋणों के पुनर्भुगतान के पश्चात आन्तरिक ऋणों एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों से धनराशियों की शुद्ध उपलब्धता ऋणात्मक 1.05 प्रतिशत एवं 16.14 प्रतिशत के मध्य रही।

I kj . kh 1-37 में उधार लिये गये निधियों की प्राप्ति, पुनर्भुगतान एवं निवल उपलब्धता को दर्शाया गया है।

I kj . kh 1-37% fy; s x; s m/kkj dh fuoy mi yC/krk

(₹ करोड़ में)

fooj . k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	55,236	49,849	44,039	55,057	71,455
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	46,321	46,797	44,502	50,316	64,103
उपलब्ध निवल निधियाँ	8,915	3,051	(-)463	4,741	7,352
उपलब्ध निवल निधियाँ (प्राप्तियों के प्रतिशत में)	16.14	6.12	(-)1.05	8.61	10.29

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

I kj . kh से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्तियाँ, राज्य सरकार द्वारा किये गये ₹ 8,050.64 करोड़ के आन्तरिक ऋण भुगतान से, भारत सरकार के ऋण ₹ 1,360.57 करोड़ तथा ₹ 18,865 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 35,893.10 करोड़ के अन्य दायित्वों के भुगतान से अधिक थी, परिणामस्वरूप लिये गये उधार की निधियों की उपलब्धता वर्ष 2013–14 के 8.61 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 के अंत तक 10.29 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2010–15 की अवधि में ऋण उन्मोचन अनुपात की प्रवृत्तियाँ 84 प्रतिशत एवं 101 प्रतिशत के मध्य रही।


### 1.10.2 cktkj dtl dh i fj i Dork i kQkby

राज्य के बकाया ऋणों का 40.49 प्रतिशत सात वर्ष अथवा अधिक की परिपक्वता अवधि से संबंधित है। I kj . kh 1-38 एवं pkVl 1-14 में राज्य के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल दी गयी है।

I kj . kh 1-38% jkT; ds \_\_.kk dh i fj i Dork i kQkby

(₹ करोड़ में)

i fj i Dork i kQkby	vkUrfj d __.k	dflnI jdkj }jk fn; k x; k __.k , oafvfxie	; kx	ifr'kr
0 – 1 वर्ष	11,780	1,339	13,119	6.64
1 – 3 वर्ष	19,109	2,741	21,850	11.05
3 – 5 वर्ष	37,509	2,803	40,312	20.39
5 – 7 वर्ष	38,418	2,843	41,261	20.88
7 वर्ष और अधिक	75,289	4,736	80,025	40.49
राज्य सरकार से मिलान के अधीन	1,086	00	1,086	0.55
	1,83,191	14,462	1,97,653	100



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014-15)


प्रक्षेपण 1-14 से यह दर्शित होता है कि एक वर्ष एवं सात वर्षों और अधिक के ऋणों के पुनर्भुगतान एकत्र होकर पुनर्भुगतान के भार को विकट बनाता है।


### 1.11 जटिलकारी विवरण

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचलों—राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा—से राज्य के वित्त में एक निश्चित अवधि में सकल राजकोषीय असंतुलन की सीमा प्रदर्शित होती है। राज्य सरकार के लेखे में प्राप्तियों और व्ययों में अन्तर घाटे को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति राज्य सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सूचक है। पुनः, जिस तरह से घाटे का वित्त—पोषण किया जाता है तथा जिस तरह से सृजित संसाधनों का उपयोग किया जाता है वह राजकोषीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रतिवेदन का यह प्रभाग घाटे की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और वित्त—पोषण करने के तरीकों को प्रस्तुत करता है एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004/वित्तीय वर्ष 2014-15 के नियमों के लिए निश्चित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है।

#### 1.11.1 राजस्व विवरण

प्रक्षेपण 1-15 और 1-16 में वर्ष 2010-15 की अवधि में घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।





(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए निश्चित किए गये राजकोषीय लक्ष्य में राजस्व घाटे को मार्च 2010 तक शून्य किया जाना था। यह अधिनियम वर्ष 2011 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2014–15 के अन्त तक राजस्व घाटा शून्य तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य वर्ष 2006–07 में प्राप्त कर लिया था तथा वर्ष 2014–15 तक सतत राजस्व आधिक्य था। वर्ष 2014–15 के अंत तक राज्य के पास ₹ 22,394 करोड़ का राजस्व आधिक्य है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2010–11 के ₹ 17,248 करोड़ से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ हो गया, परन्तु पुनः बढ़त की प्रवृत्ति दर्शाते हुए वर्ष 2013–14 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में ₹ 32,513 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः पूँजीगत व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि (62 प्रतिशत) के कारण हुयी। वित्तीय वर्ष 2014–15 की समाप्ति पर राज्य का प्राथमिक घाटा ₹ 13,648 करोड़ था। यह वर्ष 2013–14 की तुलना में राजकोषीय घाटे में ₹ 8,833 करोड़ की वृद्धि के कारण हुयी (pkVl 1-15)।

### 1.11.2 jktdksh; ?kkVs dk | fkvu , oab dh foRrh; i dfRr

राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों पर राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय, ऋणों एवं अप्रिमों सहित, की अधिकता के कारण राज्य सरकार के कुल उधार लेने की आवश्यकता राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटे के विभिन्न घटकों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों पर आधिक्य को पूरा करने हेतु किस सीमा तक उधार लिया गया था। राजकोषीय घाटे के वित्तीय प्रवृत्ति को I kj . kh 1-39 में प्रदर्शित किया गया है।

### I kj . kh 1-39: jkt dks"kh; ?kkVk , oq bl ds foRrh; i pfRr ds ?kVd

₹ करोड़ में

fooj . k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>jkt dks"kh; ?kkVs dk fo?Vu</b>					
jkt dks"kh; ?kkVk Y1 ls 3 rd%, oq dks"Bd e nh x; h I a[; k l dy jKT; ?kjy mRi kn ls cfr'kr gA	17,248 (2.93)	15,433 (2.24)	19,238 (2.50)	23,680 (2.66)	32,513 (3.33)
1 राजस्व घाटा(+)/आधिक्य(−)	(-)3,508	(-) 6,984	(-)5,180	(-)10,067	(-)22,394
2 निवल पूंजीगत व्यय	20,273	21,574	23,834	32,863	53,297
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	483	843	584	884	1,610
<b>jkt dks"kh; ?kkVs dh foRrh; çofük*</b>					
1 बाजार कर्ज	10,074	12,834	6,263	5,054	13,513
2 भारत सरकार से ऋण	(-)937	(-) 999	(-)1,099	(-)1,075	(-) 875
3 एन. एस. एस. एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	5,415	395	2,429	2,768	6,325
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-)541	(-) 865	(-) 681	(-)12	7,146
5 लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	4,871	3,630	3,342	2,363	1,686
6 निक्षेप एवं अग्रिम	1,843	(-) 2,038	1,753	5,037	1,050
7 उचन्त एव विविध	757	608	3,540	(-)9,637	535
8 प्रेषण	367	(-) 209	986	(-)98	1,608
9 अन्य (जैसे आकस्मिकता निधि के अंतर्गत लेन—देन, आरक्षित निधि, नकद अवशेष एव निवेश)	(-)4,601	2,077	2,705	19,280	1,525
<b>jkt dks"kh; ?kkVk</b>	<b>17,248</b>	<b>15,433</b>	<b>19,238</b>	<b>23,680</b>	<b>32,513</b>

\*ये सभी आंकड़े वर्ष के अंतर्गत वितरण/व्यय का निवल हैं।

(प्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 15,433 करोड़ (2011–12) एवं ₹ 32,513 करोड़ (2014–15) के मध्य था। राजकोषीय घाटा, विगत वर्ष के ₹ 23,680 करोड़ से बढ़कर (37 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 32,513 करोड़ हो गया।

### 1.11.3 ?kkVs@vkf/kD; dh xq koRrk

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में विघटन एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की राशियों का उपयोग किया गया। अग्रेतर, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अनुपात का लगातार उच्च स्तर पर बने रहना यह इंगित करता है कि राज्य की परिसम्पत्तियों का आधार लगातार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा तक उधार (राजकोषीय देयताएं) राज्य की परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है। प्राथमिक घाटे (I kj . kh 1-40) में विभाजन उस सीमा की ओर इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्राथमिक घाटा हुआ जो राज्य की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

### I kj . kh 1-40: i kFfed ?kkV@vkf/kD; &?kVdk dk foHkku

₹ करोड में)

o"kl	xj &_.k ikflr; k	i kFfed jktLo 0; ;	i nthxr 0; ;	_.k , oa vfxie	i kFfed 0; ;	i kFfed jktLo vkf/kD; %\$%	i kFfed ?kkV@ vkf/kD; %\$%
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2010-11	1,11,669	93,460	20,273	968	1,14,701	(+) 18,209	(-) 3,032
2011-12	1,31,002	1,08,404	21,574	976	1,30,954	(+) 22,598	(+) 48
2012-13	1,46,323	1,23,803	23,834	1,003	1,48,640	(+) 22,520	(-) 2,317
2013-14	1,68,803	1,40,735	32,863	1,473	1,75,071	(+) 28,068	(-) 6,268
2014-15	1,93,684	1,52,162	53,297	1,873	2,07,332	(+) 41,522	(-) 13,648

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

● वर्ष 2010-15 की अवधि में, गैर-ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 के ₹ 1,11,669 करोड़ से बढ़कर (73 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,93,684 करोड़ हो गयी।

● सरकार का प्राथमिक घाटा ₹ 2,317 करोड़ (वर्ष 2012-13) से वर्ष 2014-15 में ₹ 13,648 करोड़ के मध्य रहा क्योंकि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों की एक साथ पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थीं।

### 1.11.4 jkT; dh foRrh; fLFkfr

विभिन्न प्राचल जैसे राजकोषीय घाटा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को निश्चित करने के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान इन प्राचलों के साथ-साथ इनकी वृद्धि दर की स्थिति। I kj . kh 1-41 में दी गयी है।

### I kj . kh 1-41: jkT; dh foRrh; fLFkfr

₹ करोड में)

fooj . k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,88,467	6,87,836	7,69,729	8,90,265	9,76,297
राजस्व प्राप्तियाँ	1,11,184	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 17,248	(-) 15,433	(-) 19,238	(-) 23,680	(-) 32,513
राजकोषीय घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.93	(-) 2.24	(-) 2.50	(-) 2.66	(-) 3.33
राजकोषीय घाटा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8	13	25	23	37
राजकोषीय देयतायें	2,24,785	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859
राजकोषीय देयतायें/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	38	35	34	32	32
राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11	8	7	9	9
राजकोषीय देयतायें/ राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	202	186	178	167	159

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.33 प्रतिशत रहा जो विगत पांच वर्षों में पहली बार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के तीन प्रतिशत लक्ष्य से 0.33 प्रतिशत अधिक रहा। राजकोषीय घाटे के वृद्धि की वार्षिक दर में भी वर्ष 2010-11 के केवल आठ प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो राजकोषीय असंतुलन को प्रदर्शित करती

है। राजकोषीय घाटे के उच्चतर स्तर के लिये उच्चतर राजस्व व्यय एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत अधिक आवंटन उत्तरदायी है। ₹ 32,513 करोड़ का राजकोषीय घाटा बाजार ऋण की वृद्धि एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण इत्यादि के द्वारा वित्त पोषित था। यद्यपि, वर्ष 2010–15 के दौरान राजकोषीय देयताओं का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 202 प्रतिशत से 159 प्रतिशत तक कम हुआ जो उच्चतर राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में ऋण संवहनीयता के स्तर में सुधार को प्रदर्शित करता है।

### **1.12 fu<sup>d</sup>"k<sup>l</sup> , o<sup>a</sup> | L<sup>r</sup>f<sup>r</sup>; k<sup>j</sup> jkt<sup>dk</sup>s<sup>k</sup>h; fLFkfr d<sup>h</sup> | eh{kk**

- राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य था जिसका प्रमुख कारण राजस्व प्राप्तियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि है जबकि राजस्व व्यय में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटा में तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम तीन प्रतिशत के लक्ष्य से बढ़कर 3.33 प्रतिशत (0.33 प्रतिशत अधिक) रहा। यद्यपि, वर्ष 2014–15 के अंत में कुल बकाया ऋण (₹ 3,07,859 करोड़) का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 9,76,297 करोड़) से अनुपात बजट अनुमान के लक्ष्य (27.80 प्रतिशत) से अधिक था लेकिन तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित लक्ष्य (41.90 प्रतिशत) से कम था।

### **r<sup>j</sup>go<sup>a</sup>fokr v<sup>k</sup>; k<sup>x</sup> d<sup>h</sup> vu<sup>d</sup>k<sup>l</sup>kkv<sup>k</sup> ds v<sup>U</sup>rx<sup>l</sup> i<sup>k</sup>lr vu<sup>p</sup>ku**

- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत शासन ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 5,160.17 करोड़ प्राप्त किया। यद्यपि, ₹ 5,160.17 करोड़ में से ₹ 1,875.39 करोड़ (36 प्रतिशत) निधियों के कम उपयोग किये जाने के कारण सरकार के लेखे में व्यपगत हो गई, जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कमी को दर्शाता है।

### **c<sup>T</sup>V vu<sup>p</sup>ku , o<sup>a</sup> okLrfod v<sup>k</sup>dkM<sup>f</sup>**

- वर्ष 2014–15 में प्राप्तियों और व्यय का स्वरूप तैयार किये गये मूल बजट के स्तर से भिन्न था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। ₹ 1,93,422 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां और ₹ 1,71,027 करोड़ का राजस्व व्यय बजट अनुमान के राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,26,419 करोड़) और राजस्व व्यय (₹ 1,97,425 करोड़) से कम था। ब्याज भुगतान और ऋण सेवायें (₹ 23,364 करोड़) बजट अनुमान (₹ 26,584 करोड़) से कम (₹ 3,220 करोड़) थीं।

संस्तुति: बजट अनुमानों एवं वास्तविक व्ययों में भिन्नता को कम करने के लिए अनवरत निगरानी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

### **jKTkLo i<sup>k</sup>f<sup>l</sup>r; k<sup>j</sup>**

- jKTkLo i<sup>k</sup>f<sup>l</sup>r; k<sup>j</sup> में वर्ष 2013–14 के सापेक्ष ₹ 25,208 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार से अनुदान (₹ 10,286 करोड़; 46 प्रतिशत), कर राजस्व (₹ 7,590 करोड़; 11 प्रतिशत) और केन्द्रीय करों में राज्यांश (₹ 3,846 करोड़; छ: प्रतिशत) था। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत (वर्ष 2013–14 की

तुलना में) स्वयं के कर राजस्व में बजट भाषण में की गई 17 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा के सापेक्ष 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### jKTkLo ॥;

- वर्ष 2014–15 के दौरान, 2013–14 के सापेक्ष राजस्व व्यय (₹ 1,71,027 करोड़) में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई और आयोजनागत व्यय (₹ 33,262 करोड़) तथा आयोजनेत्तर व्यय (₹ 1,37,765 करोड़) में क्रमशः पांच प्रतिशत और नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत वृद्धि राज्य के सेवाओं एवं अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि को दर्शाता है।

### iñthxr ॥;

- विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2014–15 के दौरान पूंजीगत व्यय में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत आयोजनागत और आयोजनत्तर व्यय में विगत वर्ष के सापेक्ष क्रमशः 45 प्रतिशत एवं 294 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

संस्तुति: शासन को अनुत्पादक व्यय से बचना चाहिये साथ ही स्थिर और लाभप्रद सेवाओं की सुपुर्दगी भी सुनिश्चित करनी चाहिये।

### ykd ॥; dh i; krrk

- वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार द्वारा विकास व्यय को पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता नहीं दी गयी क्योंकि इसका कुल व्यय से अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था।

संस्तुति: राज्य सरकार द्वारा विकास व्यय को बेहतर सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के लिए राजकोषीय प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

### vi॥kz i fj; kst uk; ॥

- अपूर्ण 545 परियोजनाओं पर ₹ 7,714 करोड़ का व्यय हुआ (मार्च 2015) जिसका सार्थक लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

संस्तुति: अपूर्ण कार्यों पर निधियों का अवरोध व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है।

### jKT; dh foRrh; fLFkfr

- राजकोषीय घाटे की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2010–11 के आठ प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014–15 में 37 प्रतिशत हो गयी जो बढ़ते राजकोषीय असंतुलन को दर्शाती है। यद्यपि, राजस्व प्राप्ति के अनुपात में राजकोषीय देयताओं के घटने की प्रवृत्ति राज्य में ऋण संवहनीयता की स्थिति में सुधार को दर्शाता है।

---

---

v/; k; **2**  
foRrh; i zcU/ku , o@ ctVh; fu; a=.k

---

---

v/; k; 2

fɔRrh; i tʃu/ku , o:tVh; fu; h. k

## 2.1 i Lrkouk

**2.1.1** विनियोग लेखे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किये गये दत्तमत एवं भारित व्ययों का लेखा-जोखा हैं, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम, 2014 के साथ संलग्न की गयी सूचियों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्धारित अनुदानों एवं विनियोगों से की जाती है। इन लेखों में उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत मदों की धनराशियों के सापेक्ष मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोगों की धनराशियों एवं विशिष्ट सेवाओं पर हुए वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण दिया जाता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे वित्त प्रबंधन एवं बजट के प्रावधानों के अनुश्रवण को सुसाध्य बनाने के लिये एक नियन्त्रण अभिलेख है और इस कारण यह वित्त लेखे के पूरक हैं।

**2.1.2** भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत थीं एवं संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भारित होने वाला व्यय उस पर भारित था। लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधि सम्मत नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

## 2.2 fofu; kx ys[kk] dk | f{klr fooj . k

बजट मैनुअल के प्रस्तर 141 के अनुसार वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धनराशि, जो अंतिम विवरण में बचत दर्शायी गयी है, नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपयोग में नहीं लायी जायेगी। सभी अंतिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को समर्पित कर देना चाहिये।

वर्ष 2014–15 की अवधि में 94 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति | kj . kh 2-1 में दी गयी है।

| kj . kh 2-1% ely@vuij j d i ko/kkuks ds | ki s̄k fd; s x; s  
okLrfod 0; ; dhs | f{klr fLFkfr

₹ dj KM+el

0; ; dk Lo: i	ely vupku@ fofu; kx	vuij j d vupku@ fofu; kx	; kx vupku@ fofu; kx	okLrfod 0; ;	cpr	vH; fi l̄ /kuj kf' k	31 ekpl dks vH; fi l̄ /kuj kf' k	31 ekpl dks vH; fi l̄ cpr dh i fr' krrk
1	2	3	4	5	6	7	8	dk-7@dk-6
nūker	I राजस्व	1,72,264.13	6,611.81	1,78,875.94	1,49,660.00	29,215.94	16,374.84	16,374.84
	II पूंजीगत	67,997.14	7,714.66	75,711.80	66,734.54	8,977.26	7,224.75	7,224.75
	III ऋण तथा अप्रिम	1,909.67	514.50	2,424.17	1,872.64	551.53	324.08	324.08
; kx nūker		<b>2,42,170.94</b>	<b>14,840.97</b>	<b>2,57,011.91</b>	<b>2,18,267.18</b>	<b>38,744.73</b>	<b>23,923.67</b>	<b>23,923.67</b>
Hkkfj r	IV राजस्व	26,926.14	15.17	26,941.31	23,671.87	3,269.44	320.14	320.14
	V पूंजीगत	510.83	0	510.83	454.17	56.66	43.78	43.78
	VI लोकऋण— पुनर्भुगतान	19,383.88	0	19,383.88	9,411.21	9,972.67	8,268.15	8,268.15
; kx Hkkfj r		<b>46,820.85</b>	<b>15.17</b>	<b>46,836.02</b>	<b>33,537.25</b>	<b>13,298.77</b>	<b>8,632.07</b>	<b>8,632.07</b>
egk; kx		<b>2,88,991.79</b>	<b>14,856.14</b>	<b>3,03,847.93</b>	<b>2,51,804.43</b>	<b>52,043.50</b>	<b>32,555.74</b>	<b>32,555.74</b>

ukv% okLrfod 0; ; ds vkdMks eftl eñ nūker jktLo 0; ; ₹ 2,304.54 dj KM, oñ nrer iñthxr 0; ; ₹ 13,891.43 dj KM ds vñrxr ol fy; k dks 0; ; eñls ?Vkdj l ek; kñtr dj rs gñ lñefyrd fd; k x; k gñ

(स्रोत: विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज वर्ष 2014–15)

| kj . kh 2-1 दर्शाती है कि ₹ 52,043.50 करोड़ की कुल बचत कुल अनुदान/विनियोग (₹ 3,03,847.93 करोड़) का 17 प्रतिशत थी। कुल बचत (₹ 52,043.50 करोड़) में से ₹ 32,555.74 करोड़ समर्पित किया गया, जो कुल बचत का 63 प्रतिशत थी। दत्तमत अनुभाग के अधीन बचतें (₹ 38,744.73 करोड़), कुल अनुदानों (₹ 2,57,011.91 करोड़) का 15 प्रतिशत थीं। इसमें से ₹ 23,923.67 करोड़ की धनराशि 31 मार्च 2015 को समर्पित की गयी, जो बचत का 62 प्रतिशत थी। भारित अनुभाग के अंतर्गत कुल बचतें ₹ 13,298.77 करोड़ कुल विनियोग (₹ 46,836.02 करोड़) का 28 प्रतिशत थीं। कुल बचतों में से ₹ 8,632.07 करोड़ 31 मार्च 2015 को समर्पित किया गया, जो बचतों का 65 प्रतिशत थीं।

राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 125 प्रकरणों तथा ऋण सहित (लोक ऋण पुनर्भुगतान) पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 76 प्रकरणों में ₹ 55,351.80 करोड़ की बचतों के परिणामस्वरूप ₹ 52,043.50 करोड़ की कुल बचतें हुईं जो राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के छ: प्रकरणों तथा पूंजीगत अनुभाग के छ: प्रकरणों में ₹ 3,308.30 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुईं।

### 2.3 foRrh; mRrj nkf; Ro rFkk ctV i cU/ku

#### 2.3.1 vkoñ/uñ; i kFkfedrkvñ ds | ki s̄k fofu; kx

विनियोग लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 136 प्रकरणों में प्रत्येक में बचतें ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक थीं ¼/fj/f'k'V 2-1/। ₹ 55,351.80 करोड़ की कुल बचतों के सापेक्ष 33 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 47 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में ₹ 52,902.17 करोड़ (96 प्रतिशत) की बचत पायी गयी, जिनका विवरण | kj . kh 2-2 में दिया गया है।

Lkkj . kh 2-2% ₹ 100 dj kM+ ; k ml l s vf/kd dh cpr okys vupku

₹ dj kM+ e

00 1 0	vupku   a[; k	vupku dk uke	i ko/kku			okLrfod 0; ;	cpr 1
			ely vupku	vuijj d	dly vupku		
jktLo &nuker							
1.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,797.56	224.26	3,021.82	2,596.44	425.38
2.	12	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	500.54	0.00	500.54	231.20	269.34
3.	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,974.09	0.40	1,974.49	1,574.75	399.74
4.	14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	6,009.48	557.89	6,567.37	4,199.10	2,368.27
5.	26	गृह विभाग (पुलिस)	11,641.86	2.12	11,643.98	10,649.89	994.09
6.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4,111.43	255.83	4,367.26	3,695.12	672.14
7.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	597.08	0.00	597.08	491.55	105.53
8.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	3,618.60	7.70	3,626.30	3,415.59	210.71
9.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	549.22	0.00	549.22	359.14	190.08
10.	37	नगर विकास विभाग	4,978.83	568.61	5,547.44	2,785.32	2,762.12
11.	40	नियोजन विभाग	305.58	6.32	311.90	161.96	149.94
12.	42	न्याय विभाग	1,427.27	15.00	1,442.27	1,111.62	330.65
13.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,694.91	0.35	1,695.26	879.86	815.40
14.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,069.81	101.10	5,170.91	4,800.87	370.04
15.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	779.45	1.92	781.37	605.29	176.08
16.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	494.81	198.00	692.81	487.31	205.50
17.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	2,837.78	60.00	2,897.78	2,560.38	337.40
18.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,806.52	21.00	1,827.52	561.84	1,265.68
19.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	11,043.60	0.02	11,043.62	10,933.98	109.64
20.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	24,296.58	5.15	24,301.73	20,472.20	3,829.53
21.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	416.55	0.40	416.95	247.13	169.82
22.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	27,215.55	74.69	27,290.24	22,899.70	4,390.54
23.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	7,229.39	25.50	7,254.89	6,467.14	787.75
24.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,042.50	18.04	2,060.54	1,638.15	422.39
25.	77	श्रम विभाग (रोजगार)	455.37	0.00	455.37	232.90	222.47
26.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1,509.52	1.45	1,510.97	908.64	602.33
27.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	5,070.96	0.00	5,070.96	3,458.11	1,612.85

28.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,315.95	150.33	9,466.28	6,956.34	2,509.94
29.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,522.71	646.39	3,169.10	2,423.15	745.95
30.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	3,217.16	0.00	3,217.16	2,477.86	739.30
		; kx	<b>1,45,530.66</b>	<b>2,942.47</b>	<b>1,48,473.13</b>	<b>1,20,282.53</b>	<b>28,190.60</b>
<i>jktLo - Hkkfj r</i>							
31.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	26,228.78	0.00	26,228.78	23,016.99	3,211.79
		; kx	<b>26,228.78</b>	<b>0.00</b>	<b>26,228.78</b>	<b>23,016.99</b>	<b>3,211.79</b>
<i>i thxr - nÜker</i>							
32.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	3,279.78	141.66	3,421.44	2,964.56	456.88
33.	9	ऊर्जा विभाग	11,096.18	2,295.56	13,391.74	11,776.74	1,615.00
34.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	809.00	156.75	965.75	679.58	286.17
35.	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	9,025.66	1,398.02	10,423.68	8,405.78	2,017.90
36.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	7,776.51	0.00	7,776.51	5,584.47	2,192.04
37.	26	गृह विभाग (पुलिस)	757.80	107.97	865.77	754.93	110.84
38.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	1,059.01	0.00	1,059.01	6.24	1,052.77
39.	42	न्याय विभाग	725.63	13.50	739.13	585.24	153.89
40.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	999.98	0.00	999.98	359.54	640.44
41.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	169.66	0.00	169.66	69.53	100.13
42.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	274.14	0.00	274.14	144.73	129.41
43.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	2,221.40	0.00	2,221.40	2,104.65	116.75
44.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	648.11	11.00	659.11	302.40	356.71
45.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	6,691.20	1,181.43	7,872.63	6,237.87	1,634.76
46.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	5,044.86	316.05	5,360.91	4,696.28	664.63
		; kx	<b>50,578.92</b>	<b>5,621.94</b>	<b>56,200.86</b>	<b>44,672.54</b>	<b>11,528.32</b>
<i>i thxr &amp;Hkkfj r</i>							
47.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	19,331.17	0.00	19,331.17	9,359.71	9,971.46
		; kx	<b>19,331.17</b>	<b>0.00</b>	<b>19,331.17</b>	<b>9,359.71</b>	<b>9,971.46</b>
		egk; kx	<b>2,41,669.53</b>	<b>8,564.41</b>	<b>2,50,233.94</b>	<b>1,97,331.77</b>	<b>52,902.17</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2014–15)

| kj . kh यह दर्शाती है कि ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व दत्तमत के अंतर्गत (14 अनुदानों) अनुदान संख्या 14—कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), 26—गृह विभाग (पुलिस), 32—चिकित्सा विभाग (एलोपैथी), 37—नगर विकास विभाग, 48—अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 54—लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), 62—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन), 71—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), 79—समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण),

80— समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण),  
 83—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना),  
 94—सिंचाई विभाग (निर्माण) एवं 95—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में हुई। इसी प्रकार, ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें पूँजीगत दत्तमत के अंतर्गत (सात अनुदानों) अनुदान संख्या 9— ऊर्जा विभाग, 13— कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), 21—खाद्य एवं रसद विभाग, 35— चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), 48— अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 83—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) एवं 94—सिंचाई विभाग (निर्माण) में भी रही। इसी प्रकार, ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व भारित के साथ—साथ पूँजीगत भारित के अन्तर्गत अनुदान संख्या 61— वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) में भी रही।

वर्ष 2014–15 में जिन 19 अनुदानों में बचतें (₹ 500 करोड़ से अधिक की) हुई उनके नाम हैं— 9— ऊर्जा विभाग, 13— कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), 14—कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), 21—खाद्य एवं रसद विभाग, 26—गृह विभाग (पुलिस), 32—चिकित्सा विभाग (एलोपैथी), 35— चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), 37— नगर विकास विभाग, 48—अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 54—लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), 61—वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय), 62—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेशन), 71—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), 79— समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), 80—समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), 83—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), 94—सिंचाई विभाग (निर्माण) एवं 95—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)।

विगत वर्ष में हुई बचत से तुलना करने पर पाया गया कि (₹ 500 करोड़ से अधिक) 19 अनुदानों में से 13 अनुदानों में बचत हुई जैसा। kj . kh 2-3 में विवरण दिया गया है।

। kj . kh 2-3% cpr n' kkls okys vupku

₹ करोड़ में)

00 । ०	vupku । ॥; ॥	vupku dk uke	o"kl ds nkjku gpl cpr॥ ॥₹ 500 dj km+ vkj vf/kd॥	
			2013&14	2014&15
1.	21	खाद्य एवं रसद विभाग—पूँजीगत दत्तमत	4,664.82	2,192.04
2.	26	गृह विभाग (पुलिस)— राजस्व दत्तमत	982.88	994.09
3.	37	नगर विकास विभाग – राजस्व दत्तमत	654.69	2,762.12
4.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) – राजस्व दत्तमत	1,041.27	1,265.68
5.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय)—पूँजीगत भारित	9,840.02	9,971.46
6.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेशन) – राजस्व दत्तमत	1,833.47	3,829.53
7.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)–राजस्व दत्तमत	2,567.23	4,390.54
8.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)– राजस्व दत्तमत	874.11	787.75
9.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)–राजस्व दत्तमत	1,315.74	2,509.94
10.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)– पूँजीगत दत्तमत	524.04	1,634.76
11.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण) – राजस्व दत्तमत	738.76	745.95
12.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण) – पूँजीगत दत्तमत	1,756.34	664.63
13.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) – राजस्व दत्तमत	597.47	739.30

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2013–14 एवं 2014–15)

वर्ष 2014–15 में प्रावधानित अनुदानों/विनियोगों में से अत्यधिक धनराशियों की बचत आवश्यकताओं का अनुचित आकलन दर्शाता है।

### 2.3.2 vuoj r cpr

सोलह अनुदानों के अन्तर्गत 18 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक) हो रही थी। इसका विवरण। kj.kh 2-4 में दिया गया है। वर्ष 2014–15 में यह बचत ₹ 110.84 करोड़ (पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अनुदान संख्या 26—गृह विभाग—पुलिस) एवं ₹ 9,971.46 करोड़ (पूँजीगत भारित अनुभाग के अनुदान संख्या 61—वित्त विभाग—ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय) के मध्य थी।

I kj.kh 2-4% vuoj r cprkj okys vupku dk fooj .k

(₹ करोड़ में)

00 10	vupku 1. 10; k	vupku dk uke	cpr dh /kj kf' k				
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
jktLo&nÜker							
1.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	217.67	766.36	644.92	596.10	425.39
2.	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	148.94	134.32	103.79	201.09	399.75
3.	14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	226.92	211.62	907.53	462.21	2,368.27
4.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	203.62	145.70	403.79	471.31	672.14
5.	37	नगर विकास विभाग	711.79	625.51	238.51	654.69	2,762.12
6.	42	न्याय विभाग	230.59	172.36	178.52	223.31	330.65
7.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	180.62	636.10	372.97	271.58	370.04
8.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	396.56	238.54	681.45	1,041.27	1,265.68
9.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	785.84	582.87	1,276.77	874.11	787.75
10.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	571.89	745.76	816.09	348.28	422.39
11.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	110.33	792.46	1,762.10	1,315.74	2,509.94
; kx			<b>3,784.77</b>	<b>5,051.60</b>	<b>7,386.44</b>	<b>6,459.69</b>	<b>12,314.12</b>
i tthxr&nÜker							
12.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	3,963.00	1,811.79	1,039.49	4,664.82	2,192.04
13.	26	गृह विभाग (पुलिस)	356.13	488.36	363.24	126.51	110.84
14.	48	अत्प्रसंख्यक कल्याण विभाग	165.56	373.36	164.73	148.22	640.44
15.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	153.04	401.78	222.64	190.59	116.75
16.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	103.62	415.46	588.84	524.04	1634.76
17.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	1,086.27	734.86	805.77	1,756.34	664.63
; kx			<b>5,827.62</b>	<b>4,225.61</b>	<b>3,184.71</b>	<b>7,410.52</b>	<b>5,359.46</b>
i tthxr-Hkkfjr							
18.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	9,288.06	9,999.25	9,934.16	9,840.02	9,971.46
; kx			<b>9,288.06</b>	<b>9,999.25</b>	<b>9,934.16</b>	<b>9,840.02</b>	<b>9,971.46</b>

(चोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

| kj . kh दर्शाती है कि विगत पाँच वर्षों में अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक) राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के ₹ 6,459.69 करोड़ से बढ़कर (₹ 5,854.43 करोड़; 91 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 12,314.12 करोड़ हो गयी। बचत मुख्यतः अनुदान संख्या 14— कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ₹ 1,906.06 करोड़ (412 प्रतिशत), अनुदान संख्या 37— नगर विकास विभाग ₹ 2,107.43 करोड़ (322 प्रतिशत) और अनुदान संख्या 83— समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) ₹ 1,194.20 करोड़ (91 प्रतिशत), के अन्तर्गत थी।

इसी प्रकार, पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों में अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक) अनुदान संख्या 48— अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में वर्ष 2013–14 के ₹ 148.22 करोड़ से बढ़कर (₹ 492.22 करोड़; 332 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 640.44 करोड़ और अनुदान संख्या 83— समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) में वर्ष 2013–14 में बचत ₹ 524.04 करोड़ से बढ़कर (₹ 1,110.72 करोड़; 212 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 में ₹ 1,634.76 करोड़ थी।

अनुदानों की पर्याप्त संख्या में वर्ष भर अनवरत बचतें, धन की आवश्यकता एवं व्यय के प्रवाह की बिना उचित जाँच के राज्य सरकार द्वारा लगातार निधि की आवश्यकताओं का अनुचित आकलन दर्शाता है।

### 2.3.3 ०; ; kf/kD;

छ: अनुदानों के सात प्रकरणों में ₹ 19,773.49 करोड़ के व्यय की धनराशि अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 3,288.28 करोड़ अधिक थी, जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक का व्यय था। इसका विवरण /f/f'k"V 2-2 में दिया गया है।

| kj . kh 2-5 के विवरणानुसार निम्नलिखित अनुदानों में लगातार विगत पाँच वर्षों में 2014-15 के अंत तक व्याधिक्य पाया गया।

| kj . kh 2-5% vuoj r vf/kd ०; ; १११ EcflU/kr vuqku dk fooj . k

(₹ करोड़ में)

०० । ०	vuqku   af; k , ०॥ uke	०; ; kf/kD; dh /kj kf' k				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
jktLo&nÜker						
1.	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	121.37	106.77	166.12	204.95	310.73
i ithx&nÜker						
2.	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	144.20	54.55	71.97	70.68	47.23
3.	58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	1,152.14	1,068.66	2,152.37	3,131.34	2,430.21

(प्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत अनुदान संख्या 58— लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें) एवं पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत अनुदान संख्या 55 — लोक निर्माण विभाग (भवन) व अनुदान संख्या 58— लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें) में

वर्ष 2010–15 की अवधि में अनवरत व्यय का आधिक्य बजट निर्माण के समय मांगों का कम आकलन प्रदर्शित करता है।

### 2.3.4 वर्ष 2010–15 की अवधि में अनवरत व्यय का आधिक्य बजट निर्माण के समय मांगों का कम आकलन प्रदर्शित करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह दिये गये अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय को राज्य विधान मंडल से विनियमित कराये। यद्यपि, वर्ष 2005–14 की अवधि के व्याधिक्य ₹ 20,352.17 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था। 84 अनुदानों एवं 33 विनियोगों के अंतर्गत हुए वर्षवार व्याधिक्य, जो विनियमितीकरण हेतु प्रतीक्षित थे, का विवरण। क्षेत्र 2-6 में दिया गया है।

वर्ष 2010–15 की अवधि में अनवरत व्यय का आधिक्य बजट निर्माण के समय मांगों का कम आकलन प्रदर्शित करता है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विनियोग वर्ष	विनियोग वर्ष का व्यय	वर्ष 2010–15 की अवधि में अनवरत व्यय का आधिक्य बजट निर्माण के समय मांगों का कम आकलन प्रदर्शित करता है।
2005-06	25—अनुदान 4—विनियोग	राजस्व दत्तमत—8,12,19,53,55,57,58,72; पूँजीगत दत्तमत—15,16,18,23,24,33, 34,37,38,40, 55, 56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित—1,52; पूँजीगत भारित—52,55;	1,026.78
2006-07	18—अनुदान 6—विनियोग	राजस्व दत्तमत—9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूँजीगत दत्तमत—3,16,31,37,55,57,58,89,96; राजस्व भारित—2,3,10,52,62,89;	2,484.47
2007-08	12—अनुदान 2—विनियोग	राजस्व दत्तमत—51,55,57,58,62; पूँजीगत दत्तमत—13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित—51,66;	3,610.65
2008-09	5—अनुदान 1— विनियोग	राजस्व दत्तमत—62,96; पूँजीगत दत्तमत—55,58,96; राजस्व भारित—52;	3,399.42
2009-10	6—अनुदान 6— विनियोग	राजस्व दत्तमत—58; पूँजीगत दत्तमत—1,16,55,58,59; राजस्व भारित—3,10,16,48,52,66;	1,250.16
2010-11	6—अनुदान 4— विनियोग	राजस्व दत्तमत—30,51,91; पूँजीगत दत्तमत—10,55,58; राजस्व भारित—10,23,61,82;	1,702.62
2011-12	6—अनुदान 6— विनियोग	राजस्व दत्तमत—21,62,91; पूँजीगत दत्तमत—1,55,58; राजस्व भारित—13,18,23,61,62,82;	1,889.66
2012-13	4—अनुदान 3— विनियोग	राजस्व दत्तमत—51,57; पूँजीगत दत्तमत—55,58; राजस्व भारित—55,62,89;	2,380.23
2013-14	2—अनुदान 1—विनियोग	पूँजीगत दत्तमत—55,58; पूँजीगत भारित—52;	2,608.18
			20,352.17

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

**2.3.5 o"kl 2014&15 ei vupkuk@fofu; kxki l s vf/kd gq 0; ; ds fofu; ferhdj.k dh vko'; drk**

वर्ष 2014–15 में अनुदानों/विनियोगों के आठ प्रकरणों में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत धनराशि से अधिक किया गया कुल व्याधिक्य ₹ 2,225.32 करोड़<sup>1</sup> का सार। kj.kh 2-7 में दिया गया है।

| kj.kh 2-7% o"kl 2014&15 ds nkjku i ko/kku l s vf/kd 0; ; ds fofu; ferhdj.k dh vko'; drk

(₹ करोड़ में)

00 1 0	vupkuk@fofu; kx dh l a[; k , o a uke	dfy vupkuk@ fofu; kx	0; ;	0; ; kf/kD;	o"kl ds nkjku fuf/k; k dk l ek; ktu	0; ; kf/kD; ds fofu; ferhdj.k dh vko'; drk
1	2	3	4	5	6	7
राजस्व दत्तमत						
1.	57—लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सेतु)	17.00	19.03	2.03	1.73	0.30
2.	91—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	234.63	239.33	4.70	0.00	4.70
	; kx	<b>251.63</b>	<b>258.36</b>	<b>6.73</b>	<b>1.73</b>	<b>5.00</b>
पूँजीगत दत्तमत						
3.	1—आबकारी विभाग	2.43	3.08	0.65	0.00	0.65
4.	40—नियोजन विभाग	2,234.44	2,600.69	366.25	0.00	366.25
5.	55—लोक निर्माण विभाग (भवन)	40.90	88.13	47.23	4.08	43.15
6.	57—लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सेतु)	1,297.46	1,430.56	133.10	130.05	3.05
7.	58—लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	8,761.46	11,191.67	2,430.21	623.10	1,807.11
	; kx	<b>12,336.69</b>	<b>15,314.13</b>	<b>2,977.44</b>	<b>757.23</b>	<b>2,220.21</b>
jktLo Hkkfjr						
8.	13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.16	0.27	0.11	0.00	0.11
	; kx	<b>0.16</b>	<b>0.27</b>	<b>0.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>
	egk; kx	<b>12,588.48</b>	<b>15,572.76</b>	<b>2,984.28</b>	<b>758.96</b>	<b>2,225.32</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2014–15)

| kj.kh से यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन मार्च 2015 तक ₹ 2,225.32 करोड़ का विनियमितीकरण होना प्रतीक्षित था।

**2.3.6 vuko'; d@vi;kj l s vf/kd i ko/kku**

वर्ष 2014–15 में 51 प्रकरणों में ₹ 6,543.41 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) प्राप्त किया गया जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी जिसका विवरण /ff'f'k"V 2-3 में दिया गया है। यद्यपि, अनुदान संख्या 40—नियोजन विभाग, 55—लोक निर्माण विभाग (भवन), 57—लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सेतु),

<sup>1</sup>विभिन्न अनुदानों में प्रोटाटा/उचन्त समायोजन होने के कारण अवशेष आधिक्य धनराशि ₹ 3,308.30 करोड़ - ₹ 2,225.32 करोड़) के अलग से विनियमितीकरण की आवश्यकता नहीं है।

58— लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें) एवं 91— संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) में ₹ 1,974.24 करोड़ का अनुपूरक अनुदान, अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके कारण ₹ 3,252.70 करोड़ का अधिक व्यय अनाच्छादित रहा ॥/f/f'k"V 2-4॥A अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान दर्शाता है कि अनुपूरक बजट में किया गया प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित नहीं था।

### 2.3.7 vf/kd@vuko'; d fuf/k; kः dk i ꝑfofu; kx

किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ पर बचत पूर्वानुमानित हो, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो, में हस्तान्तरण की प्रक्रिया पुनर्विनियोग है<sup>2</sup>।

अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग या तो अधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप, 41 अनुदानों के 114 उपशीर्षों में ₹ 1,892.82 करोड़ की बचत तथा 25 अनुदानों के 49 उपशीर्षों में ₹ 913.90 करोड़ का व्याधिक्य हुआ, जिसका विवरण /f/f'k"V 2-5 में दिया गया है।

### 2.3.8 vR; f/kd /kuj kf' k; kः dk vH; i Z k

254 उपशीर्षों से संबंधित अत्यधिक धनराशियों, ₹ 18,900.92 करोड़ का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत या अधिक) मुख्यतः विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं में आर्थिक मितव्ययिता तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन न मिलने के कारण किया गया। वर्ष 2014–15 के 254 योजनाओं/कार्यक्रमों में कुल प्रावधानित ₹ 24,135.61 करोड़ में से ₹ 18,900.92 करोड़ (78 प्रतिशत) की धनराशि अभ्यर्पित की गई, इनमें 115 योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु प्रावधानित ₹ 3,285.24 करोड़ का शत–प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित है। इस प्रकार के प्रकरणों का विस्तृत विवरण अनुदानों के नाम, लेखाशीर्षों, अभ्यर्पित धनराशि, अभ्यर्पण के कारणों, जैसा कि शासन द्वारा सूचित किया गया, के साथ /f/f'k"V 2-6 में दिया गया है। अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि बजट हेतु समुचित सावधानी नहीं रखी गयी।

### 2.3.9 okLrfod cpr I s vf/kd vH; i Z k

वर्ष 2014–15 में 10 अनुदानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) में ₹ 5,598.54 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 6,023.92 करोड़ धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 425.38 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ जिसका विवरण /f/f'k"V 2-7 में दिया गया है। वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण नहीं रखा गया।

### 2.3.10 vH; fi ]r u dh xbz i ꝑkluekfur cpr॥

बजट मैनुअल के प्रस्तर 139 के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदान/विनियोग या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2014–15 के अन्त में 21 अनुदानों/विनियोगों के प्रकरणों में बचत होने के बाद भी उसका कोई भाग सम्बन्धित

---

<sup>2</sup>बजट मैनुअल भाग-II

विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया। इसमें ₹ 8,543.35 करोड़ की धनराशि निहित थी, जिसका विवरण *if/f'k"V 2-8* में दिया गया है।

इसी प्रकार, 63 प्रकरणों (₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत वाले) में कुल बचत की धनराशि ₹ 45,742.98 करोड़ में से ₹ 23,118.61 करोड़ (51 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं की गयी, जो कुल बचत ₹ 55,351.80 करोड़ का 42 प्रतिशत थी, जिसका विवरण *if/f'k"V 2-9* में दिया गया है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप निधियाँ अवरुद्ध रहीं तथा इनका उपयोग विकास के वैकल्पिक उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा सका।

### 2.3.11 *vkdfLedrk fuf/k l s vfxe*

राज्य सरकार द्वारा ₹ 600 करोड़ की कॉर्पस धनराशि के साथ अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1962 के अधीन आकस्मिकता निधि की व्यवस्था की जाती है जो राज्य विधान मण्डल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकृत किये जाने हेतु लम्बित होते हैं। राज्य के समेकित निधि में सम्बन्धित कार्यदायी मुख्य शीर्ष में व्यय को डेबिट करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित लेन-देन वित्त लेखे के विवरण संख्या-21 में मुख्य शीर्ष 8000— आकस्मिकता निधि के अधीन दर्शाये जाते हैं। वर्ष 2014–15 में यह संज्ञान में आया कि आकस्मिकता निधि से ₹ 203.15 करोड़ आहरित किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति उसी वर्ष आकस्मिकता निधि में मार्च 2015 के अन्त तक नहीं की जा सकी।

### 2.3.12 *0; ; dk vfrj;d*

बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(ई) के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के माह में अधिक व्यय से बचना चाहिये।

वर्ष 2014–15 में कुल राजस्व व्यय का 20.59 प्रतिशत एवं कुल पूंजीगत व्यय का 46.78 प्रतिशत माह मार्च 2015 में ही व्यय किया गया। ऐसे व्यय विभागों के वर्ष के सम्पूर्ण बजट का महत्वपूर्ण भाग (21 प्रतिशत) दर्शाते हैं। विवरण *if/f'k"V 2-10* में दिया गया है।

### 2.3.13 *ctVh; i ko/kku dks 0; i xr gkus l s cpkus ds fy, fuf/k; k; dk vkgj .k*

तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि लोक लेखा को राज्य के समेकित निधि के विकल्प के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और समेकित निधि से लोक लेखा में हस्तांतरण से बचते हुए शासकीय व्यय सीधे समेकित निधि से होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड-V, भाग-1 का नियम-162 कोषागार से धनराशि के आहरण का निषेध करता है जब तक कि इसकी त्वरित संवितरण के लिए आवश्यकता न हो।

यद्यपि, समाज कल्याण और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के स्वीकृति आदेश के नमूना जांच में पाया गया कि ₹ 82.56 करोड़ की धनराशि कोषागार से आहरित की गई एवं प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए वैयक्तिक लेजर खाते में जमा की गई, जिसका विवरण *I kj .kh 2-8* में दिया गया है—

I kj . kh 2-8% ctVh; i ko/kku dks 0; i xr gkus I s cpkus ds fy, fuf/k; k dk vkgj . k

00 I 0	vupku I a; k] foHkkx dk uke rFkk e[; 'kH"kl	ctV i ko/kku R dj kM+ e[	of fDrd ystj [kkrs e tek dh xbz /kuj kf' k R dj kM+ e[	foRth; i Hkkoka ij ys[kk i jh{kk fu"d"kl
1.	अनुदान सं0 49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग मुख्य लेखा शीर्ष 2235	5,171.01	77.56	<ul style="list-style-type: none"> <li>मेडिसिन किट क्रय करने हेतु ₹ 17.70 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2015) किया गया और कोषागार से आहरित (मार्च 2015) कर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम (यू.पी.एस.डब्लू.सी.सी.), लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2015) किया गया।</li> <li>रूपये 6.91 करोड़ एम आई एस पंजिका के क्रय हेतु स्वीकृत (मार्च 2015) किया गया जिसे कोषागार से आहरित (मार्च 2015) किया गया और उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2015) किया गया।</li> <li>प्री स्कूल किट्स के क्रय हेतु ₹ 52.95 करोड़ की स्वीकृति (मार्च 2015) दी गयी एवं कोषागार से आहरित (मार्च 2015) कर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2015) की गयी।</li> </ul>
2.	80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) मुख्य लेखा शीर्ष 2235	4,075.05	5.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना हेतु ₹ पाँच करोड़ स्वीकृत (जनवरी 2015) किया गया और कोषागार से आहरित (मार्च 2015) कर उ0प्र0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2015) किया गया।</li> </ul>
; kx		9,246.06	82.56	

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

इस प्रकार, वर्ष 2014–15 में ₹ 82.56 करोड़ की धनराशि कोषागार से आहरित करके वैयक्तिक लेजर खाते में जमा किया गया जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं की अवमानना थी एवं विभागों द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड V भाग–1 में उल्लिखित प्रावधानों के बजटीय नियम का उल्लंघन बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिये किया गया।

#### 2.4 p; fur vupku dh | eh{kk ds i fj . kke

विधान सभा में समस्त अनुदानों की माँगों पर मतदान पूर्ण होने के पश्चात् राज्य की समेकित निधि से (अ) विधान सभा द्वारा पारित अनुदानों की माँगों और (छ) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के विनियोग हेतु विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् विधेयक पर राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त की जाती है जिसके उपरान्त अधिनियम एवं संलग्न अनुसूचियों में दर्शायी गयी धनराशियाँ विभिन्न मांगों के अंतर्गत व्यय हेतु स्वीकृत अनुदान होती हैं।

विनियोग अधिनियम, 2014 के कुल 94 अनुदानों में से एक, अनुदान संख्या 21— खाद्य एवं रसद विभाग की माह अक्टूबर 2015 में समीक्षा की गयी। वर्ष 2014–15 में अनुदान

के बजट प्रावधानों, व्ययों तथा बचतों का विवरण */ff'k"V 2-11* में सारांशीकृत है। समीक्षा के परिणाम की चर्चा नीचे की गई है।

### **vupku | a[; k 21& [kk| RkFkk j | n foHkkx**

शासन द्वारा वर्ष 2014–15 में लेखाशीर्ष 4408–01–101–03 खाद्यान्न पूर्ति योजना के अंतर्गत कृषकों से 16.75 लाख मीट्रिक टन (एम.टी) खाद्यान्न क्रय करने हेतु ₹ 7,059.14 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। बजटीय धनराशि ₹ 7,059.14 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 5,171.48 करोड़ खाद्यान्नों के क्रय हेतु व्यय किया गया एवं ₹ 1,887.66 करोड़ का व्यय नहीं किया गया। खाद्यान्नों के क्रय का लक्ष्य एवं प्राप्ति *| kj . kh 2-9* में दिया गया है—

*| kj . kh 2-9% o"kl 2014&15 e[ [kk | kUuk ds Ø; dk Yk{; , o[ i kfI[r*

Ø0   Ø	fooj . k	Ø; g[ fu/kkfj r y{;	okLrfod Ø;	vkf/kD; (+)@deh (-) ½ifr'kr dk"BD e[
<i>yk[k , e-Vh- e[</i>				
1	गेहूँ	10.25	0.55	(-) 9.70 (95 प्रतिशत)
2	धान	6.50	11.30	(+) 4.80 (74 प्रतिशत)
	: kx	<b>16.75</b>	<b>11.85</b>	<b>(-) 4.90 (29 ifr'kr)</b>

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

*| kj . kh 2-9* दर्शाती है कि न केवल खाद्यान्नों (गेहूँ एवं धान) के क्रय में, जैसा कि प्रत्येक के लिये लक्ष्य निर्धारित था, उनके कुल क्रय में 29 प्रतिशत की कमी थी। खाद्यान्नों में क्रय की कमी के परिणामस्वरूप एवं अंतर्खाद्यान्न क्रय में मात्रा की विभिन्नता के कारण वर्ष 2014–15 में ₹ 1,887.66 करोड़ की बचत हुई। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बचत का समर्पण किया गया।

### **2.5 dks"kkxkj fujh{k.k i fronu dk i fj . kke**

राज्य में 79 कोषागार एवं 207 उपकोषागार हैं। वर्ष 2014–15 में 76 कोषागार एवं 207 उपकोषागारों का निरीक्षण कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किया गया। कोषागार निरीक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है।

#### **2.5.1 fnoxr i[kujk ds vI forfjr i[ku dh ol yh dk u gks i kuk**

पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात असंवितरित पेंशन की राशि व्याज सहित सम्बन्धित बैंकों से वापस प्राप्त कर चालान के माध्यम से शासकीय लेखे के प्राप्ति शीर्ष में जमा कर देनी चाहिए।

यद्यपि, कोषागारों में उपलब्ध पेंशन अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 52 कोषागारों के 612 प्रकरणों से सम्बन्धित असंवितरित पेंशन ₹ 120.65 लाख की धनराशि बैंकों से वापस नहीं ली गयी और 2014–15 के अंत तक सम्बन्धित बैंकों से वापस लिया जाना शेष है। कोषागारवार असंवितरित धनराशि की वांछित वसूली का विवरण */ff'k"V 2-12* में दिया गया है।

## 2.5.2 mi knu@I kj k<sup>2</sup> kh<sup>2</sup>r j kf' k dk vf/kd@de Hkxrku

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 में छ: कोषागारों<sup>3</sup> में सेवानिवृत्ति उपादान का ₹ 3.62 लाख का अधिक भुगतान एवं 11 कोषागारों<sup>4</sup> में ₹ 35.10 लाख का कम भुगतान किया गया। इसी प्रकार, दो कोषागारों<sup>5</sup> में पेंशन के सारांशीकृत राशि का ₹ 3.19 लाख का अधिक भुगतान तथा आठ कोषागारों<sup>6</sup> में ₹ 4.22 लाख का कम भुगतान किया गया।

## 2.5.3 i ku dk vkoM u u fd; k tkuk

अंशदान पेंशन योजना के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके बाद शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में आने वाले कर्मचारियों को प्रान (परमानेट रिटायरमेंट एकाउंट नम्बर) आवंटित किया जाना था। कोषागार निरीक्षण के नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 31 मार्च 2015 तक 22 कोषागारों में पेंशन योजना से आच्छादित 14,123 कर्मचारियों को प्रान आवंटन प्रतीक्षित है (*i f/f' k"V 2-13*)।

## 2.6 fu" d" k<sup>2</sup>, o<sup>2</sup> | Lrfr; k<sup>2</sup>

forRkh; mRrj nkf; Ro , o<sup>2</sup> ctVh; i cU/ku

- ₹ 52,043.50 करोड़ की कुल बचत, ₹ 55,351.80 करोड़ की बचत का परिणाम थी जो ₹ 3,308.30 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई। इसके अतिरिक्त अनावश्यक, अपर्याप्त, आधिक्य व बचत और अनुपूरक प्रावधानों के प्रकरण थे।

संस्तुति : शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय नियंत्रण प्रणाली समस्त विभागों में सुदृढ़ हो जिससे कि प्रावधान अनुपयोगी न रहे। शासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक, अनावश्यक, अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान से बचा जाय।

0; ; kf/kD;

- वर्ष 2005–14 की अवधि में किए गये व्याधिक्य ₹ 20,352.17 करोड़ एवं वर्ष 2014–15 में किए गये ₹ 2,225.32 करोड़ के व्याधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

संस्तुति% शासन को व्याधिक्य के नियमितीकरण के लिये त्वरित कदम उठाना चाहिए।

<sup>3</sup> सहारनपुर, भदोही, सुल्तानपुर, हरदोई, बागपत और मेरठ।

<sup>4</sup> गौतमबुद्ध नगर, बागपत, सहारनपुर, संत रविदासनगर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, बरेली, झाँसी, मऊ, सोनभद्र और पी.एओ. नई दिल्ली।

<sup>5</sup> हरदोई और गौतमबुद्धनगर।

<sup>6</sup> सुल्तानपुर, पी.एओ. नई दिल्ली, बागपत, हरदोई, मऊ, सोनभद्र, संत रविदासनगर और सीतापुर।

---

---

v/; k; **3**  
foRrh; fj i kfVlx

---

---

v/; k; 3

foRrh; fj i kfVlk

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचनाओं के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ—साथ इनकी अनुपालन स्थिति पर समयबद्ध एवं गुणात्मक प्रतिवेदन, इस प्रकार अच्छे प्रशासन की विशिष्टियों में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं परिचालित है, तो यह राज्य सरकार को अपनी आधारभूत प्रबंधन उत्तरदायित्वों सहित नीतिगत योजनाओं एवं निर्णय—प्रबंधन के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

### 3.1 mi Hkkx i tek. k&i =k dks i Lrfr u fd; k tkuk

**3.1.1** राज्य सरकार के नियमों (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 का प्रस्तर 369—एच) में वर्णित है कि, जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण—पत्र प्राप्त कर सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिये। उपभोग प्रमाणपत्रों के अप्रस्तुतीकरण के कारण जारी किये गये सहायता अनुदानों का उनके विशिष्ट उद्देश्यों पर उपभोग सुनिश्चित किया जाना कठिन होता है। 31 मार्च 2015 तक अप्राप्त उपभोग प्रमाण—पत्रों की स्थिति | kj . kh 3-1 में दी गई है।

| kj . kh 3-1% vi klr mi Hkkx i tek. k&i =k dhl fLFkfr

vof/k	vi klr mi Hkkx i tek. k&i =k dhl   a[ ; k	/kuj kf' k (₹ dj KM+ e)
2012-13 तक	3,86,669	87,986.34
2013-14	24,870	17,583.69
2014-15	19,640	22,173.35
; kx	<b>4,31,179</b>	<b>1,27,743.38</b>

(चोत: वित्त लेखे वर्ष 2014—15)

| kj . kh से स्पष्ट है कि अधिक संख्या में पर्याप्त धनराशि के उपभोग प्रमाण—पत्र, वर्ष 2014—15 के अंत तक लम्बित थे।

### 3.2 folrr vkdflEd fcy

उत्तर प्रदेश ट्रेजरी मैनुअल के प्रस्तर 62 के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को डेबिट करते हुए संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) देयक द्वारा धनराशि आहरित करने के लिए प्राधिकृत हैं। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा आहरित धनराशि के उपभोग के पश्चात् विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) देयक समर्थित अभिलेखों सहित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत किये जाने

चाहिए। दीर्घकाल तक समर्थित विस्तृत आकस्मिक देयकों का अप्रस्तुतीकरण संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के अन्तर्गत व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

31 मार्च 2015 को ₹ 236.62 करोड़ की धनराशि के 5,985 संक्षिप्त आकस्मिक देयक विस्तृत आकस्मिक देयकों के अभाव में लम्बित थे। वर्षावार विवरण | kj . kh 3-2 में दी गई है।

| kj . kh 3-2% v1 ek; kftr | f{klr vkdfLed ns d

vof/k	vkgfjr , -l h- fcy	31 ekpz 2015 rda i klr Mh-l h- fcy	31 ekpz 2015 dks vfuLrkfj r , -l h- fcy
	a[ ; k /kuj kf' k (₹ dj KM+e)	a[ ; k /kuj kf' k (₹ dj KM+e)	a[ ; k /kuj kf' k (₹ dj KM+e)
2012-13 तक	34,047	706.45	28,593
2013-14	498	38.56	390
2014-15	764	160.72	341
; kx	<b>35,309</b>	<b>905.73</b>	<b>29,324</b>
			<b>669.11</b>
			<b>5,985</b>
			<b>236.62</b>

(चोत: वित्त लेखे वर्ष 2014-15)

वर्ष 2014-15 में ₹ 160.72 करोड़ धनराशि के आहरित 764 ए0सी0 बिलों के सापेक्ष 66 संक्षिप्त आकस्मिक देयक, जिनकी धनराशि ₹ 31.70 करोड़ थी, मार्च 2015 में आहरित किये गये, जिनमें 35 संक्षिप्त आकस्मिक देयक, दिनांक 24 और 31 मार्च 2015 के मध्य आहरित किये गये, जिनकी धनराशि ₹ 6.70 करोड़ थी, सम्मिलित थी। मार्च माह में तथा विशेष रूप से मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यय करना, प्राथमिक रूप से बजट का पूर्ण उपभोग करना और बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण दर्शाता है।

### 3.3 foHkkxh; okf.kfT; d mi Øe

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय परिचालन एवं व्यवसाय में दक्षता संबंधी कार्यकारी परिणाम दर्शाते हुए प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा लेखा बनाया जाता है। इन लेखों को लेखा-बन्दी के माह से तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य में मार्च 2015 तक इस प्रकार के नौ उपक्रम थे। इनमें से तीन उपक्रमों ने अद्यतन प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किये थे। विभागवार लेखों के बकाये का विवरण /fj/f'k"V 3-1 में दिया गया है। स्टेट फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन (बिना किसी निवेश के) द्वारा (वर्ष 2014-15 तक) अपने लेखे वर्ष 1990-91 से तैयार नहीं किये गये थे। राज्य पशुधन सह कृषि फार्म जिसमें ₹ 24.85 करोड़ का निवेश किया गया था, के वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि के प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे। इसी प्रकार, खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें ₹ 2,617.93 करोड़ का निवेश किया गया था, के वर्ष 2012-13 से 2014-15 के प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे।

फलस्वरूप, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेशित धनराशि लेखापरीक्षा/राज्य विधायिका की जांच से परे थी।

### 3.4 yfEcr i adj. kka dh fji kfVlk

वित्तीय नियमों के प्रस्तर 82 के अनुसार, हानि एवं गबन के प्रकरणों को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी. एण्ड एस.एस.ए.), उ0प्र0, इलाहाबाद को, उन प्रकरणों सहित जिसमें उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो, अविलम्ब प्रेषित किये जाने चाहिए।

वर्ष 2014–15 की अवधि तक, इस प्रकार के 139 प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित थे जिनमें ₹ 8.85 करोड़ (₹ 884.60 लाख) की धनराशि निहित थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों का विवरण एवं उनका अवधिवार विश्लेषण *i/f/f'k"V 3-2* में दिया गया है। ऐसे प्रकरणों की प्रकृति का विवरण भी *i/f/f'k"V 3-3* में दिया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये अवधिवार लम्बित प्रकरणों को *I kj. kh 3-3* में सारांशीकृत किया गया है।

*I kj. kh 3-3% yfEcr i adj. kka dh fLFkfr*

vof/kokj	yfEcr i adj. k	yfEcr i adj. kka dh i dfr
vof/k ₹ 884.60	i adj. kka dh I a[; k I fEfyr /kuj kf'k ₹ yk[k e%	i adj. kka dh i dfr i adj. kka dh I a[; k I fEfyr /kuj kf'k ₹ yk[k e%
0-5	13	175.19
5-10	21	220.48
10-15	12	28.27
15-20	36	70.69
20-25	17	23.42
25 और इससे अधिक	40	366.55
	<b>139</b>	<b>884.60</b>
(चोत% सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)		

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि ₹ 891.23 लाख, के 142 प्रकरणों (31 मार्च 2014 तक) में से ₹ 6.63 लाख के तीन प्रकरण वर्ष 2014–15 में निस्तारित/बढ़े खाते में डाल दिये गये थे *I/f/f'k"V 3-4* एवं अवशेष 139 प्रकरण जिसमें ₹ 884.60 लाख की धनराशि निहित थी, मार्च 2015 तक *I kj. kh 3-4* में दिये गये विभिन्न कारणों से लम्बित थे।

*I kj. kh 3-4% yfEcr i adj. kka ds dkj. k*

foyEc@vo' k'k i adj. kka dk dkj. k	i adj. kka dh I a[; k	/kuj kf'k ₹ yk[k e%
i विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित है	27	189.67
ii विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	74	541.63
iii आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली की प्रक्रिया के प्रकरण लम्बित हैं	2	4.58
iv वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित हैं	12	7.99
v माननीय न्यायालयों में लम्बित	24	140.73
	<b>139</b>	<b>884.60</b>

(चोत% सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

### 3.5 y?kj ys[kk 'kh"k&^800^ dk i fj pkyu

लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय का केवल तभी परिचालन किया जाना उचित है जब समुचित लघुशीर्षों की लेखे में उपलब्धता न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित

परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को कम करता है।

यद्यपि वर्ष 2014–15 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत, सम्बन्धित विभिन्न मुख्य शीर्षों (राजस्व एवं पूँजीगत) के अन्तर्गत ₹ 31,126.17 करोड़ के व्यय अभिलेखित किये गये जो राजस्व एवं पूँजीगत शीर्षों के समस्त व्यय, ₹ 2,24,324.60 करोड़, का लगभग 13.88 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार विभिन्न मुख्य शीर्षों के प्राप्ति पक्ष में ₹ 35,718.28 करोड़ लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये, जो कुल राजस्व प्राप्तियों, ₹ 1,93,421.60 करोड़, का लगभग 18.47 प्रतिशत था। ऐसे उदाहरण जहाँ प्राप्तियों एवं व्यय के महत्वपूर्ण भाग (मुख्य लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे, का विवरण /f/f'k"V 3-5 एवं 3-6 में दिया गया है एवं। क्ष. क्ष 3-5 में सारांशीकृत किया गया है।

। क्ष . क्ष 3-5% य?क्ष ys[क्ष' क्ष"क्ष&800 ds vrX]r ~vU; i kflr; क्ष\*  
, oः ~vU; ०; ; \* dk n'क्ष k tkuk

fooj . क	i kflr; क्ष		०; ;	
	/kuj kf' k (₹djk KM+ e)	ys[क्ष' क्ष"क्ष	/kuj kf' k (₹djk KM+ e)	ys[क्ष' क्ष"क्ष
100 प्रतिशत एवं अधिक	1,116.61	1452, 0801, 0217, 0023, 0810, 0506, 1456, 0852, 0575, 0415, 0875, 0047	14,366.48	4401, 2245, 2801, 2040, 5053, 4070, 2705, 4859, 5425, 4853, 4047, 2407, 2885, 2041
75 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य	8,150.60	0235, 0851, 0075, 0406, 1055, 0071, 0029, 1053 0230, 0059, 1054, 0220, 0211, 0403	2,578.65	3475, 4575, 4235, 2425
50 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत के मध्य	23,383.19	1601, 0056, 0055, 0070, 0700	5,224.72	2405, 4217, 4216, 3452, 2211
; क्ष	<b>32,650.40</b>		<b>22,169.85</b>	

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

परिणामस्वरूप, शासन के विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के अन्तर्गत किये गये व्यय जो लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, वित्त लेखे 2014–15 में उचित लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अलग से दर्शाये नहीं जा सके।

लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां/व्यय का उपयोग बजट बनाते समय उन मामलों में किया जाता है जहाँ योजना से संबंधित प्राप्तियों/व्यय के उपबन्धों के लिए विशिष्ट लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते हैं। तथापि, राज्य सरकार कई वर्षों से प्राप्तियों एवं व्यय के एक महत्वपूर्ण भाग को बहुप्रयोज्य लघुशीर्ष 800 के तहत पुस्तांकित करती रही है।

### 3.6 /kuj kf' k; क्ष dks dJnhi; । Mdfuf/k ei gLrkjr. k u fd; k tkuk

वर्ष 2014–15 में केन्द्रीय सङ्क निधि से अनुदान के लिए ₹ 200 करोड़ के बजट का प्रावधान था। इसके सापेक्ष वर्ष 2014–15 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय सङ्क निधि से ₹ 234.26 करोड़ निर्गत किये गये। निधि के संचालन सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अनुदान को राजस्व प्राप्तियों के रूप में मुख्य लेखा

शीर्ष 1601—सहायता अनुदान में लेखाबद्ध कर समतुल्य धनराशि लोक लेखे के मुख्य लेखा शीर्ष 8449—अन्य जमा 103—केन्द्रीय सङ्केत निधि से अनुदान में स्थानान्तरित कर राजस्व व्यय मुख्य लेखा शीर्ष 3054—सङ्केत तथा सेतु के नामे डाली जानी चाहिये। यद्यपि, मुख्य लेखा शीर्ष 3054 में कोई भी बजट प्रावधान न होने के कारण कोई भी धनराशि मुख्य लेखा शीर्ष 8449—103 लोक लेखे में स्थानान्तरित नहीं की गई। पुनर्श्च, वर्ष 2014—15 के दौरान लोक लेखे में उपरोक्त लेखा शीर्ष में सङ्केत एवं सेतु के सापेक्ष कोई भी व्यय लेखांकित नहीं किया गया, इसलिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु निर्गत राशि ₹ 234.26 करोड़ के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकार के द्वारा यह उल्लेख किया गया कि केन्द्रीय सङ्केत निधि से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष मुख्य लेखा शीर्ष 5054—सङ्केत और सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है और व्यय किया जाता है जिससे राज्य के लेखे में इसे सम्पत्ति (निर्मित सङ्केत) के रूप में प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जा सके। यद्यपि, राज्य सरकार ने यह तर्क दिया कि इस निधि से निर्मित सङ्केतों (सम्पत्तियाँ) का राज्य के लेखे में कोई प्रदर्शन नहीं हो पायेगा। राज्य सरकार का यह तर्क उपरिवर्णित केन्द्र सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

### 3.7 udn vo' k's'k e॥ fllkllurk

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अगणित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये राज्य सरकार के रोकड़ शेष में ₹ 45.54 करोड़ (निवल डेबिट) के अन्तर का मुख्य कारण एजेन्सी बैंकों द्वारा ऑकड़ों का मिलान न किया जाना है। इसका मिलान किया जा रहा है।

### 3.8 oᳩ fDrd tek [kkrs e॥ fuf/k; k॥ dk vUlrj . k

उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता नियमावली— 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार राज्य सरकार महालेखाकार की सलाह पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिये वैयक्तिक जमा खाता खोलने हेतु प्राधिकृत है। निर्दिष्ट प्रशासकों को इन वैयक्तिक जमा खातों में निधियों, को अन्तरित कर परिचालन हेतु अधिकृत किया जाता है, जो राज्य के समेकित निधि (सेवा मुख्य शीर्षों) के सापेक्ष व्यय के रूप में अंकित किया जाता है। इन वैयक्तिक जमा खातों को आगामी वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिथि को बन्द किये जाने एवं शेष धनराशि को सरकारी लेखे में वापसी आवश्यक है। तथापि, राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। विवरण | kj . kh 3-6 में दिया गया है।

| kj . kh 3-6% oᳩ fDrd tek [kkrs dh fLFkfr

i kj fEHkd vo' k's'k (01.04.2014)	o"kl 2014&15 e॥ [kkrys x; s [kkrs dh l a॥; k	o"kl 2014&15 e॥ cm fd; s x; s [kkrs dh l a॥; k	vUlrre vo' k's'k (31.03.2015)
[kkrs dh l a॥; k (₹ dj kM+ e॥)	I fEefyr /kuj kf' k I a॥; k (₹ dj kM+ e॥)	[kkrs dh l a॥; k (₹ dj kM+ e॥)	I fEefyr /kuj kf' k I a॥; k (₹ dj kM+ e॥)
1459	5,868.25	शून्य	शून्य

(चोत: वित्त लेखे वर्ष 2014—15)

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1,459 वैयक्तिक जमा खातों में से 1,051 परिचालित और 408 अपरिचालित हैं। धनराशि ₹ 94.38 करोड़ के अवशेष वाले

अपरिचालित खाते बन्द किये जाने अपेक्षित हैं। राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है कि अपरिचालित खातों को बन्द किये जाने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

अग्रेतर, राज्य के 79 कोषागारों में से 50 ने महालेखाकार (ले० एवं हक०) को सूचित किया है कि उनके द्वारा रखरखाव किये गये 878 वैयक्तिक जमा खातों का मिलान वर्ष 2014–15 के दौरान किया गया है। शेष 29 कोषागारों के द्वारा मिलान की स्थिति सम्बन्धित कोषागारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी।

### 3.9 fn; s x, vupku@\_\_.k ds fooj.k dk vi Lrphd.j.k

लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2007 में यह प्रावधानित है कि सरकार एवं सहायक अनुदान स्वीकृत करने वाले विभागाध्यक्षों द्वारा, ऐसी संस्थाओं/संगठनों, जिन्हें विगत वित्तीय वर्ष में ₹ 10 लाख या अधिक की वित्तीय सहायता दी गयी थी, अनुदान की राशि प्रदर्शित करते हुए, जिस उद्देश्य हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया था एवं संस्थाओं/संगठनों के कुल व्यय का एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अधीन सम्पन्न की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिये उनकी पहचान की जा सके। यद्यपि, इस प्रकार का कोई विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया।

### 3.10 fu"d"kl , o| Lrfr; k|

yfEcr mi Hkkox i tek.k&i =

- वर्ष 2014–15 के अंत तक बड़ी संख्या (4,31,179) में उपभोग प्रमाण—पत्र अनुदान प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त होने शेष थे।

संस्तुति: अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए।

### foLrr vkdfLed fcy

- कुल मिलाकर 5,985 ए.सी. बिल जिसकी धनराशि ₹ 236.62 करोड़ थी, 31 मार्च 2015 तक असमायोजित थे।

संस्तुति: सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में ए.सी. बिल का समायोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

### pkj h] gkf u , o| nfofu; kx ds i jd.j.k

- चोरी, हानि एवं दुर्विनियोग, के कुल 139 प्रकरण थे, जिनमें ₹ 884.60 लाख की धनराशि सन्तुष्टि दी गयी।

संस्तुति: सरकार द्वारा दुर्विनियोग, चोरी इत्यादि के प्रकरणों की जांच में शीघ्रता लायी जानी चाहिए तथा ऐसे प्रकरणों को पुनर्धर्मित होने से रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।

cgij t; kſT; y?kq ' kh"kl ^800\* dk i fj pkyu

- लघुशीर्ष '800—अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अंतर्गत लेखांकित अत्यधिक धनराशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का पूर्ण स्वरूप प्रस्तुत नहीं करता है।

संस्तुति: सरकार द्वारा लघुशीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

मेरि आपको धन्यवाद

मेरि हो दो दृष्टि क्षमा

इलाहाबाद

प्रधान महालेखाकार (जी० एण्ड एस०एस०ए०)

दिनांक ०१ जनवरी २०१६

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

महालेखाकार

महालेखाकार

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक

०५ जनवरी २०१६

i f j f' k f" V; k

<b>परिशिष्ट</b> <b>1.1</b>	<b>राज्य का परिदृश्य</b> (संदर्भः राज्य का परिदृश्य; पृष्ठ 1)
-------------------------------	--

अ. सामान्य आँकड़े			
क्र० सं०	विवरण	आँकड़े	
1	क्षेत्रफल	2,40,928 वर्ग किमी०	
2	जनसंख्या		
	अ. 2001 की जनगणना के अनुसार	16.62 करोड़	
	ब. 2014-15 (अनुमानित जनसंख्या 2014)	21.33 करोड़	
3	अ. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०)	690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०	
	ब. जनसंख्या घनत्व <sup>1</sup> (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०)	829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०	
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या 2011-12 <sup>2</sup> (बी०पी०एल०) (अखिल भारतीय औसत = 30.00 प्रतिशत)	39.80 प्रतिशत	
5	अ. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=64.80 प्रतिशत)	56.27 प्रतिशत	
	ब. साक्षरता <sup>3</sup> (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	67.68 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्युदर 2013 <sup>4</sup> (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत=40 प्रति 1000 जन्म पर)	50 प्रति 1000 जन्म पर	
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा <sup>5</sup> 2009-13 (अखिल भारतीय औसत =67.50 वर्ष)	63.80 वर्ष	
8	गिनी गुणांक <sup>5</sup>		
	अ. ग्रामीण (अखिल भारतीय=0.29)	0.36	
	ब. शहरी (अखिल भारतीय=0.38)	0.33	
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान मूल्यों पर	₹ 9,76,297 करोड़	
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2005-06 से 2014-15)	उत्तर प्रदेश सामान्य श्रेणी राज्य	12.30 13.86
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2004-05 से 2013-14)	उत्तर प्रदेश सामान्य श्रेणी राज्य	14.30 15.44
12	जनसंख्या वृद्धि <sup>6</sup> (2004-05 से 2013-14 )	उत्तर प्रदेश सामान्य श्रेणी राज्य	17.27 12.76

<sup>1</sup> अंतिम जनसंख्या भारतीय जनगणना सूचना 2011।

<sup>2</sup> मेथोडोलॉजी फार मेजरमेंट ऑफ पावर्टी की समीक्षा हेतु रिपोर्ट आफ एक्सपर्ट ग्रुप (रंगाराजन), नियोजन विभाग (जून 2014), पृष्ठ 66 (वर्ष 2011-12 के लिये उपलब्ध अद्यतन आँकड़ों का समावेश किया गया है)।

<sup>3</sup> मेथोडोलॉजी फार मेजरमेंट ऑफ पावर्टी की समीक्षा हेतु रिपोर्ट आफ एक्सपर्ट ग्रुप (रंगाराजन), नियोजन विभाग (जून 2014), पृष्ठ 66 (एस.आर.एस. बुलेटिन, सितम्बर 2014)।

<sup>4</sup> इकोनोमिक सर्वे वर्ष 2014-15, सारणी 9.1, पृष्ठ A 129।

<sup>5</sup> गिनी गुणांक, जनता की आय में परस्पर असमानता का मापक है। शून्य से एक के पैमाने पर, शून्य के समीप होने पर असमानता कम तथा एक के समीप होने पर असमानता अधिक होगी। वर्ष 2009-10 के लिये उपलब्ध अद्यतन आँकड़ों का समावेश<sup>7</sup> किया गया है।

<sup>6</sup> जनगणना विभाग द्वारा अनुमानित कुल जनसंख्या 2001-26।

ब. वित्तीय आंकड़े						
क्र० सं०	विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)			
13	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर		2005-06 से 2013-14		2013-14 से 2014-15	
			सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश	सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश
	क.	राजस्व प्राप्तियाँ	15.76	17.80	16.10	14.99
	ख.	स्वयं का कर राजस्व	15.32	17.08	10.51	11.40
	ग.	करेतर राजस्व	13.53	24.07	10.07	21.19
	घ.	कुल व्यय	15.23	16.68	19.32	17.52
	ङ.	पूँजीगत व्यय	14.61	18.05	21.87	62.18
	च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.10	17.26	14.55	8.03
	छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.20	15.10	28.73	25.98
	ज.	वेतन एवं मजदूरी	15.23	16.98	11.75	13.22
	झ.	पेशन	18.70	21.95	12.43	14.26

(स्रोत: वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे वर्ष 2014–15 पर आधारित हैं)

<b>परिशिष्ट 1.2</b>	<b>शासकीय लेखों का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप (संदर्भ : प्रस्तर 1.1 पृष्ठ 1)</b>
-------------------------	--

भाग—आ: शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना	
<b>शासकीय लेखे की संरचना:</b> राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखे।	
<b>भाग-1 समेकित निधि:</b> राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, अन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।	
<b>भाग-2 आकस्मिकता निधि:</b> संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है। निधि बाद में प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।	
<b>भाग-3 लोक लेख:</b> प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधि, संचित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखा जाता है एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।	
भाग—ब: वित्त लेखे का प्रारूप	
<b>विवरण सं०</b>	<b>प्रारूप</b>
वित्त लेखे दो भागों में विभाजित हैं। भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भाग एक में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रमाण—पत्र, 13 सारांश विवरण और लेख की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित किया जाता है जैसा कि नीचे दिया गया है।	
खण्ड—I	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण।
2	प्राप्तियों एवं सवितरणों का विवरण अनुलग्नक अ रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवे”। सहित।
3	संचित निधि में प्राप्तियों का विवरण।
4	संचित निधि से व्यय का विवरण।
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण।
6	उधारों और अन्य दायित्वों का विवरण।
7	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण।
8	उत्तर प्रदेश सरकार के निवेशों का विवरण।
9	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण।
10	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदानों का विवरण।
11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण।
12	राजस्व लेखे से भिन्न व्ययों के लिए निधियों के स्रोत एवं प्रयोग का विवरण।
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत शेष राँचियों का सारा”।

खण्ड-II	
भाग-I	
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार विस्तृत विवरण।
17	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण।
18	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण।
19	उत्तर प्रदेश सरकार के निवेदितों का विस्तृत विवरण।
20	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण।
21	आकर्षिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के लेन-देनों का विस्तृत विवरण।
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण।
भाग-II (परिशिष्ट)	
परिशिष्ट-I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय।
परिशिष्ट-II	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय।
परिशिष्ट-III	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थानवार और योजनावार)।
परिशिष्ट-IV	वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण।
परिशिष्ट-V	आयोजनागत योजना व्यय अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय पुरोनिधारित योजनाएं एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)। ब. राज्य आयोजनागत योजनाएं।
परिशिष्ट-VI	राज्य में क्रियान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट के बाहर से प्राप्त निधियाँ) (असंप्रेक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट-VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)
परिशिष्ट-VIII	सिंचाई निर्माण कार्य वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट-IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची
परिशिष्ट-X	वेतन एवं गैर वेतन भाग में विभक्त अनुरक्षण व्यय
परिशिष्ट-XI	वर्ष के दौरान सरकार सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं।
परिशिष्ट-XII	राज्य की वचनबद्ध देयताएं।
परिशिष्ट-XIII	मद्दें, जिनके लिये राज्यों के मध्य शेषों का विभाजन राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अंतिम रूप से नहीं हुआ है।

<b>परिशिष्ट</b> <b>1.3</b>	<b>वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार</b> <i>(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.1 पृष्ठ )</i>
-------------------------------	--

(₹ करोड़ में)

2013-14	प्राप्तियाँ			संवितरण					
	2013-2014	2014-15	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	2014-15	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	2014-15	आयोजनेत्तर
<b>भाग 'अ'</b>									
1,68,213.75	I	राजस्व प्राप्तियाँ	1,93,421.60	1,58,146.87	I	राजस्व व्यय	1,37,764.87	33,262.45	1,71,027.32
66,582.08		-कर राजस्व	74,172.42	61,983.49		सामान्य सेवाएं	64,266.13	39.60	64,305.73
				60,756.28		सामाजिक सेवाएं	34,032.41	26,873.37	60,905.78
16,449.80		- करेतर राजस्व	19,934.80	31,425.17		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	23,911.84	10,037.21	33,949.05
				7,997.63		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,505.77	4,569.96	10,075.73
62,776.70		- संघीय करों में राज्यांश	66,622.91	2,715.80		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,103.46	944.86	2,048.32
				66.48		-सूचना एवं प्रसारण	72.69	1.36	74.05
7,933.79		-आयोजनेत्तर अनुदान	6,808.88	5,546.53		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	673.90	1,091.11	1,765.01
6,595.22		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	6,576.02	1,983.45		-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	374.24	658.07	1,032.31
				10,954.44		-समाज कल्याण तथा पोषण	2,319.84	9,570.80	11,890.64
7,876.16		-केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	19,306.57	66.78		-अन्य	70.67	-	70.67
0.00		वाह्य अनुदान सहायता	0.00	25,710.72		आर्थिक सेवाएं	28,535.76	6,349.48	34,885.24
				4,604.79		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएं	3,587.91	2,038.67	5,626.58
				6,595.94		-ग्राम्य विकास	3,340.48	2,951.54	6,292.02
				282.89		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	373.27	373.27

			4,758.12	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4,710.59	638.01	5,348.60	
			5,256.69	-ऊर्जा	12,265.36	74.82	12,340.18	
			486.61	-उद्योग एवं खनिज	786.12	215.27	1,001.39	
			3,375.13	-परिवहन	3,170.34	2.89	3,173.23	
			35.66	-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	17.71	20.08	37.79	
			314.89	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	657.24	34.94	692.18	
			9,696.38	सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,930.57	-	10,930.57	
1,68,213.75		योग	1,93,421.60	1,58,146.87	योग		1,71,027.32	
शून्य	II	राजस्व घाटा भाग 'ब' को अग्रिष्ठ	शून्य	10,066.88	II राजस्व आधिक्य भाग 'ब' को अग्रिष्ठ	-	22,394.28	
1,68,213.75		योग	1,93,421.60	1,68,213.75	योग		1,93,421.60	
<b>भाग 'ब'</b>								
15,172.42	III	प्रारम्भिक रोकड़ शेष स्थाई अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	4,020.63	-	III भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट	-	-	
-	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	00	32,862.65	IV पूंजीगत परिव्यय	8,880.85	44,416.43	53,297.28
				3,463.35	सामान्य सेवाएं	1,166.14	2,842.54	4,008.68
				6,759.50	सामाजिक सेवाएं	61.24	12,693.48	12,754.72
				739.05	-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.63	1,384.55	1,385.18
				1,318.17	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.05	1,885.66	1,900.71
				3,473.74	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	43.38	8,440.09	8,483.47
				39.53	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	00	62.32	62.32
				950.92	-समाज कल्याण तथा पोषण	0.25	601.21	601.46
				238.09	-अन्य	1.92	319.65	321.58
				22,639.80	आर्थिक सेवाएं	7,653.47	28,880.41	36,533.88

			518.65	-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	818.22	588.24	1,406.46	
			1,600.07	-ग्राम्य विकास	(-) 0.42	4,443.36	4,442.94	
			779.07	-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	00	1,081.99	1,081.99	
			2,955.28	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	00	4,093.03	4,093.03	
			6,650.17	-ऊर्जा	6,749.02	4,210.94	10,959.96	
			3.69	-उद्योग एवं खनिज	6.60	48.15	54.75	
			10,051.74	-परिवहन	80.05	14,257.68	14,337.73	
			81.13	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	00	147.02	147.02	
			00	-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	00	10.00	10.00	
<b>589.57</b>	<b>V</b>	<b>ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली</b>	<b>262.48</b>	<b>1,473.34</b>	<b>V</b> संवितरित ऋण तथा अग्रिम-	<b>1,071.87</b>	<b>800.77</b>	<b>1,872.64</b>
422.25		-विद्युत परियोजनाओं से	109.71	00	-विद्युत परियोजनाओं हेतु	-	-	-
90.22		-सरकारी कर्मचारियों से	96.61	107.12	-सरकारी कर्मचारियों को	102.74	-	102.74
77.10		-अन्य से	56.16	1,366.22	-अन्य को	969.13	800.77	1,769.90
<b>10,066.88</b>	<b>VI</b>	<b>अधोनीत राजस्व अधिशेष</b>	<b>22,394.28</b>	<b>-</b>	<b>VI</b> अधोनीत राजस्व घाटा	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14,900.45</b>	<b>VII</b>	<b>लोक ऋण प्राप्तियां</b>	<b>35,520.28</b>	<b>8,166.74</b>	<b>VII</b> लोक ऋण की अदायगी	<b>9,411.21</b>	<b>-</b>	<b>9,411.21</b>
14,502.48		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	33,302.35	6,693.35	-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	8,050.64	-	8,050.64
8.07		-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेन देन	1,731.95	8.07	-अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन	-	-	00
-		-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत शुद्ध लेन देन	00	-	-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत शुद्ध लेनदेन	-	-	00
389.90		-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	485.98	1,465.32	-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	1,360.57	-	1,360.57
-	<b>VIII</b>	<b>आकस्मिकता निधि से विनियोग</b>	-	-	<b>VIII</b> आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	-

262.32	IX	आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित राशि	0.55	86.55	IX	आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	203.15
2,26,077.56	X	लोक लेखा प्राप्तियां	2,30,199.19	2,20,459.29	X	लोक लेखा संवितरण	-	-	2,28,014.45
9,659.91		-अल्पबचतें एवं भविष्य निधियां	9,987.94	7,297.12		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	-	-	8,301.56
12,975.36		-आरक्षित निधियां	9,991.69	5,021.15		-आरक्षित निधियां	-	-	12,685.93
1,62,144.85		-उचन्त एवं विविध	1,66,335.90	1,71,782.91		-उचन्त एवं विविध	-	-	165800.48
23,520.11		-प्रेषण	27,698.35	23,617.81		-प्रेषण	-	-	26,090.77
17,777.33		-जमा तथा अग्रिम	16,185.31	12,740.30		-जमा तथा अग्रिम	-	-	15,135.71
-	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्रॉफ्ट का अंतिम अवशेष	-	4,020.63	XI	अंतिम रोकड़ शेष	-	-	(-) 401.32
			#			-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-	-	00
			(-)1,156.31			भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	-	-	(-) 1,009.27
			12.48			-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	-	-	12.60
			5,164.46			-रोकड़ शेष निवेश लेखा	-	-	595.35
2,67,069.20		योग	4,85,819.01	2,67,069.20		योग			4,85,819.01

(#) ₹ एक लाख से कम धनराशि

<b>परिशिष्ट 1.4</b>	<b>वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना (संदर्भ : प्रस्तर 1.1.3 पृष्ठ 6)</b>
-------------------------	--

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	वृद्धि(+)/ कमी (-)	वृद्धि(+)/ कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4 (3-2)	5
राजस्व प्राप्तियाँ जिसमें	2,26,418.77	1,93,421.60	-32,997.17	-14.57
कर राजस्व	81,000.00	74,172.42	-6,827.58	-8.43
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	47,500.00	42,934.56	-4,565.44	-9.61
राज्य आबकारी	14,500.00	13,482.57	-1,017.43	-7.02
वाहनों पर कर	3,950.00	3,797.03	-152.97	-3.87
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	12,722.66	11,803.34	-919.32	-7.23
सामान एवं यात्रियों पर कर	00	0.55	0.55	0
भू—राजस्व	869.34	527.23	-342.11	-39.35
अन्य कर	1,458.00	1,627.14	169.14	11.60
करेतर राजस्व	20,231.95	19,934.80	-297.15	-1.47
ब्याज प्राप्तियाँ	1,434.90	2,302.82	867.92	60.49
विविध सामान्य सेवाएँ	4,037.81	6,400.41	2,362.60	58.51
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,100.00	1,029.41	-70.59	-6.42
अन्य करेतर राजस्व	13,659.24	10,202.16	-3,457.08	-25.31
केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश	76,501.55	66,622.91	-9,878.64	-12.91
भारत सरकार से सहायता अनुदान	48,685.27	32,691.47	-15,993.80	-32.85
राजस्व व्यय जिसमें	1,97,424.88	1,71,027.32	-26,397.56	-13.37
सामान्य सेवाएँ	74,325.18	64,305.73	-10,019.45	-13.48
प्रशासनिक सेवाएँ	16,418.50	13,875.38	-2,543.12	-15.49
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	25,842.64	22,340.46	-3,502.18	-13.55
ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	26,584.28	23,364.53	-3,219.75	-12.11
राजकोषीय सेवाएँ	3,223.48	2,828.96	-394.52	-12.24
सरकार के अंग	2,256.28	1,896.40	-359.88	-15.95
सामाजिक सेवाएँ	75,478.78	60,905.78	-14,573.00	-19.31
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	39,803.61	33,949.05	-5,854.56	-14.71
समाज कल्याण एवं पोषण	13,552.24	11,890.64	-1,661.60	-12.26
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,885.71	1,765.01	-3,120.70	-63.87
स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण	11,127.33	10,075.73	-1,051.60	-9.45
जलाधार्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	4,569.88	2,048.32	-2,521.56	-55.18
सूचना एवं प्रसारण	157.56	74.05	-83.51	-53.00

श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,282.06	1,032.31	-249.75	-19.48
अन्य	100.39	70.67	-29.72	-29.60
आर्थिक सेवाएं	<b>36,582.55</b>	<b>34,885.24</b>	<b>-1,697.31</b>	<b>-4.64</b>
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएँ	6,086.83	5,626.58	-460.25	-7.56
ग्राम्य विकास	8,372.63	6,292.02	-2,080.61	-24.85
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	909.23	373.27	-535.96	-58.95
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,477.21	5,348.60	-1,128.61	-17.42
ऊर्जा	10,404.02	12,340.18	1,936.16	18.61
उद्योग एवं खनिज	839.98	1,001.39	161.41	19.22
परिवहन	2,645.18	3,173.23	528.05	19.96
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	37.93	37.79	-0.14	-0.37
सामान्य आर्थिक सेवाएं	809.54	692.18	-117.36	-14.50
सहायता अनुदान एवं अंशदान	<b>11,038.37</b>	<b>10,930.57</b>	<b>-107.80</b>	<b>-0.98</b>
पूँजीगत व्यय जिसमें	<b>55,986.16</b>	<b>53,297.28</b>	<b>-2,688.88</b>	<b>-4.80</b>
सामान्य सेवाएं	<b>4,277.89</b>	<b>4,008.68</b>	<b>-269.21</b>	<b>-6.29</b>
सामाजिक सेवाएं	<b>14,209.77</b>	<b>12,754.72</b>	<b>-1,455.05</b>	<b>-10.24</b>
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,010.93	1,385.18	-625.75	-31.12
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3249.60	1,900.71	-1,348.89	-41.51
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	7,197.16	8,483.47	1,286.31	17.87
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	147.59	62.32	-85.27	-57.77
समाज कल्याण एवं पोषण	1,286.38	601.46	-684.92	-53.24
अन्य सामाजिक सेवाएं	318.11	321.58	3.47	1.09
आर्थिक सेवाएं	<b>37,498.50</b>	<b>36,533.88</b>	<b>-964.62</b>	<b>-2.57</b>
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	775.61	1,406.46	630.85	81.34
ग्राम्य विकास	4,090.90	4,442.94	352.04	8.61
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1,195.94	1,081.99	-113.95	-9.53
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,283.12	4,093.03	-1,190.09	-22.53
ऊर्जा	10,608.23	10,959.96	351.73	3.32
उद्योग एवं खनिज	75.10	54.75	-20.35	-27.10
परिवहन	15,328.53	14,337.73	-990.80	-6.46
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	10.00	10.00	0.00	0.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	131.07	147.02	15.95	12.17
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	(+) 28,993.89	(+) 22,394.28	-6,599.61	-22.76
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 28,410.98	(-) 32,513.16	4,102.18	14.44
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-) 9,525.64	(-) 13,648.63	4,122.99	43.28

<b>परिशिष्ट 1.5</b>	<b>राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकडे (संदर्भ : प्रस्तर 1.3; पृष्ठ 10)</b>
-------------------------	---

	(₹ करोड़ में)				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>भाग अ. प्राप्तियाँ</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>1,11,184</b>	<b>1,30,869</b>	<b>1,45,904</b>	<b>1,68,214</b>	<b>1,93,422</b>
(i) स्वयं के कर राजस्व	41,110(37)	52,613 (40)	58,098(40)	66,582(40)	74,172(38)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	24,837(60)	33,107 (63)	34,870 (60)	39,645(60)	42,934(58)
राज्य आबकारी	6,723(16)	8,139 (15)	9,782 (17)	11,644(18)	13,483(18)
वाहनों पर कर	1,817(4)	2,376 (4)	2,993 (5)	3,441(5)	3,797(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	5,975(15)	7,694 (15)	8,742 (15)	9,521(14)	11,803(16)
भू-राजस्व	1,134(3)	491 (1)	805 (1)	772(1)	527(1)
सामान तथा यात्रियों पर कर	242(1)	5 (0)	1 (0)	1(0)	1(0)
अन्य कर	382(1)	801 (2)	905 (2)	1,558(2)	1,627(2)
(ii) करेतर राजस्व	11,176(10)	10,145 (8)	12,970 (9)	16,450(10)	19,935(10)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	43,464(39)	50,351 (38)	57,498 (39)	62,777(37)	66,623(35)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	15,434(14)	17,760 (14)	17,338 (12)	22,405(13)	32,692(17)
<b>2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली</b>	<b>485</b>	<b>133</b>	<b>419</b>	<b>589</b>	<b>262</b>
<b>4. कुल राजस्व एवं ऋण रहित पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)</b>	<b>1,11,669</b>	<b>1,31,002</b>	<b>1,46,323</b>	<b>1,68,803</b>	<b>1,93,684</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>21,394</b>	<b>19,652</b>	<b>15,820</b>	<b>14,900</b>	<b>35,520</b>
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	20,317 (95)	19,336 (98)	15,493 (98)	14,502(97)	33,302(94)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन-देन	714(3)	-	31 (0)	8(0)	1,732(5)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	363(2)	316 (2)	296 (2)	390(3)	486(1)
<b>6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)</b>	<b>1,33,063</b>	<b>1,50,654</b>	<b>1,62,143</b>	<b>1,83,703</b>	<b>2,29,204</b>
<b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ</b>	<b>शून्य</b>	<b>40</b>	<b>310</b>	<b>262</b>	<b>1</b>
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>	<b>1,27,649</b>	<b>1,38,449</b>	<b>1,43,478</b>	<b>2,26,078</b>	<b>2,30,199</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)</b>	<b>2,60,712</b>	<b>2,89,143</b>	<b>3,05,931</b>	<b>4,10,043</b>	<b>4,59,404</b>
<b>भाग ब. व्यय / संवितरण</b>					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>1,07,676(83)</b>	<b>1,23,885 (84)</b>	<b>1,40,724 (85)</b>	<b>1,58,147(82)</b>	<b>1,71,027(76)</b>
आयोजनागत	21,040(20)	22,616 (18)	25,878 (18)	31,657(20)	33,262(19)
आयोजनेत्तर	86,636(80)	1,01,269 (82)	1,14,846 (82)	1,26,490(80)	1,37,765(81)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	48,019(45)	52,947 (43)	59,907 (43)	61,983(39)	64,305(38)
सामाजिक सेवाएं	39,567(37)	47,391 (38)	53,300 (38)	60,756(39)	60,906(36)
आर्थिक सेवाएं	15,725(15)	18,292 (15)	21,338 (15)	25,711(16)	34,885(20)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4,365(4)	5,255 (4)	6,179 (4)	9,696(6)	10,931(6)
<b>11. पूँजीगत व्यय</b>	<b>20,273(16)</b>	<b>21,574 (15)</b>	<b>23,834 (14)</b>	<b>32,863(17)</b>	<b>53,297(23)</b>
आयोजनागत	19,581(97)	20,735 (96)	22,608 (95)	30,608(93)	44,416(83)

	<b>2010-11</b>	<b>2011-12</b>	<b>2012-13</b>	<b>2013-14</b>	<b>2014-15</b>
आयोजनेत्तर	692(3)	839 (4)	1,226 (5)	2,255(7)	8,881(17)
सामान्य सेवाएं	1,002(5)	1,144 (5)	1,405 (6)	3,463(10)	4,009(7)
सामाजिक सेवाएं	4,796(24)	5,187 (24)	7,594 (32)	6,760(21)	12,755(24)
आर्थिक सेवाएं	14,475(71)	15,243 (71)	14,835 (62)	22,640(69)	36,534(69)
<b>12. ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान</b>	<b>968(1)</b>	<b>976 (1)</b>	<b>1,003 (1)</b>	<b>1,473(1)</b>	<b>1,873(1)</b>
<b>13. कुल व्यय (10+11+12)</b>	<b>1,28,917</b>	<b>1,46,435</b>	<b>1,65,561</b>	<b>1,92,483</b>	<b>2,26,197</b>
<b>14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान</b>	<b>7,383</b>	<b>8,288</b>	<b>8,909</b>	<b>8,167</b>	<b>9,411</b>
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	5,369(73)	6,973 (84)	7,514 (84)	6,694(82)	8,051(86)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन-देन	714(10)	-	-	8(0)	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,300(17)	1,315 (16)	1,395 (16)	1,465(18)	1,360(14)
<b>15. आकस्मिकता निधि से विनियोग</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. समेकित निधि से कुल संवितरण (कुल व्यय) (13+14+15)</b>	<b>1,36,300</b>	<b>1,54,723</b>	<b>1,74,470</b>	<b>2,00,650</b>	<b>2,35,608</b>
<b>17. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	<b>40</b>	<b>310</b>	<b>262</b>	<b>87</b>	<b>203</b>
<b>18. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>1,17,473</b>	<b>1,30,971</b>	<b>1,29,472</b>	<b>2,20,459</b>	<b>2,28,014</b>
<b>19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)</b>	<b>2,53,813</b>	<b>2,86,004</b>	<b>3,04,204</b>	<b>4,21,196</b>	<b>4,63,825</b>
<b>भाग स. घाटा</b>					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(+)3,508	(+)6,984	(+)5,180	(+)10,067	(+) 22,394
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-)17,248	(-) 15,433	(-)19,238	(-)23,680	(-) 32,513
22. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक आधिक्य(+)(21+23)	(-)3,032	(+) 48	(-)2,317	(-)6,268	(-) 13,648
<b>भाग द. अन्य आंकड़े</b>					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	14,216	15,481	16,921	17,412	18,865
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, इत्यादि	30,683	39,214	43,212	45,576	52,241
25. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट का लाभ (दिनों में)	-	-	-	-	-
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	4	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	4	-	-	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)@	5,88,467 <sup>7</sup>	6,87,836 <sup>8</sup>	7,69,729 <sup>9</sup>	8,90,265	9,76,297
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्षान्त)	2,24,785	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्षान्त) ब्याज सहित	20,162	21,752	43,337	62,822	70,740
30. अधिकतम प्रत्याभूति राशियाँ (वर्षान्त)	29,778	29,629	50,459	69,752	78,023
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	119	183	383	412	545
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2,735	2,453	3,393	3,032	7,714

<sup>7</sup> वर्ष 2010-11 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विवक आंकड़े हैं।

<sup>8</sup> वर्ष 2011-12 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अग्रिम आंकड़े हैं।

<sup>9</sup> वर्ष 2012-13 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अग्रिम आंकड़े हैं।

भाग य. राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
I. संसाधनों का संग्रहण					
स्वयं का कर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.99	7.65	7.55	7.48	7.60
करेतर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.90	1.47	1.69	1.85	2.04
केन्द्रीय स्थानान्तरण / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7.39	7.32	7.47	7.05	6.82
II. व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	21.91	21.29	21.51	21.62	23.17
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियाँ	115.95	111.89	113.47	114.43	116.94
राजस्व व्यय / कुल व्यय	83.52	84.60	85.00	82.16	75.61
सामाजिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय	34	36	37	35	33
आर्थिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय	23	23	22	25	32
पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	16	15	14	17	24
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	15	14	14	15	22
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(+).60	(+).02	(+).67	(+).13	(+).29
राजकोषीय घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-).93	(-).24	(-).50	(-).66	(-).33
प्राथमिक घाटा (आधिक्य) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-).52	(+).007	(-).30	(-).70	(-).40
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	--	-	-	-	-
प्राथमिक राजस्व शेष / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-).82	(-).124	(-).53	(-).83	(+).36
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	38	35	34	32	32
राजकोषीय देयताएं / राजस्व प्राप्तियाँ	202	186	178	167	159
प्राथमिक घाटा के सापेक्ष प्रमात्रा विस्तार	(+).23,413	(+).23,134	(+).10,282	(+).17,695	(-).4,465
ऋण मोचन (मूल+ब्याज) / कुल ऋण प्राप्ति	84	94	101	91	90
V. अन्य राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	26.81	38.17	62.70	5.23	8.08
चालू राजस्व से अवशेष (₹ करोड़ में)	19,530	24,864	26,323	35,617	32,275
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ / देयताएं	0.77	0.81	0.85	0.89	0.97

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।

® शासन/मुख्यालय द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के आंकड़ों को अपनाया गया है।

<b>परिशिष्ट 1.6</b>	(अ) वर्ष 2010-15 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व (ब) वर्ष 2010-15 की अवधि में करेतर राजस्व (सन्दर्भ : प्रस्तर 1.3.1 पृष्ठ 13)
-------------------------	--

**(अ) वर्ष 2010-15 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व**

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	24,837	33,107	34,870	39,645	47,500	42,934
राज्य आबकारी	6,723	8,139	9,782	11,644	14,500	13,483
वाहनों पर कर	1,817	2,376	2,993	3,441	3,950	3,797
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	5,975	7,694	8,742	9,521	12,723	11,803
भू-राजस्व	1,134	491	805	772	869	527
सामान एवं यात्रियों पर कर	242	5	1	1	00	1
अन्य कर	382	801	905	1,558	1,458	1,627
<b>योग (अ)</b>	<b>41,110</b>	<b>52,613</b>	<b>58,098</b>	<b>66,582</b>	<b>81,000</b>	<b>74,172</b>

**(ब) वर्ष 2010-15 की अवधि में करेतर राजस्व**

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	716	827	1,249	1,624	1,443	2,310
सामान्य सेवायें	5,807	4,907	5,069	3,907	4,886	7,122
सामाजिक सेवायें	3,019	2,662	4,670	7,159	8,117	6,514
आर्थिक सेवायें	1,634	1,749	1,982	3,760	5,786	3,988
<b>योग (ब)</b>	<b>11,176</b>	<b>10,145</b>	<b>12,970</b>	<b>16,450</b>	<b>20,232</b>	<b>19,935</b>
<b>कुल योग (अ+ब)</b>	<b>52,286</b>	<b>62,758</b>	<b>71,068</b>	<b>83,032</b>	<b>1,01,232</b>	<b>94,107</b>

परिशिष्ट 1.7	<b>31 मार्च 2015 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार</b> (संदर्भ : प्रस्तर 1.9.1 एवं 1.9.2 पृष्ठ )
-----------------	---

(₹ करोड़ में)

31.03.2014 को		31.03.2015 को
<b>देयताएँ</b>		
<b>1,56,207.87</b>	<b>आंतरिक ऋण</b>	<b>1,83,191.54</b>
89,154.71	ब्याज सहित बाजार ऋण	1,02,667.36
2.79	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.77
9.81	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	6.43
67,040.56	अन्य संस्थानों से ऋण	78,783.03
00	अर्थोपाय अग्रिम	1,731.95
00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	00
<b>15,336.24</b>	<b>केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>14,461.65</b>
9.94	1984–85 से पहले का ऋण	9.94
86.55	आयोजनेतर ऋण	79.41
15,228.14	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	14,360.68
0	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	00
10.18	केन्द्र द्वारा पुरोन्धानित योजनाओं के लिए ऋण	10.19
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43
<b>600.00</b>	<b>आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)</b>	<b>600.00</b>
<b>43,434.55</b>	<b>अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि</b>	<b>45,120.93</b>
<b>22,806.25</b>	<b>निक्षेप</b>	<b>23,855.22</b>
<b>43,924.04</b>	<b>आरक्षित निधियां</b>	<b>41,229.79</b>
<b>1,321.78</b>	<b>प्रेषण शेष</b>	<b>2,929.37</b>
<b>2,83,630.73</b>	<b>योग</b>	<b>3,11,388.50</b>
<b>परिसम्पत्तियां</b>		
<b>2,35,136.28</b>	<b>अचल सम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय</b>	<b>2,88,433.56</b>
52,466.73	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	58,606.06
1,82,669.55	अन्य पूंजीगत परिव्यय	2,29,827.50
<b>86.69</b>	<b>आकस्मिकता निधि (असामायोजित)</b>	<b>289.29</b>
<b>12,456.20</b>	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>14,066.37</b>
2,040.15	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	1,930.43
10,203.12	अन्य विकास ऋण	11,916.89
212.93	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	219.05

<b>45.20</b>	आरक्षित निधियों में निवेश		<b>45.20</b>
<b>9.57</b>	अग्रिम		<b>8.94</b>
<b>1,543.43</b>	उचन्त एवं विविध शेष		<b>1,008.01</b>
<b>4,020.63</b>	रोकड़		<b>(-) 401.32</b>
00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	00	
(-)1,156.31	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-) 1,009.27	
12.05	विभागीय रोकड़ शेष	12.17	
0.43	स्थाई अग्रिम	0.43	
5,164.46	रोकड़ शेष निवेश	595.35	
<b>30,332.73</b>	<b>सरकारी लेखों में घाटा</b>		<b>7,938.45</b>
40,399.61*	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घाटा	30,332.73	
10,066.88	(ii) घटाना: वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य	22,394.28	
<b>2,83,630.73</b>		योग	<b>3,11,388.50</b>

### परिशिष्ट 1.3 एवं 1.7 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखे में घाटे, जैसा कि परिशिष्ट 1.7 में प्रदर्शित है, रोकड़ की स्थिति अंकित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का हास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लंबित समाधान सम्मिलित हैं। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच ₹ 45.54 करोड़ (निवल डेविट) का अन्तर था।

\* पूर्णांक किये जाने के कारण

<b>परिशिष्ट 1.8</b>	<b>आरक्षित निधियों का विवरण (संदर्भ : प्रस्तर 1.9.3 पृष्ठ 35)</b>
-------------------------	---

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अंतिम शेष
<b>2012-13</b>				
<b>आरक्षित निधियाँ</b>				
<b>ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ</b>				
8115-मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	<b>1,848.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,848.54</b>
103—मूल्यहास / आरक्षित निधि—सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	6,290.11	0.00	0.00	6,290.11
105—मूल्यहास आरक्षित निधि—निवेश खाता	-4,441.57	0.00	0.00	-4,441.57
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	<b>126.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126.69</b>
102—कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	0.00	0.00	120.50
111—आकस्मिकता आरक्षित निधि—विद्युत	6.19	0.00	0.00	6.19
योग	<b>1,975.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975.23</b>
<b>ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ</b>				
8222- सिंकिंग फण्ड	<b>29,80,966.95</b>	<b>8,26,168.64</b>	<b>3,23,691.26</b>	<b>34,83,444.33</b>
01—ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	29,80,966.95	8,26,168.64	3,23,691.26	34,83,444.33
101— सिंकिंग फण्ड				
8223- अकाल राहत निधि	<b>853.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>853.50</b>
101—अकाल राहत निधि	931.51	0.00	0.00	931.51
102—अकाल राहत निधि—निवेश लेखा	-78.01	0.00	0.00	-78.01
8225- सङ्कें एवं सेतु निधि	<b>99,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>94,096.38</b>	<b>5,744.65</b>
101—राज्य सङ्केत तथा सेतु निधि	99,841.03	0.00	94,096.38	5,744.65
8226- मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	<b>4,909.77</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,920.77</b>
102—सरकारी वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	<b>4,909.77</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,920.77</b>
8229- विकास एवं कल्याण निधि	<b>42,970.55</b>	<b>71,319.89</b>	<b>60,385.18</b>	<b>53,905.26</b>
101—शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,192.14	133.93	0.00	4,326.07
102—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,084.89	3.95	0.00	1,088.84
105—चीनी विकास निधि	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
106—औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	0.00	0.00	3,022.38
109—सहकारी विकास निधि	4.77	0.00	0.00	4.77
200—अन्य विकास तथा कल्याण निधि	33,666.37	71,182.01	60,385.18	44,463.20
8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	<b>22,331.92</b>	<b>66,328.45</b>	<b>47,041.57</b>	<b>41,618.80</b>
101—सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	483.70	4.80	0.00	488.50
102—जर्मीनी उन्मूलन निधि	707.78	0.00	0.00	707.78
103—धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	0.00	0.00	33.79
105—सामान्य बीमा निधि	27.78	0.00	0.00	27.78
111—राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	17,807.74	62,458.00	47,041.57	33,224.17
200—अन्य निधियाँ	3,271.13	3,865.65	0.00	7,136.78
योग	<b>31,51,873.72</b>	<b>9,63,827.98</b>	<b>5,25,214.39</b>	<b>35,90,487.31</b>
महायोग	<b>31,53,848.95</b>	<b>9,63,827.98</b>	<b>5,25,214.39</b>	<b>35,92,462.54</b>

2013-14				
<b>आरक्षित निधियां</b>				
<b>ब्याज सहित आरक्षित निधियां</b>				
8115-मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	1,848.54	00	00	1,848.54
103-मूल्यहास / आरक्षित निधि— सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	6,290.11	00	00	6,290.11
105- मूल्यहास आरक्षित निधि—निवेश खाता	-4,441.57	00	00	-4,441.57
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	126.69	00	00	126.69
102-कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	00	00	120.50
111—आकस्मिकता आरक्षित निधि—विद्युत	6.19	00	00	6.19
योग	1,975.23	00	00	1,975.23
<b>ब्याज रहित आरक्षित निधियां</b>				
8222- सिंकिंग फण्ड	34,83,444.33	8,36,424.60	2,94,598.00	40,25,270.93
01—ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	34,83,444.33	8,36,424.60	2,94,598.00	40,25,270.93
101— सिंकिंग फण्ड				
8223- अकाल राहत निधि	853.50	00	00	853.50
101—अकाल राहत निधि	931.51	00	00	931.51
102—अकाल राहत निधि—निवेश लेखा	-78.01	00	00	-78.01
8225- सङ्कें एवं सेतु निधि	5,744.65	2,10,000.00	00	2,15,744.65
101—राज्य सङ्क तथा सेतु निधि	5,744.65	2,10,000.00	00	2,15,744.65
8226- मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	4,920.77	1,011.00	00	5,931.77
102—सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	4,920.77	1,011.00	00	5,931.77
8229- विकास एवं कल्याण निधि	53,905.26	2,00,066.31	1,44,609.62	1,09,361.95
101—शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,326.07	40.60	39.29	4,327.38
102—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	00	1,088.84
105—चीनी विकास निधि	1,000.00	00	00	1,000.00
106—औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	00	3,022.38
109—सहकारी विकास निधि	4.77	00	00	4.77
200—अन्य विकास तथा कल्याण निधि	44,463.20	2,00,025.71	1,44,570.33	99,918.58
8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	41,618.80	50,034.47	62,907.36	28,745.91
101—सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपकरणों की सामान्य आरक्षित निधियां	488.50	10.04	00	498.54
102—जर्मीदारी उन्मूलन निधि	707.78	00	00	707.78
103—धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	00	00	33.79
105—सामान्य बीमा निधि	27.78	00	00	27.78
111—राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	33,224.17	48,772.63	62,907.36	19,089.44
200—अन्य निधियां	7,136.78	1,251.80	00	8,388.58
योग	35,90,487.31	12,97,536.38	5,02,114.98	43,85,908.71
महायोग	35,92,462.54	12,97,536.38	5,02,114.98	43,87,883.94

2014-15				
<b>आरक्षित निधियाँ</b>				
<b>ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ</b>				
8115-मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	<b>1,848.54</b>	<b>00</b>	<b>6,290.11</b>	<b>-4,441.57</b>
103-मूल्यहास / आरक्षित निधि— सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	6,290.11	00	6,290.11	00
105-मूल्यहास आरक्षित निधि—निवेश खाता	-4,441.57	00	00	-4,441.57
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	<b>126.69</b>	<b>00</b>	<b>126.69</b>	<b>0.00</b>
102-कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	120.50	00	126.69	-6.19
111—आकर्षित निधि—विद्युत	6.19	00	00	6.19
योग	<b>1,975.23</b>	<b>00</b>	<b>6,416.80</b>	<b>-4,441.57</b>
<b>ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ</b>				
8222- सिंकिंग फण्ड	<b>40,25,270.93</b>	<b>4,50,000.00</b>	<b>3,98,780.60</b>	<b>4,076,490.33</b>
01—ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	40,25,270.93	4,50,000.00	3,98,780.60	4,076,490.33
101—सिंकिंग फण्ड				
8223- अकाल राहत निधि	<b>853.50</b>	<b>00</b>	<b>931.51</b>	<b>-78.01</b>
101—अकाल राहत निधि	931.51	00	931.51	0.00
102—अकाल राहत निधि—निवेश लेखा	-78.01	00	00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	<b>2,15,744.65</b>	<b>2,80,000.00</b>	<b>5,27,918.38</b>	<b>-32,173.73</b>
101—राज्य सड़क तथा सेतु निधि	2,15,744.65	2,80,000.00	5,27,918.38	-32,173.73
8226- मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	<b>5,931.77</b>	<b>00</b>	<b>1,901.80</b>	<b>4,029.97</b>
102—सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	5,931.77	00	1,901.80	4,029.97
8229- विकास एवं कल्याण निधि	<b>1,09,361.95</b>	<b>2,00,565.15</b>	<b>2,65,934.33</b>	<b>43,992.77</b>
101—शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,327.38	2,00,565.14	20,102.35	1,84,790.17
102—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये विकास निधि	1,088.84	00	00	1,088.84
105—चीनी विकास निधि	1,000.00	00	00	1,000.00
106—औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	00	00	3,022.38
109—सहकारी विकास निधि	4.77	0.01	00	4.78
200—अन्य विकास तथा कल्याण निधि	99,918.58	00	2,45,831.98	-1,45,913.40
8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	<b>28,745.91</b>	<b>68,603.79</b>	<b>66,709.73</b>	<b>30,639.97</b>
101—सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपकरणों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	498.54	586.52	735.56	349.50
102—जर्मीदारी उन्मूलन निधि	707.78	00	00	707.78
103—धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	00	00	33.79
105—सामान्य बीमा निधि	27.78	00	00	27.78
111—राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	19,089.44	65,590.58	65,123.45	19,556.57
200—अन्य निधियाँ	8,388.58	2,426.69	850.72	9,964.55
योग	<b>43,85,908.71</b>	<b>9,99,168.94</b>	<b>12,62,176.35</b>	<b>41,22,901.30</b>
महायोग	<b>43,87,883.94</b>	<b>9,99,168.94</b>	<b>12,68,593.15</b>	<b>41,18,459.73</b>

<b>परिशिष्ट 2.1</b>	<b>अनुदानों / विनियागों का विवरण, जहां प्रत्येक अनुदान / विनियोग में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी (सन्दर्भ : प्रस्तर 2.3.1 पृष्ठ 48)</b>
-------------------------	---

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान / विभाग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	₹ करोड़ में)
					प्रतिशतता
<b>राजस्व दत्तमत</b>					
1.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	216.05	35.31	16
2.	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	27.40	5.55	20
3.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	85.46	51.13	60
4.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	112.42	45.31	40
5.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	141.79	25.26	18
6.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	295.99	52.92	18
7.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,021.82	425.39	14
8.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	500.54	269.34	54
9.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,974.49	399.75	20
10.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	6,567.37	2,368.27	36
11.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	717.89	54.12	8
12.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	92.46	19.83	21
13.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1,087.73	34.34	3
14.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	4.77	1.81	38
15.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	243.57	25.35	10
16.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	170.32	31.06	18
17.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग )	622.41	42.37	7
18.	25	गृह विभाग (कारागार)	523.70	24.61	5
19.	26	गृह विभाग (पुलिस)	11,643.98	994.09	9
20.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	168.70	40.19	24
21.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,192.67	13.43	1
22.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4,367.26	672.14	14
23.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	597.08	105.53	18
24.	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	280.22	44.58	16
25.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	3,626.30	210.71	6
26.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	549.21	190.08	35
27.	37	नगर विकास विभाग	5,547.44	2,762.12	50
28.	40	नियोजन विभाग	311.90	149.94	48
29.	41	निर्वाचन विभाग	250.02	11.54	5
30.	42	न्याय विभाग	1,442.27	330.65	29
31.	43	परिवहन विभाग	165.10	22.00	13

32.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	286.92	47.81	17
33.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,695.26	815.40	48
34.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,170.91	370.04	7
35.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	781.37	176.08	23
36.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	692.81	205.51	30
37.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,897.78	337.40	12
38.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1.89	0.72	38
39.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,827.52	1,265.68	69
40.	60	वन विभाग	569.76	67.22	12
41.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	11,043.62	109.64	1
42.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	24,301.73	3,829.53	16
43.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	218.45	47.11	22
44.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि )	216.45	38.47	18
45.	68	विधान सभा सचिवालय	99.29	11.63	12
46.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	416.95	169.83	39
47.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	27,290.24	4,390.54	16
48.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	7,254.89	787.75	11
49.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,060.54	422.39	20
50.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	117.52	53.69	46
51.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	284.96	50.45	18
52.	77	श्रम विभाग (रोजगार)	455.37	222.47	49
53.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	604.03	87.67	15
54.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1,510.97	602.33	40
55.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	5,070.96	1,612.85	32
56.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	124.82	77.87	62
57.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,466.28	2,509.94	27
58.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	3.77	0.94	25
59.	86	सूचना विभाग	168.46	96.00	57
60.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	582.59	73.54	13
61.	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजी कर)	75.73	27.78	37
62.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,169.10	745.95	24
63.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	3,217.16	739.30	23
निवल योग			<b>1,58,226.43</b>	<b>29,452.25</b>	

### राजस्व भारित

64.	1	आबकारी विभाग	0.20	0.09	45
65.	2	आवास विभाग	6.50	4.25	65
66.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.06	0.05	83

67.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.15	0.07	47
68.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.14	0.14	100
69.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.02	100
70.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.10	0.06	60
71.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.75	0.58	77
72.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	0.20	100
73.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.26	0.25	96
74.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	0.02	100
75.	42	न्याय विभाग	273.35	35.31	13
76.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.10	0.10	100
77.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.17	0.16	94
78.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.19	0.18	95
79.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	0.03	75
80.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	0.05	0.05	100
81.	60	वन विभाग	0.14	0.07	50
82.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	26,228.78	3,211.79	12
83.	67	विधान परिषद सचिवालय	0.57	0.30	53
84.	68	विधान सभा सचिवालय	1.25	0.80	64
85.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	0.03	100
86.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.50	0.24	48
निवल योग			<b>26,513.57</b>	<b>3,254.79</b>	

### पूँजीगत दत्तमत

87.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	42.35	37.45	88
88.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	3,421.44	456.88	13
89.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	8.34	2.18	26
90.	9	ऊर्जा विभाग	13,391.74	1,615.00	12
91.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	965.75	286.17	30
92.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	10,423.68	2,017.90	19
93.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	843.87	74.50	9
94.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	98.58	17.59	18
95.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	67.00	67.00	100
96.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	7,776.51	2,192.04	28
97.	26	गृह विभाग (पुलिस)	865.77	110.84	13
98.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	0.30	0.30	100
99.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,175.19	29.97	3
100.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	639.29	93.86	15
101.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	1,059.00	1,052.77	99
102.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	7.65	4.20	55
103.	37	नगर विकास विभाग	1,633.20	81.86	5

104.	42	न्याय विभाग	739.13	153.89	21
105.	43	परिवहन विभाग	189.85	13.20	7
106.	44	पर्यटन विभाग	160.07	12.01	8
107.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	255.04	66.08	26
108.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	999.97	640.44	64
109.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	169.66	100.13	59
110.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	274.14	129.41	47
111.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	25.00	14.54	58
112.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	9.16	2.32	25
113.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.01	0.01	100
114.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	270.00	28.82	11
115.	60	वन विभाग	288.68	15.35	5
116.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2,221.40	116.75	5
117.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	100.00	97.63	98
118.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	0.05	0.03	60
119.	67	विधान परिषद सचिवालय	0.04	0.04	100
120.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	50.00	15.47	31
121.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	179.99	97.85	54
122.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	659.11	356.71	54
123.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	346.41	69.77	20
124.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	13.36	5.44	41
125.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	115.48	42.67	37
126.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	35.46	20.64	58
127.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	7,872.63	1,634.76	21
128.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	5.27	1.07	20
129.	92	संस्कृति विभाग	84.29	45.86	54
130.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	5,360.91	664.63	12

**निवल योग** **62,844.77** **12,486.03**

### पूँजीगत भारित

131.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	460.61	41.60	9
132.	42	न्याय विभाग	22.91	8.13	35
133.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.06	0.06	100
134.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सङ्केत)	6.00	2.25	38
135.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	19,331.18	9,971.46	52
136.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	20.00	4.72	24

**निवल योग** **19,840.76** **10,028.22**

**महायोग** **2,67,425.53** **55,221.29**

<b>परिशिष्ट 2.2</b>	अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान / विनियोग के अन्तर्गत व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.3; पृष्ठ.)
-------------------------	--

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान / विभाग का नाम	कुल अनुदान	कुल व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता
राजस्व दत्तमत					
1.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	4,148.36	4,459.09	7
		योग	<b>4,148.36</b>	<b>4,459.09</b>	
राजस्व भारित					
2.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.16	0.27	69
		योग	<b>0.16</b>	<b>0.27</b>	
पूँजीगत दत्तमत					
3.	01	आबकारी विभाग	2.43	3.08	27
4.	40	नियोजन विभाग	2,234.44	2,600.69	16
5.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	40.90	88.13	115
6.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सेतु)	1,297.46	1,430.56	10
7.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	8,761.46	11,191.67	28
		योग	<b>12,336.69</b>	<b>15,314.13</b>	
		महायोग	<b>16,485.21</b>	<b>19,773.49</b>	

<b>परिशिष्ट</b> <b>2.3</b>	<b>प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए</b> <i>(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6; पुष्ट)</i>
-------------------------------	--

(₹ करोड़ में)						
क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के सापेक्ष बचत
<b>राजस्व दत्तमत</b>						
1.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	212.05	180.74	4.00	31.31
2.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	289.92	243.07	6.07	46.85
3.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,797.56	2,596.44	224.26	201.12
4.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	6,009.48	4,199.10	557.88	1,810.38
5.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	675.60	663.77	42.29	11.83
6.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घटाला विकास)	70.08	65.30	4.25	4.78
7.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	78.42	72.62	14.03	5.80
8.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	229.50	218.22	14.07	11.28
9.	22	खेल विभाग	65.04	64.73	6.40	0.31
10.	26	गृह विभाग (पुलिस)	11,641.86	10,649.89	2.12	991.97
11.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,184.69	1,179.24	7.98	5.45
12.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4,111.43	3,695.13	255.83	416.30
13.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	3,618.60	3,415.59	7.70	203.01
14.	37	नगर विकास विभाग	4,978.83	2,785.32	568.61	2,193.51
15.	40	नियोजन विभाग	305.58	161.96	6.32	143.62
16.	41	निर्वाचन विभाग	247.72	238.48	2.30	9.24
17.	42	न्याय विभाग	1,427.27	1,111.62	15.00	315.65
18.	43	परिवहन विभाग	147.64	143.10	17.47	4.54
19.	44	पर्यटन विभाग	36.37	31.97	3.00	4.40
20.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5,069.81	4,800.87	101.10	268.94
21.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	779.45	605.29	1.93	174.16
22.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	494.81	487.31	198.00	7.50
23.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,837.78	2,560.38	60.00	277.40
24.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिकारी)	1,806.52	561.84	21.00	1,244.68
25.	60	वन विभाग	558.80	502.54	10.95	56.26

26.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेशन)	24,296.58	20,472.20	5.15	3,824.38
27.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	27,215.55	22,899.70	74.70	4,315.85
28.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	7,229.39	6,467.15	25.50	762.24
29.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,042.50	1,638.15	18.04	404.35
30.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	115.43	63.83	2.09	51.60
31.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	589.03	516.36	15.00	72.67
32.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1,509.52	908.64	1.45	600.88
33.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	93.03	46.95	31.79	46.08
34.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,315.96	6,956.35	150.33	2,359.61
35.	86	सूचना विभाग	155.96	72.46	12.50	83.50
36.	92	संस्कृति विभाग	52.03	47.68	2.72	4.35
37.	94	सिंचार्इ विभाग (निर्माण)	2,522.71	2,423.15	646.39	99.56
योग			<b>1,24,812.50</b>	<b>1,03,747.14</b>	<b>3,138.22</b>	<b>21,065.36</b>
<b>राजस्व भारित</b>						
38.	42	न्याय विभाग	263.25	238.04	10.10	25.21
योग			<b>263.25</b>	<b>238.04</b>	<b>10.10</b>	<b>25.21</b>
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>						
39.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	22.35	4.90	20.00	17.45
40.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	3,279.78	2,964.56	141.66	315.22
41.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	809.00	679.58	156.75	129.42
42.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	9,025.66	8,405.78	1,398.02	619.88
43.	26	गृह विभाग (पुलिस)	757.80	754.93	107.97	2.87
44.	37	नगर विकास विभाग	1,607.53	1,551.35	25.67	56.18
45.	42	न्याय विभाग	725.63	585.24	13.50	140.39
46.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	241.04	188.95	14.00	52.09
47.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	648.11	302.40	11.00	345.71
48.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	31.72	14.82	3.74	16.90
49.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	6,691.20	6,237.87	1,181.43	453.33
50.	92	संस्कृति विभाग	78.99	38.44	5.30	40.55
51.	94	सिंचार्इ विभाग (निर्माण)	5,044.86	4,696.29	316.05	348.57
योग			<b>28,963.67</b>	<b>26,425.11</b>	<b>3,395.09</b>	<b>2,538.56</b>
महायोग			<b>1,54,039.42</b>	<b>1,30,410.29</b>	<b>6,543.41</b>	<b>23,629.13</b>

<b>परिशिष्ट 2.4</b>	<b>अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक अनुदान / विनियोग में ₹ दो करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6 युच)</b>
-------------------------	--

₹ करोड़ में)							
क्र० सं०	अनुदान सं०	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	आधिक्य
राजस्व दत्तमत							
1.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	72.20	13.15	85.35	93.06	7.71
2.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	3,398.36	750.00	4,148.36	4,459.09	310.73
3.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	209.54	25.09	234.63	239.33	4.70
योग			<b>3,680.10</b>	<b>788.24</b>	<b>4,468.34</b>	<b>4,791.48</b>	<b>323.14</b>
पूँजीगत दत्तमत							
4.	40	नियोजन विभाग	1,834.44	400.00	2,234.44	2,600.69	366.25
5.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सेतु)	1,222.46	75.00	1,297.46	1,430.56	133.10
6.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	8,050.46	711.00	8,761.46	11,191.67	2,430.21
योग			<b>11,107.36</b>	<b>1,186.00</b>	<b>12,293.36</b>	<b>15,222.92</b>	<b>2,929.56</b>
महायोग			<b>14,787.46</b>	<b>1,974.24</b>	<b>16,761.70</b>	<b>20,014.40</b>	<b>3,252.70</b>

<b>परिशिष्ट</b> <b>2.5</b>	<b>निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग</b> (सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.7 पृष्ठ)
-------------------------------	--

(₹ लाख में)

क्र० स०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
1.	01	आबकारी विभाग	2039-001-03	53.95	00	9.19
2.			2039-001-04	15.00	00	0.22
3.			2039-001-05	22.10	27.74	00
4.	02	आवास विभाग	4217-800-05	2,368.54	2,500.00	00
5.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2851-107-03	7.00	00	14.67
6.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-001-05	235.00	2.79	00
7.			2401-109-97	296.00	00	90.00
8.			2415-120-07	50.00	00	50.00
9.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-001-03	130.02	00	0.85
10.			2515-001-04	81.86	1.72	00
11.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-001-03	241.30	3.74	00
12.			2403-103-07	25.00	0.22	00
13.			2403-106-03	350.00	00	4.38
14.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-001-03	17.02	00	1.07
15.			2405-190-01	107.55	00	0.01
16.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	2075-800-03	6.80	00	1.50
17.	22	खेल विभाग	2204-104-13	165.00	00	0.03
18.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2401-001-03	0.96	00	0.04
19.	25	गृह विभाग (कारागार)	2056-001-03	10.75	00	163.29
20.			2056-101-03	14.73	00	2,277.34
21.			2056-102-03	307.20	00	1.33
22.			4070-800-16	264.00	00	0.70
23.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-116-03	98.44	00	14.06
24.			4055-207-12	2,482.13	1,985.44	00
25.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	2012-103-03	4.00	00	5.41
26.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2210-110-01	97.53	00	75.05
27.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-110-04	300.00	00	22,130.85
28.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-02-103-03	1.75	2.70	00
29.			2210-04-103-03	19.60	00	26.97
30.			2210-05-103-03	25.60	22.38	00

31.	37	नगर विकास विभाग	2215-192-04	2,320.61	1,746.44	00
32.			2217-192-04	500.00	00	208.64
33.			2217-193-04	500.00	00	369.98
34.			6215-192-04	7,500.00	1,633.65	00
35.	39	भाषा विभाग	2202-102-08	4.94	00	1.56
36.	40	नियोजन विभाग	2575-800-04	586.20	00	0.79
37.			2575-102-03	13.72	00	15.00
38.			2575-105-04	35.50	00	33.70
39.			2575-101-03	13.53	102.30	00
40.			3451-101-04	109.64	00	0.36
41.			4059-800-03	387.07	104.36	00
42.			4215-101-03	568.57	840.07	00
43.			4575-800-04	10,222.87	00	3,687.12
44.			4575-102-03	24.68	00	2.11
45.			4575-800-10	8.45	32.61	00
46.			5054-337-03	10,383.21	46,026.15	00
47.			4575-102-03	954.50	00	1,000.00
48.			4575-337-03	711.33	00	26.50
49.			4575-800-07	17.26	00	7.04
50.	41	निर्वाचन विभाग	2015-103-05	126.41	00	0.77
51.			2015-105-04	4.00	00	2.28
52.			2015-103-06	500.00	00	0.64
53.			2015-105-03	1,444.49	00	78.50
54.			2015-106-03	25.64	1.38	00
55.			2015-106-05	327.45	00	0.42
56.			2015-106-06	46.81	00	1.55
57.	42	न्याय विभाग	2014-800-03	40.00	00	72.67
58.			2052-091-03	14.30	00	35.92
59.			2235-200-04	200.00	00	246.02
60.			2014-114-03	71.07	00	49.23
61.	43	परिवहन विभाग	2041-800-03	1.90	00	0.55
62.			3055-001-03	44.90	00	7.61
63.			3055-800-05	500.00	00	5.44
64.	44	पर्यटन विभाग	3452-001-03	27.17	00	231.59
65.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-001-03	33.03	00	0.83
66.			2203-104-15	53.63	00	21.45
67.			2203-105-04	60.00	00	2.29
68.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-800-03	36.50	1,780.63	00
69.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-051-21	50.56	40.17	00
70.			4059-051-23	105.00	28.47	00

71.			4059-051-24	20.00	4.00	00
72.			4216-700-05	101.35	95.80	00
73.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	5054-03-337-13	8,475.65	3,920.32	00
74.			5054-337-84	350.00	13.99	00
75.			5054-04-337-13	750.00	11,348.10	00
76.			5054-04-337-58	3,468.81	16,385.98	00
77.			5054-04-337-65	69.00	6.90	00
78.			5054-04-337-83	274.74	57.48	00
79.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2013-800-04	145.00	00	20.00
80.			2013-800-03	20.00	294.27	00
81.			2059-053-03	75.00	26.99	00
82.			2059-053-04	45.00	37.73	00
83.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2049-101-36	5,300.00	00	20,216.25
84.			2049-101-34	3,851.20	192.75	00
85.			2049-123-04	34,110.88	0.02	00
86.			2049-101-05	178.51	524.83	00
87.			7610-201-04	500.00	00	722.69
88.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	2071-800-11	1,000.00	00	950.01
89.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2054-095-03	16.38	00	544.24
90.			2054-097-03	566.84	00	3,822.10
91.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	4250-203-07	95.00	00	784.55
92.			4250-203-05	1,446.49	00	41.00
93.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-101-03	30.00	00	456.63
94.			2202-107-13	2.30	00	16.22
95.			2202-108-04	32.15	00	634.68
96.			2202-109-03	34.04	00	13,477.59
97.			2202-102-03	1,500.00	00	859.56
98.			2202-107-11	5.27	00	4.75
99.			2202-108-03	820.25	00	231.62
100.			2202-109-04	148.20	00	0.87
101.			2202-109-08	1,000.00	00	416.79
102.			2202-800-12	39.76	00	2.10
103.			2202-800-20	519.00	00	203.21
104.			2202-103-04	2,000.00	00	565.63
105.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-103-03	625.00	00	623.23
106.			2202-104-04	50.00	00	50.00
107.			2202-001-03	87.92	00	84.20
108.			2202-001-04	38.00	00	26.67
109.			2202-800-09	94.75	00	8.81

110.	74	गृह विभाग (होमगार्ड)	2070-107-04	120.90	00	20.54
111.			2070-107-05	26.44	00	98.36
112.			2070-107-03	35.00	41.07	00
113.			4070-800-04	200.00	00	127.13
114.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-001-03	11.83	00	0.85
115.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2210-102-03	0.55	4.24	00
116.			2210-102-04	0.50	2.81	00
117.			2230-001-03	2.50	00	78.76
118.			2230-101-03	5.43	00	429.60
119.			2230-101-04	33.28	00	524.24
120.			2230-101-05	15.30	00	17.00
121.			2230-103-03	1.50	00	199.19
122.			2230-103-04	0.02	00	277.84
123.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	2230-001-03	2.15	0.17	00
124.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2052-090-03	183.50	28.39	00
125.			2013-104-03	200.00	00	89.49
126.			2013-800-03	120.00	00	0.01
127.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225-001-03	6.27	9.23	00
128.			2225-277-03	13,133.00	00	26,474.64
129.			2225-277-07	8,075.96	00	24,957.18
130.			2235-101-14	52.34	00	183.88
131.			2235-101-03	166.12	00	51.04
132.			2235-101-06	50.56	00	0.01
133.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2235-796-05	199.98	00	0.05
134.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2230-789-03	86.00	00	28.11
135.			2501-789-02	19,274.67	00	19,274.67
136.			4202-789-01	675.00	00	8,582.12
137.			4250-789-03	30.03	00	38.06
138.			5054-789-04	19,160.00	0.40	00
139.			5054-789-11	6,000.00	00	217.29
140.			5054-789-12	425.10	95.74	00
141.			5054-789-20	295.00	35.74	00
142.			5054-789-23	3,985.80	668.50	00
143.			5054-789-25	295.00	00	564.39
144.	86	सूचना विभाग	2220-001-03	80.00	3.91	00
145.			2220-101-05	400.00	00	8,661.03
146.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	2052-091-06	3.00	00	2.30

147.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	2040-800-03	235.00	36.80	00		
148.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-001-03	90.00	00	1.74		
149.	92	संस्कृति विभाग	2205-104-01	13.62	0.01	00		
150.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	4700-051-10	294.03	00	2,228.22		
151.			4700-05-051-10	500.00	00	3,563.03		
152.			4700-08-051-10	39.21	00	735.59		
153.			4700-07-051-10	1,500.00	00	614.22		
154.			4700-22-051-10	4,000.00	00	7,725.04		
155.			4700-97-051-10	2,600.00	00	4,725.79		
156.			4701-005-10	1,412.01	00	120.87		
157.			4711-103-06	3,240.41	00	1,474.10		
158.			4711-103-07	1,046.42	00	174.31		
159.			4711-103-08	2,982.99	00	220.29		
160.			4711-103-09	5,171.08	00	992.98		
161.			4700-19-051-10	700.00	00	68.74		
162.			4701-051-10	432.77	14.44	00		
163.			4702-102-03	592.10	656.76	00		
			योग	2,12,462.63	91,390.33	1,89,282.21		
			अथवा	2,124.63 करोड	913.90 करोड	1,892.82 करोड		

<b>परिशिष्ट</b> <b>2.6</b>	<b>वर्ष 2014–15 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण</b> <i>(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.8 पृष्ठ)</i>
-------------------------------	--

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पित धनराशि (प्रतिशत में)	अभ्यर्पण का कारण
1.	1	आबकारी विभाग	2216-700-03 आबकारी विभाग के आवासीय भवनों की मरम्मत व रख-रखाव	10.00	8.41	84	आर्थिक भितव्ययिता के कारण।
2.			4059-051-03 आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	50.00	32.79	66	लघु निर्माण कार्यों हेतु सहायक कार्यालयों द्वारा मांग कम किये जाने के कारण।
3.			4059-051-05 जनपद संत रविदासनगर में आबकारी गोदाम में कार्यालय भवन का निर्माण	17.49	17.49	100	लेखे में धनराशि की अस्थीकृति एवं कार्यदायी एजेंसी सी एंड डी एस यूनिट-38 उत्तर प्रदेश जल निगम, सोनभद्र द्वारा वर्तमान प्राककलन पर कार्य न होने के कारण।
4.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-23 महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजनार्थगत ब्याज उपादान	150.00	150.00	100	अभ्यर्पण योग्य प्रकरणों के न होने के कारण स्वीकृत बजट प्रावधान से व्यय न होना।
5.			2851-102-06 जिला उद्योग केन्द्र	4.00	4.00	100	वास्तविक देयों के आधार पर भुगतान के पश्चात बचत के कारण।
6.			4851-800-04 जनपद रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	50.00	50.00	100	वर्ष के अंत तक बजट प्रावधान की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी न होने के कारण।
7.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	2851-103-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजनायें	6,384.69	4,737.25	74	भारत सरकार द्वारा स्वीकृति कम होने के कारण।
8.			4851-103-04 वाराणसी एवं आगरा में बुनकर बाजार	1,500.00	1,350.00	90	साइट के लिए भूमि की अनुपलब्धता से वित्तीय स्वीकृति जारी न किये जाने के कारण।
9.			6860-190-08 यूपिका को कार्यशील पूँजी के लिए ऋण	1,000.00	1,000.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
10.			6860-190-09 उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की कार्यशील पूँजी के लिए ऋण	1,000.00	1,000.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
11.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-202-16 उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 का कार्यान्वयन	1,600.00	1,551.00	97	धनराशि जारी करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।
12.			2852-800-04 निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस-वे परियोजनायें	172.74	172.74	100	ई.पी.सी. सिस्टम के आगरा से लखनऊ इन्ड्री कन्ट्रोल एक्सप्रेस-वे (प्रीन फील्ड) परियोजना से सम्बन्धित धनराशि न होने के कारण।

13.		2852-800-06 न्यायालयों में वादों की पैरवी	60.00	55.71	93	सभी व्ययों के भुगतान होने के बाद हुई बचत के कारण।	
14.		2852-800-08 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं तथा सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की इकाईयों का विनिवेश व निजीकरण	655.00	636.50	97	सम्बन्धित विभागों से परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।	
15.		2885-800-03 एन.आर.आई. सेल का गठन	10.00	10.00	100	चालू वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण।	
16.		2852-800-19 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 का कार्यान्वयन	2,070.00	2,009.97	97	योजना के अंतर्गत नोडल एजेन्सी यू.पी.एफ.सी. तथा पिकप में प्रस्ताव न होने के कारण।	
17.		6860-190-07 आई.टी.आर. कम्पनी, बरेली विविध प्रकोर्ण व्यय हेतु ऋण	9.00	5.69	63	सभी व्ययों के भुगतान होने के बाद हुई बचत के कारण।	
18.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2406-112-04 लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क	59.80	59.80	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
19.		4406-112-03 लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क	90.20	45.50	50	कारण सूचित नहीं किये गये।	
20.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-109-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	20,778.08	14,221.29	68	भारत सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन के सापेक्ष अधिक बजट प्रावधान करने के कारण।
21.		2401-109-08 कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	3,290.13	2,237.51	68	कार्य योजना हेतु कम धनराशि के अनुमोदन, सेवा प्रदाता को भुगतान न होने तथा हार्डवेयर हेतु अग्रिम भुगतान के लिए संस्तुति आदेश विलम्ब से प्राप्त होने के कारण।	
22.		2401-111-05 फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	949.00	790.00	83	कार्य योजना हेतु विलम्ब से तथा कम धनराशि के अनुमोदन के कारण।	
23.		2402-102-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	6,734.27	4,774.51	71	भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण।	
24.		2402-102-04 विन्ध्य क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना	100.00	57.94	58	मांग न होने के कारण।	
25.		2402-102-11 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3,990.00	2,300.36	58	भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण।	
26.		4401-190-03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,000.00	1,000.00	100	परियोजना का अनुमोदन न होने के कारण।	
27.		4401-800-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	5,289.00	5,289.00	100	भारत सरकार से संस्तुति प्राप्त न होने के कारण।	
28.		4401-800-04 कृषि विपणन यार्ड का निर्माण / विकास	17,700.00	8,850.00	50	भारत सरकार द्वारा अनुदान की धनराशि अवमुक्त न किये जाने तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में वित्तीय स्थीकृति निर्गत न किये जाने के कारण।	

29.		4402-102-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	880.00	880.00	100	भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण।	
30.		4402-102-03 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	194.00	194.00	100	निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण।	
31.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	2501-101-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	20,000.00	13,390.00	67	कारण सूचित नहीं किये गये।
32.		2515-800-03 मण्डलीय विकास निगम, लखनऊ के छटनीशुदा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान	52.98	30.79	58	कारण सूचित नहीं किये गये।	
33.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2501-800-02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मुख्य अधिकारी	48,400.00	27,944.93	58	कारण सूचित नहीं किये गये।
34.		2515-102-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	500.00	500.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।	
35.		2702-800-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	459.91	274.10	60	पदों के स्थित रहने तथा भारत सरकार से केन्द्रांश की पूर्ण धनराशि प्राप्त न होने के कारण।	
36.		2515-800-03 ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं	7.50	7.49	100	कारण सूचित नहीं किये गये।	
37.		2515-001-03 विकास आयुक्त (मुख्यालय)	8.80	8.80	100	कारण सूचित नहीं किये गये।	
38.		4216-800-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	46,801.67	24,961.04	53	कारण सूचित नहीं किये गये।	
39.		4702-800-04 लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत बोरिंग गोदामों का निर्माण (जिला योजना)	48.00	24.00	50	समयाभाव तथा स्थानीय समस्याओं के कारण।	
40.		5054-337-02 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस. वाइ)	71,700.00	71,700.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।	
41.		5054-337-03 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (के 100 / रा०) के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	1,84,600.00	1,05,903.00	57	कारण सूचित नहीं किये गये।	
42.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2204-104-02 पंचायत सुवा क्रीड़ा और खेल अभियान	5,428.44	4,499.69	83	कारण सूचित नहीं किये गये।
43.		2235-200-03 बी.पी.एल. परिवार की महिलाओं को साड़ी	100.00	100.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।	
44.		2235-200-04 बी.पी.एल. परिवार के बृद्ध जन को कम्बल	100.00	100.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।	
45.		2515-101-02 निर्मल भारत अभियान	16,686.01	11,633.98	70	कारण सूचित नहीं किये गये।	
46.		2515-101-05 राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (के 75 / रा 25-के. +रा.)	2,600.00	1,589.71	61	कारण सूचित नहीं किये गये।	
47.		2515-101-06 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	55,685.00	33,956.52	61	कारण सूचित नहीं किये गये।	

48.		2515-800-11 पंचायती राज चुनाव हेतु व्यवस्था	7,600.00	4,215.07	55	वास्तविक व्यय के पश्चात बचत तथा मितव्ययिता के कारण	
49.		2575-192-03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	16,363.40	9,226.20	56	कारण सूचित नहीं किये गये।	
50.		2575-196-03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	13,090.72	7,380.96	56	कारण सूचित नहीं किये गये।	
51.		2575-197-03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	6545.36	3690.48	56	कारण सूचित नहीं किये गये।	
52.		2575-198-03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	45,817.52	25,833.36	56	कारण सूचित नहीं किये गये।	
53.		2575-800-03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	3,500.00	3,500.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।	
54.		4202-800-02 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	5,108.55	5,108.55	100	कारण सूचित नहीं किये गये।	
55.		4515-101-04 राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (के. 75 / रा. 25—के. +रा.)	2,600.00	2,402.67	92	कारण सूचित नहीं किये गये।	
56.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-104-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	39.66	39.66	100	योजना के अंतर्गत समतुल्य केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
57.		2403-106-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	75.00	75.00	100	योजना के अंतर्गत समतुल्य केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।	
58.		2403-106-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	1,144.87	890.07	78	समतुल्य केन्द्रांश तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।	
59.		2403-107-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	166.10	166.10	100	केन्द्रांश प्राप्त न होने, विलम्ब से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।	
60.		2403-001-03 निदेशालय	13.79	13.79	100	आवश्यकता न होने के कारण।	
61.		4403-101-07 पशु सेवा केन्द्र / "द" श्रेणी पशु औषधालय (जिला योजना)	10.00	10.00	100	वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।	
62.		4403-101-08 पशु चिकित्सालयों का निर्माण आर.आई.डी.एफ (जिला योजना)	301.00	301.00	100	वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।	
63.		4403-101-10 जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना	400.00	400.00	100	योजना के अंतर्गत भूमि उपलब्ध न होने के कारण।	
64.		4403-102-03 गाय एवं भैंस विकास डेरी काम्प्लेक्स की स्थापना	51.00	51.00	100	निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने में विलम्ब के कारण।	
65.		4403-106-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	200.00	200.00	100	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।	
66.		4403-107-02 राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	157.40	152.90	97	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।	
67.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुर्घटशाला विकास)	2404-102-02 दुर्घट विकास की राष्ट्रीय योजना	300.00	300.00	100	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।

68.		2404-191-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	200.00	100.00	50	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।	
69.		6404-190-04 जनपद कानपुर में मिल्क पाउडर प्लान्ट की स्थापना हेतु पी.सी.डी.एफ. को ऋण	500.00	500.00	100	स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।	
70.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-800-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	168.61	156.50	93	केन्द्र सरकार द्वारा विलम्ब से केन्द्रांश की स्वीकृति तथा केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष कम धनराशि अवमुक्त किये जाने के कारण।
71.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2070-003-07 प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक का गठन	57.75	31.24	54	पदों के रिक्त रहने तथा आवश्यकता न होने के कारण।
72.		4070-003-03 उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी	6,700.00	6,700.00	100	निर्माण कार्य में धन का उपयोग न होने के कारण।	
73.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	4408-101-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	4,886.04	2,759.01	56	कारण सूचित नहीं किये गये।
74.	22	खेल विभाग	2204-104-10 विशिष्ट खेलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार	6.00	6.00	100	स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
75.		2204-104-22 प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को, प्रतियोगिताओं का आयोजन करने एवं खेलकूद उपकरणों के क्रय हेतु अनावर्तन अनुदान	5.00	5.00	100	प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।	
76.		2204-104-29 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	5.00	5.00	100	प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।	
77.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-09 क्राइम ब्रान्च	1,031.67	1000.00	97	कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण।
78.		2055-114-03 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र	6,286.92	3,508.35	56	मांग कम होने, सेवानिवृत्ति, नियुक्ति न होने तथा क्रय के पश्चात बचत के कारण।	
79.		2235-200-07 हिंसक वन्य पशुओं द्वारा मारे/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मरेशियों के मालिकों को मुआवजों का भुगतान	10.00	10.00	100	आवश्यकता न होने के कारण।	
80.		2235-200-09 तेजाब हमलों, बलाकार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता	200.00	200.00	100	आवश्यकता न होने के कारण।	
81.		2235-200-10 पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में मृतक/घायलों के आश्रितों/पीड़ितों का आर्थिक सहायता	400.00	243.39	61	आवश्यकता न होने के कारण।	
82.		2055-800-04 भारत सरकार की ओर से रखा गया पुलिस दल (जिला पुलिस)	0.17	0.17	100	संकेतिक प्रावधान तथा व्यय में वृद्धि होने के कारण।	
83.		2235-200-06 रेल दुर्घटना में मृत घायलों के परिवारों को सहायता	0.01	0.01	100	लघु बचत के कारण।	

84.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेशन तथा अन्य व्यय)	2052-091-04 जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों के लिये आनुषंगिक व्यय	24.54	17.51	71	जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों द्वारा व्यय न किये जाने के कारण।
85.			3055-190-04 आपात कालीन अवधि में मीसा एंव डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों का उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए निगम को भुगतान	400.00	307.29	77	कारण सूचित नहीं किये गये।
86.			4250-800-03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों स्मारकों/स्तम्भों के निर्माण तथा जन्म शताब्दी आदि के लिए सहायक अनुदान	30.00	30.00	100	जनपदों से परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
87.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	2012-800-03 राज्यपाल के लिए कार का क्रय	10.00	10.00	100	वाहन क्रय न होने के कारण।
88.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-105-09 राजकीय मेडिकल कालेज, चंदौली	400.00	400.00	100	भूमि के चयन न होने के कारण।
89.			4210-105-63 पैरा मेडिकल कालेज, आजमगढ़	287.90	287.90	100	भूमि अधिग्रहीत न होने के कारण।
90.			6075-800-03 एस0जी0पी0जी0आई0 में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए रिवालिंग फण्ड	500.00	500.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
91.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-101-07 राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों में योगा एवं नेचुरोपैथी यूनिट्स की स्थापना	36.75	36.75	100	शासन द्वारा अनुमति प्राप्त न होने के कारण।
92.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	2210-102-06 होम्योपैथिक औषधि निर्माणाला / परीक्षणशाला	30.75	30.75	100	पदों का सृजन न होने के कारण।
93.			4210-800-03 राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेज, लखनऊ, राजकीय प० जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कालेज, कानपुर तथा राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के भवनों का निर्माण	100.00	92.99	93	संशोधित आगणन की ओपचारिकतायें पूर्ण न होने से वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
94.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2211-001-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	20.00	20.00	100	पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय के कारण।
95.			4210-800-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	3,137.00	3,137.00	100	महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण।
96.			4211-103-02 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1,02,000.00	1,02,000.00	100	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण।
97.	37	नगर विकास विभाग	2053-094-05 स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था	255.00	159.00	62	कारण सूचित नहीं किये गये।

98.		2070-800-04 उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड	130.00	86.06	66	वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण।
99.		2070-800-05 पश्चिम वधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति	11.00	8.24	75	आर्थिक मितव्ययिता के कारण।
100.		2215-106-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	7,770.00	7,770.00	100	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
101.		2215-107-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	47,485.00	46,265.40	97	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
102.		2217-191-03 अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (के. 80 / रा. 10-के.+रा.)	20,097.00	11,932.42	59	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
103.		2217-192-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	500.00	492.68	99	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
104.		2217-192-03 अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (के.80 / रा. 10-के.+रा.)	28,000.00	27,307.32	98	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
105.		2217-193-03 अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स	48,000.00	47,087.16	98	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
106.		2217-05-191-03 जे०ए०ए०य०आर०ए०म० की योजनाओं हेतु सहायता (केन्द्र 50 / राज्य 20)	73,800.00	60,721.13	82	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
107.		2217-05-191-04 नगरीय ठास अपशिष्ट प्रबन्धन	500.00	500.00	100	आवश्यकता न होने के कारण।
108.		2217-05-191-05 तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन	9,375.00	9,272.16	99	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
109.		2217-05-191-06 आर्मी एविएशन सेंटर, बरेली के निकट स्थित स्लाटर हाउस का आधुनिकीकरण	1,000.00	1,000.00	100	वित्तीय वर्ष के दौरान बजट का उपयोग न किये जाने के कारण।
110.		2217-05-192-03 जे०ए०ए०य०आर०ए०म० की योजनाओं हेतु सहायता (केन्द्र 50 / राज्य 20)	291.00	198.57	68	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
111.		2217-05-192-04 नगरीय ठास अपशिष्ट प्रबन्धन	4,500.00	4,467.22	99	भूमि उपलब्ध न होने के कारण।
112.		2217-05-800-07 नगरीय परिवहन निदेशालय	200.00	200.00	100	पदों के रिक्त रहने तथा आवश्यकता न होने के कारण।
113.		2217-80-800-03 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं के अन्तर्गत परामर्शी सेवाएं	200.00	200.00	100	आवश्यकता न होने के कारण।
114.		2217-80-800-04 परियोजना क्रियान्वयन इकाई (केन्द्र 100 / राज्य 0)	100.00	50.00	50	समस्त पदों पर नियुक्त न होने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण।

115.		2217-80-800-05 परियोजना क्रियान्वयन इकाई (केन्द्र 100 / राज्य 0)	100.00	57.00	57	समस्त पदों के पर नियुक्ति न होने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण।	
116.		2217-80-800-10 पशु वधशालाओं का आधुनिकीकरण	5,000.00	4,000.00	80	समस्त परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।	
117.		4217-800-02 राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर	1,000.00	1,000.00	100	प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण।	
118.	40	नियोजन विभाग	2575-800-03 बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	1,500.00	826.69	55	भारत सरकार द्वारा नयी परियोजना की स्वीकृति न मिलने के कारण।
119.		2575-800-04 बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	3,550.76	3,150.12	89	भारत सरकार द्वारा नयी परियोजना की स्वीकृति न मिलने के कारण।	
120.		2575-06-800-04 समीक्षा, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एकमुश्त व्यवस्था	40.00	26.47	66	आवश्यकता न होने के कारण।	
121.		2810-800-03 बायो इनर्जी मिशन सेल	10.15	5.84	58	कारण सूचित नहीं किये गये।	
122.		3451-092-07 राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था	50.00	47.15	94	कारण सूचित नहीं किये गये।	
123.		3454-001-06 जिला योजना की संरचना (जिला योजना समिति)	18.00	9.02	50	कारण सूचित नहीं किये गये।	
124.		3454-800-04 राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर	7,125.00	7,125.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।	
125.		4575-201-03 विद्यालय का भवन / विस्तार / बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था	5.00	5.00	100	राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा वैसिक शिक्षा योजना का प्रस्ताव न होने के कारण।	
126.		4575-207-03 भारत नेपाल सीमा पर स्थित जनपदों में बैरक, सीमा चौकी आदि के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	10.00	10.00	100	राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा योजना का प्रस्ताव न होने के कारण।	
127.		4575-800-04 होम्योपैथी चिकित्सालय केन्द्रों के भवन निर्माण / विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था	5.00	5.00	100	समिति द्वारा योजना का प्रस्ताव न होने के कारण।	
128.		4575-800-07 सामुदायिक भवनों का निर्माण	50.00	50.00	100	राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा योजना के किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव न होने के कारण।	
129.		4575-800-08 आयुर्वेदिक औषधालयों का भवन निर्माण	5.00	5.00	100	समिति द्वारा योजना के किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव न होने के कारण।	
130.		4575-800-11 मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	5.00	5.00	100	समिति द्वारा योजना के किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव न होने के कारण।	
131.	43	परिवहन विभाग	3055-800-97 बाह्य सहायतित योजनाएं	20.00	20.00	100	वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
132.			4059-051-04 अमेठी व फर्रुखाबाद में कार्यालय भवन का निर्माण	358.31	204.17	57	दूसरी किश्त की धनराशि अवमुक्त न होने के कारण।

133.	45	पर्यावरण विभाग	3435-001-05 पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना	5.80	5.80	100	प्रयोगशाला हेतु सृजित पदों की स्वीकृति न होने के कारण।
134.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-104-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	414.00	318.17	77	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
135.			2203-105-19 आईटी0 पालीटेक्निक	136.79	127.90	94	सृजित पदों पर भर्ती न होने के कारण।
136.			4202-104-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	7,090.00	4,161.10	59	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने कारण।
137.			4202-104-50 राजकीय पालीटेक्निक में विभिन्न निर्माण कार्य (जिला योजना)	500.00	304.35	61	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने कारण।
138.			4202-105-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	2,480.00	1,654.00	67	व्यय न होने तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।
139.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2070-001-06 रजिस्ट्रार/ निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	75.48	39.40	52	कतिपय पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर
140.			2070-800-03 उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड	35.00	32.13	92	कतिपय पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर
141.			2202-800-06 अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान	10.00	10.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
142.			2225-190-03 अल्पसंख्यकों का कल्याण	158.65	152.65	96	भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने, धनराशि की स्वीकृति न होने तथा छात्रों की संख्या कम होने के कारण।
143.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-102-97 वाद्य सहायतित योजनाएं	2,507.50	2,054.20	82	वास्तविक व्यय के आधार पर।
144.			2235-103-09 विवाहों से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार	45.00	28.83	64	लाभार्थी उपलब्ध न होने के कारण।
145.			2235-103-18 विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये एवं अन्तर्वासियों के पुनर्वासन के लिए राज्य सहायता	10.00	9.86	99	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण।
146.			2235-107-05 स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता	50.00	29.89	60	निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष शत-प्रतिशत व्यय होने के कारण।
147.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	2053-093-03 कलेक्टर स्थापना	15.00	13.65	91	वास्तविक व्यय के आधार पर तथा समायोजन के कारण।
148.			4059-051-48 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	3,500.00	3,500.00	100	वास्तविक व्यय के आधार पर।
149.	51	राजस्व विभाग (देवीय आपदा के सम्बन्ध में रहत)	2052-090-03 दैवी आपदा सम्बन्धी अधिष्ठान	52.40	31.60	60	वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण।
150.			2235-200-03 अन्य राज्य सरकारों को दैवी आपदा के समय सहायता	10.00	10.00	100	वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण।
151.			2245-800-06 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण	250.00	235.00	94	प्रबन्ध प्राधिकरण में कार्मिकों की नियुक्ति न होने तथा आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण।

152.		2245-800-07 जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण	300.00	246.77	82	डी.डी.एम.ए. का समुचित गठन न होने के कारण।	
153.		2245-800-08 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम (यूएन0डी0पी0 पोषित)	25.00	25.00	100	यू.एन.डी.पी. द्वारा कार्यक्रम का संचालन न होने के कारण।	
154.		4250-101-05 स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	500.00	500.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण।	
155.		4250-101-06 डिस्ट्रिवट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय	500.00	500.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण।	
156.		4250-101-07 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण	500.00	454.00	91	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण।	
157.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-101-03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार	66,527.84	35,402.66	53	वास्तविक व्यय के आधार पर तथा समायोजन के कारण।
158.		2059-053-03 राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण	30.00	30.00	100	अपरिपक्व प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।	
159.		2059-053-05 भू-अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण	5.00	5.00	100	वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।	
160.		2216-700-03 राजस्व परिषद के आवासीय भवनों का अनुरक्षण	6.00	6.00	100	अपरिपक्व प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।	
161.		2216-700-06 भू-अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के आवासीय भवनों का अनुरक्षण	5.00	5.00	100	वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।	
162.		2029-001-03 भूमि अध्यापि-सामान्य राजस्व व्यय	5.00	5.00	100	वास्तविक व्यय के आधार पर तथा समायोजन के कारण।	
163.		2029-101-03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार	10.50	10.06	96	वास्तविक व्यय के आधार पर।	
164.		4059-800-10 राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य	8.00	8.00	100	अपरिपक्व प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।	
165.		4059-60-051-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये	151.81	125.53	83	वास्तविक व्यय के आधार पर।	
166.		6003-106-03 व्याज वाले बन्ध पत्र	5.00	5.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण।	
167.		6003-106-04 बिना व्याज वाले बन्ध पत्र	5.00	5.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण।	
168.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-06 राज्य एकीकरण के परिषद् उपाध्यक्ष को देय सुविधायें	8.60	8.60	100	उपाध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण।
169.		2070-800-08 महान विभूतियों के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन	26.25	18.10	69	जनपदों में धनराशि का उपयोग न होने के कारण।	

170.			2070-800-09 जिला एकीकरण समितियों पर व्यय	15.00	9.03	60	जनपदों में धनराशि का उपयोग न होने के कारण।
171.			2070-800-13 अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नगद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)	15.00	8.50	57	आयुक्त द्वारा धनराशि का उपयोग न होने के कारण।
172.			2070-800-14 राज्य एकीकरण के परिषद् अध्यक्ष को सुविधाये	12.95	12.95	100	अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण।
173.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2059-800-05 लोक निर्माण विभाग में आवश्यकता से अधिक (सरप्लस) कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय के लिए	0.02	0.02	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
174.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	4575-800-12 बुन्देलखण्ड क्षेत्र	3,750.00	2,013.00	54	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने कारण।
175.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	5054-337-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये	45,000.00	39,804.95	88	कारण सूचित नहीं किये गये।
176.	60	वन विभाग	4406-02-110-05 सारनाथ में सिंचाई विभाग की भूमि का वन विभाग को हस्तान्तरण (सी०सी०एल० प्रणाली)	124.00	124.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
177.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2049-101-37 वित्तीय वर्ष 2014-15 में जारी बाजार ऋणों पर व्याज	47,400.00	24,098.80	51	अल्प ऋण और अवशेष व्याज के भुगतान के कारण।
178.			6003-110-03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान	10,00,000.00	8,26,804.60	83	व्यय न होने के कारण।
179.	67	विधान परिषद् सचिवालय	2011-102-03 विधान परिषद्	57.49	29.63	52	माननीय उपसभापति का पद रिक्त होने के कारण।
180.	68	विधान सभा सचिवालय	2011-101-03 विधान सभा	124.89	79.61	64	आर्थिक मितव्ययिता, आवश्यकता न होने और माननीय उपसभापति का पद रिक्त रहने के कारण।
181.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-053-04 प्राइमरी तथा जू० हाँ० स्कू०लों के भवनों के रख रखाव हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	500.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
182.			2202-102-31 नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा	500.03	494.83	99	कारण सूचित नहीं किये गये।
183.			2202-105-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये	1,256.76	642.26	51	कारण सूचित नहीं किये गये।
184.			2202-105-11 साक्षर भारत मिशन-2012	203.24	121.49	60	कारण सूचित नहीं किये गये।
185.			2202-800-03 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सामूहिक बीमा योजना के राज्य सरकार का अंशदान	72.14	36.54	51	कारण सूचित नहीं किये गये।
186.			4202-201-08 सर्व शिक्षा अभियान	17,187.98	9,743.27	57	कारण सूचित नहीं किये गये।
187.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-800-19 कन्या विद्या धन योजना	100.00	100.00	100	व्यय न होने के कारण।
188.			2202-800-24 12 वीं पास छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लैपटाप उपलब्ध कराया जाना	100.00	100.00	100	योजना के स्थगित होने के कारण।

189.		4202-202-27 नये सैनिक स्कूलों की स्थापना	600.00	600.00	100	व्यय न होने के कारण।	
190.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-102-26 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवर्स्तु, सिद्धार्थ नगर	5.00	5.00	100	आवश्यकता न होने के कारण।
191.			2202-102-32 इन्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हेतु अनुदान	20.00	17.00	85	विश्वविद्यालय से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
192.			2202-102-33 अन्तर्विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान	20.00	13.50	68	विश्वविद्यालय से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
193.			2202-102-49 सेप्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना	300.00	235.74	79	विश्वविद्यालय से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
194.			2202-104-13 उच्च शिक्षा गुणवत्ता संबर्धन प्रोत्साहन योजना	200.00	162.89	81	विश्वविद्यालय से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
195.			2202-800-06 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम	2,008.44	1,403.79	70	भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण।
196.			4202-203-06 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु भूमि क्रय/ भवन निर्माण	200.00	111.03	56	दो क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध न होने के कारण।
197.			4202-203-08 अरबी फारसी विश्वविद्यालय	2,000.00	1,056.05	53	कारण सूचित नहीं किये गये।
198.			4202-203-15 राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं हेतु व्यवस्था	100.01	100.01	100	टोकन धनराशि होने के कारण।
199.			4202-203-31 जनपद इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना	1,000.00	1,000.00	100	भूमि उपलब्ध न होने के कारण।
200.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-800-06 परीक्षा नियामक कार्यालय, इलाहाबाद हेतु टी०ई०टी० चयन, बी०टी०सी० परीक्षा चयन एवं बी०टी०सी० परीक्षा कराये जाने हेतु	2,027.76	2,027.76	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
201.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-103-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	860.00	770.01	90	केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त न होने तथा भारत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
202.	77	श्रम विभाग (रोजगार)	2230-800-04 समायोजन लेखा	20,766.31	20,766.31	100	स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
203.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-101-04 भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी	25.00	16.13	65	वास्तविक व्यय के आधार पर।
204.			2052-090-04 सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार	10.00	8.03	80	पुस्तकों को क्रय किये जाने की औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण।
205.			2052-090-05 संसदीय कार्य विभाग	11.70	6.59	56	वास्तविक व्यय के आधार पर।
206.			2251-090-04 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	21.10	11.55	55	वास्तविक व्यय, आर्थिक मितव्ययिता के आधार पर।

207.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225-277-08 पिछड़े वर्गों के लिये संचालित छात्रवृत्रि योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण	168.51	162.24	96	व्यय न होने के कारण।
208.			2225-800-04 पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह एवं बीमारी हेतु आर्थिक सहायता	100.00	100.00	100	वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजना के स्थगित होने के कारण।
209.			4225-277-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	2,425.92	2,425.92	100	केन्द्रांश प्राप्त न होने/प्रस्तावित योजना का आगामन न होने से स्वीकृति निर्गत न होने के कारण।
210.			4235-101-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	2,500.00	1,822.58	73	वास्तविक व्यय के कारण।
211.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2225-277-06 चिकित्सा, अभियंत्रण तथा टेक्नालोजी विषय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तक व उपकरण क्रय हेतु अनावर्ती सहायता	25.00	25.00	100	जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण।
212.			2225-277-10 अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	100.00	100.00	100	अपर्याप्त धनराशि के कारण।
213.			2225-277-20 सफाई कर्मी, चर्मकार जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के दशमपूर्व कक्षाओं (कक्षा 1 से 10 तक) अध्ययनसत्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	100.00	100.00	100	आवश्यकता न होने के कारण।
214.			2225-800-05 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना)	100.00	100.00	100	अपर्याप्त धनराशि के कारण।
215.			2225-80-102-03 डा अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउन्डेशन की स्थापना	14.80	14.80	100	कोई व्यय न होने के कारण।
216.			2235-800-03 कश्मीर से आये विरसापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता	27.81	14.72	53	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण।
217.			2235-200-03 आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य) के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पूर्व दशम (कक्षा 1 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति	1,664.00	1,511.97	91	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण।
218.			2235-200-05 सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के युवक/युवतियों के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण	108.00	85.00	79	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण।
219.			2235-800-03 आवासीय संस्थानों की पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था	23.67	13.10	55	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण।

220.			2235-102-03 वृद्धावस्था / किसान पेशन	11,651.23	11,389.78	98	आवश्यकतानुसार व्यय के कारण।
221.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2515-796-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	49.75	49.39	99	कारण सूचित नहीं किये गये।
222.			2515-796-02 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	467.02	300.66	64	कारण सूचित नहीं किये गये।
223.			4515-796-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	7.26	7.26	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
224.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2202-789-06 कन्या विद्या धन योजना	100.00	100.00	100	व्यय न होने के कारण।
225.			2230-789-03 आई०टी०आई० अलीगंज, लखनऊ में प्रावेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र	120.04	61.73	51	वास्तविक व्यय के आधार पर।
226.			2230-789-05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण	107.09	83.09	78	मांग न होने के कारण।
227.			2235-789-09 बी०पी०एल० परिवार की महिला हेतु साड़ी	100.00	100.00	100	विशेष कारण सूचित नहीं किये गये।
228.			2235-789-10 बी०पी०एल० परिवार के बृद्ध जन को कम्बल	100.00	100.00	100	विशेष कारण सूचित नहीं किये गये।
229.			2403-789-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	632.00	341.59	54	योजना के अंतर्गत केन्द्रांश की प्राप्ति न होने तथा वैक्सीन क्रय न किये जाने के कारण।
230.			2515-789-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	19,905.72	16,373.95	82	कारण सूचित नहीं किये गये।
231.			2852-789-04 निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस वे परियोजनायें	63.63	63.63	100	ई.पी.सी.मोड पर आगरा से लखनऊ कन्ट्रोल 'एक्सप्रेस-वे (प्रीन फील्ड) परियोजना' के कार्यान्वयित होने से धनराशि का आहरण न होने के कारण।
232.			4235-789-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	2,000.00	2,000.00	100	नये मानक निर्धारित न होने के कारण।
233.			4515-789-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	750.00	697.34	93	कारण सूचित नहीं किये गये।
234.			4810-789-04 सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना	1,336.39	999.04	75	सौर ऊर्जा परियोजना के संचार लाइन के निर्माण में बजट प्रावधान व्यय न होने के कारण।
235.			6215-789-03 नया सर्वेरा नगर विकास योजना	30,000.00	17,933.05	60	चालू वित्तीय वर्ष में निगम से प्रस्ताव न होने से स्वीकृति निर्गत न किये जाने के कारण।
236.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	2250-101-04 कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अनुदान	50.00	28.50	57	कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा हेतु योग्य पाये गये मात्र 43 तीर्थयात्रियों पर हुए व्यय के कारण।
237.	86	सूचना विभाग	2220-103-04 टेलीप्रिंटर योजना	16.71	16.24	97	टेलीप्रिंटर आपरेटरों की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त पदों पर नियुक्ति न

							होने, चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के प्रकरणों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्थुति प्राप्त न हो सकने के कारण।
238.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2040-800-10 प्रदेश के व्यापारियों को ऑन-लाइन सुविधायें एंव करापवंचन रोकने के लिए आईटी० विजन डाक्यूमेंट तैयार करने की योजना	20.65	20.65	100	कोई व्यय न होने कारण।
239.			2040-800-03 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान	10.00	9.40	94	वास्तविक व्यय के बाद बचत के कारण।
240.			4059-800-03 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान	20.00	20.00	100	कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
241.	92	संस्कृति विभाग	4202-106-04 तेरहते वित्त आयोग की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन	5,700.00	2,858.73	50	वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण।
242.			4202-106-09 महापुरुषों की मूर्तियों का निर्माण	50.00	50.00	100	वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण।
243.			4202-800-01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	600.00	500.00	83	वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण।
244.			4202-800-03 प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण	300.00	211.24	70	वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण।
245.			4202-800-07 राजापुर चित्रकूट स्थित तुलसी स्मारक प्रांगण में लोहिया प्रेक्षागृह की स्थापना	100.00	100.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
246.			4202-800-08 आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र भवन का निर्माण	50.00	50.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
247.			4202-800-09 जनपद इलाहाबाद में जनेश्वर मिश्र पुस्तकालय की स्थापना	500.00	500.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
248.			4202-800-33 उत्तर प्रदेश अभिलेखागार, लखनऊ, परिसर में आर्काइवल गैलरी निर्माण	200.00	200.00	100	कारण सूचित नहीं किये गये।
249.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2700-800-05 तेरहते वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	43,833.92	43,833.92	100	धनराशि के उपयोग न होने के कारण।
250.			2701-800-12 तेरहते वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	21,004.58	21,004.58	100	धनराशि के उपयोग न होने के कारण।
251.			2702-800-05 तेरहते वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन	3,361.50	3,361.50	100	धनराशि के उपयोग न होने के कारण।
252.			4701-08-051-10 नहरें	600.00	300.00	50	मुख्य अभियंता द्वारा बचत धनराशि के अभ्यर्पण किये जाने के कारण।
253.			4701-84-050-10 नहरें	3,200.00	2,359.77	74	मुख्य अभियंता द्वारा धनराशि के अभ्यर्पण तथा मांग न होने के कारण।
254.			4701-92-051-10 नहरें	5,675.63	4,042.10	71	परियोजनाओं के अनुमोदन न होने के कारण।
योग			<b>24,13,560.68</b> अथवा <b>24,135.61</b> करोड़	<b>18,90,091.59</b> अथवा <b>18,900.92</b> करोड़			

परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक) (सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.9 पृष्ठ )
-----------------	---

(₹ करोड़ में)						
क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान / विभाग का नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित धनराशि	अधिक अभ्यर्पित धनराशि
<b>राजस्व—दत्तमत</b>						
1.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,974.49	399.75	410.40	10.65
2.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	6,567.37	2,368.27	2,372.24	3.97
3.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	597.08	105.53	106.40	0.87
4.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,897.78	337.40	571.72	234.32
<b>निवल योग</b>			<b>12,036.72</b>	<b>3,210.95</b>	<b>3,460.76</b>	<b>249.81</b>
<b>पूंजीगत—दत्तमत</b>						
5.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	10,423.68	2,017.90	2,100.69	82.79
6.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	843.87	74.50	76.56	2.06
7.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	63.79	00	0.59	0.59
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	865.77	110.84	123.58	12.74
9.	37	नगर विकास विभाग	1,633.20	81.86	149.52	67.66
10.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	270.00	28.82	35.13	6.31
11.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	346.41	69.77	70.94	1.17
12.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	24.34	3.90	6.15	2.25
<b>निवल योग</b>			<b>14,471.06</b>	<b>2,387.59</b>	<b>2,563.16</b>	<b>175.57</b>
<b>महायोग</b>			<b>26,507.78</b>	<b>5,598.54</b>	<b>6,023.92</b>	<b>425.38</b>

<b>परिशिष्ट</b> <b>2.8</b>	अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया (सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.10 पृष्ठ )
-------------------------------	---

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत (₹ करोड़ में)	
			राजस्व	पूँजीगत
<b>I – अनुदान</b>				
1.	9	ऊर्जा विभाग	1.27	1,615.00
2.	25	गृह विभाग (कारागार)	24.61	0.35
3.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	672.14	93.86
4.	42	न्याय विभाग	330.65	153.89
5.	44	पर्यटन विभाग	7.40	12.01
6.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	-	640.44
7.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	-	116.75
8.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	3,829.53	97.63
9.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	47.11	1.73
10.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	169.83	4.93
11.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	-	664.63
योग			<b>5,082.54</b>	<b>3,401.22</b>
<b>II – विनियोग</b>				
12.	2	आवास विभाग	4.25	-
13.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	-	1.10
14.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.06	-
15.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	-
16.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	-
17.	42	न्याय विभाग	35.31	8.13
18.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.10	-
19.	60	वन विभाग	0.07	-
20.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	5.63	-
21.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	-	4.72
योग			<b>45.64</b>	<b>13.95</b>
महायोग			<b>5,128.18</b>	<b>3,415.17</b>
राजस्व और पूँजी का योग			<b>8,543.35</b>	

<b>परिशिष्ट</b> <b>2.9</b>	<b>अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण</b> <i>(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.10 पृष्ठ )</i>
-------------------------------	---

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत, जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया
<b>राजस्व –दत्तमत</b>					
1.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	25.26	5.15	20.11
2.	9	ऊर्जा विभाग	1.27	0.00	1.27
3.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	425.39	418.48	6.91
4.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	34.34	13.15	21.19
5.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	25.35	12.36	12.99
6.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग )	42.37	4.43	37.94
7.	25	गृह विभाग (कारागार)	24.61	0.00	24.61
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	994.09	930.93	63.16
9.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	40.19	35.84	4.35
10.	32	चिकित्सा विभाग (एलायैथी)	672.14	0.00	672.14
11.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	210.71	205.90	4.81
12.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	190.08	7.33	182.75
13.	37	नगर विकास विभाग	2,762.12	2,711.51	50.61
14.	42	न्याय विभाग	330.65	0.00	330.65
15.	44	पर्यटन विभाग	7.40	0.00	7.40
16.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	815.40	38.45	776.95
17.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	370.04	307.70	62.34
18.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	205.51	18.73	186.78
19.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,265.68	174.96	1,090.72
20.	60	वन विभाग	67.22	0.34	66.88
21.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	109.64	107.84	1.80
22.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	3,829.53	0.00	3,829.53
23.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	47.11	0.00	47.11
24.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि )	38.47	5.75	32.72
25.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	169.83	0.00	169.83
26.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	4,390.54	4,386.70	3.84
27.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	787.75	7.88	779.87
28.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	422.39	23.11	399.28
29.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	50.45	32.35	18.10
30.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	602.33	40.28	562.05
31.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	1,612.85	189.05	1,423.80
32.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	77.87	3.99	73.88

33.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2,509.94	279.65	2,230.29
34.	86	सूचना विभाग	96.00	9.30	86.70
35.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	745.95	682.20	63.75
36.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	739.30	706.16	33.14
		योग	<b>24,739.77</b>	<b>11,359.52</b>	<b>13,380.25</b>
<b>पूंजीगत-दर्रमत</b>					
37.	3	उद्योग विभाग (लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन)	1.80	0.72	1.08
38.	9	ऊर्जा विभाग	1,615.00	0.00	1,615.00
39.	21	खाद्य एंव रसद विभाग	2,192.04	2,181.79	10.25
40.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	93.86	0.00	93.86
41.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	4.20	3.10	1.10
42.	41	निर्वाचन विभाग	3.81	1.45	2.36
43.	42	न्याय विभाग	153.89	0.00	153.89
44.	44	पर्यटन विभाग	12.01	0.00	12.01
45.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	640.44	0.00	640.44
46.	49	महिला एंव बाल कल्याण विभाग	100.13	97.97	2.16
47.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	116.75	0.00	116.75
48.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एंव पेंशन)	97.63	0.00	97.63
49.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	1.73	0.00	1.73
50.	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	4.93	0.00	4.93
51.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	356.71	6.00	350.71
52.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	20.64	0.54	20.10
53.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,634.76	351.19	1,283.57
54.	92	संस्कृति विभाग	45.86	44.75	1.11
55.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	664.63	0.00	664.63
		योग	<b>7,760.82</b>	<b>2,687.51</b>	<b>5,073.31</b>
<b>राजस्व-भारित</b>					
56.	2	आवास विभाग	4.25	0.00	4.25
57.	42	न्याय विभाग	35.31	0.00	35.31
58.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	3,211.79	309.29	2,902.50
59.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एंव पेंशन)	5.63	0.00	5.63
		योग	<b>3,256.98</b>	<b>309.29</b>	<b>2,947.69</b>
<b>पूंजीगत-भारित</b>					
60.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1.10	0.00	1.10
61.	42	न्याय विभाग	8.13	0.00	8.13
62.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	9,971.46	8,268.05	1,703.41
63.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	4.72	0.00	4.72
		योग	<b>9,985.41</b>	<b>8,268.05</b>	<b>1,717.36</b>
		महायोग	<b>45,742.98</b>	<b>22,624.37</b>	<b>23,118.61</b>

<b>परिशिष्ट 2.10</b>	<b>व्यय का अतिरेक (संदर्भ: प्रस्तर 2.3.12 पृष्ठ )</b>
--------------------------	---

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	व्यय की प्रकृति	कुल बजट	मार्च में कुल व्यय (सकल)	प्रतिशतता
राजस्व				
2049	ब्याज अदायगियाँ	18,892.50	6,672.39	35.32
2202	सामान्य शिक्षा	39,396.03	4,633.16	11.76
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13,220.60	3,311.78	25.05
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,896.71	2,849.72	58.20
3054	सङ्क तथा सेतु	4,242.08	2,290.49	53.99
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	11,038.37	2,091.45	18.95
2055	पुलिस	11,305.35	1,635.24	14.46
2515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम	7,967.00	1,488.91	18.69
2211	परिवार कल्याण	4,186.56	1,397.40	33.38
2801	ऊर्जा	12,243.44	1,151.89	9.41
2217	शहरी विकास	4,439.03	1,140.02	25.68
2071	पेशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	26,124.51	1,057.72	4.05
2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	7,185.36	963.11	13.40
2425	सहकारिता	1,184.30	720.00	60.80
2401	फसल कृषि-कर्म	2,625.21	545.15	20.77
2701	मध्यम सिंचाई	4,170.05	360.34	8.64
2501	ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,091.35	346.48	31.75
2230	श्रम एवं रोजगार	1,517.05	329.26	21.70
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	434.04	320.86	73.92
2215	जलापूर्ति एवं सफाई	1,133.10	246.24	21.73
2029	भू-राजस्व	2,167.52	184.44	8.51
2059	लोक निर्माण कार्य	1,931.76	183.86	9.52
2014	न्याय प्रशासन	1,725.97	175.85	10.19
2070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	1,034.34	126.68	12.25
2402	मृदा एवं जल संरक्षण	787.71	112.89	14.33
2403	पशुपालन	746.27	101.92	13.66
2053	जिला प्रशासन	795.87	96.89	12.17

2702	लघु सिंचाई	1,583.73	81.96	5.18
2056	कारागार	523.80	75.12	14.34
2700	मुख्य सिंचाई	894.80	74.14	8.29
2406	वानिकी एवं वन्य जीवन	591.79	69.89	11.81
2030	स्टाम्प और पंजीकरण	232.13	68.70	29.60
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	175.00	68.15	38.94
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग	398.55	61.25	15.37
2015	चुनाव	271.50	55.89	20.59
2852	उद्योग (1)	736.93	55.34	7.51
2040	बिक्री एवं व्यापार, इत्यादि पर कर	581.17	46.30	7.97
2203	तकनीकी शिक्षा	293.71	44.14	15.03
2705	कमांड क्षेत्र विकास	300.01	40.75	13.58
2204	खेलकूद तथा युवा सेवायें	221.04	35.92	16.25
2810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	98.71	35.57	36.03
3055	सड़क परिवहन	167.77	34.94	20.83
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन	293.06	29.87	10.19
3454	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	200.59	27.12	13.52
2011	संसद् / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	135.84	26.15	19.25
2052	सचिवालय—सामान्य सेवायें	436.95	24.20	5.54
2405	मछली पालन	92.46	21.99	23.78
2216	आवास	69.31	19.88	28.68
2415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	158.14	16.37	10.35
2013	मंत्री परिषद	158.83	15.78	9.94
2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	142.10	15.17	10.68
2039	राज्य आबकारी	136.07	15.09	11.09
2408	खाद्य भण्डारण एवं भण्डागारण	160.55	14.99	9.34
2220	सूचना एवं प्रचार	170.06	13.33	7.84
2404	दुर्घटाला विकास	89.53	13.01	14.53
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	104.63	12.71	12.15
2205	कला तथा संस्कृति	65.36	11.60	17.75
3452	पर्यटन	39.37	9.74	24.74
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	909.23	8.35	0.92
2075	विविध सामान्य सेवायें	43.59	7.97	18.28
2051	लोक सेवा आयोग	52.86	6.62	12.52
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	32.70	6.45	19.72
3435	पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण	10.23	6.36	62.17
3451	सचिवालय—आर्थिक सेवायें	118.43	4.00	3.38

2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	27.40	3.55	12.96
3456	नागरिक आपूर्ति	40.41	3.37	8.34
2047	अन्य राजकोषीय सेवायें	26.35	2.01	7.63
2251	सचिवालय—सामाजिक सेवायें	90.02	1.49	1.66
2885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य व्यय	21.79	1.21	5.55
2250	अन्य सामाजिक सेवायें	11.02	1.01	9.17
2012	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति / राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	11.71	0.55	4.70
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	15.75	0.49	3.11
2407	बागान	5.39	0.47	8.72
3053	नागरिक उड्डयन	2.80	0.32	11.43
2041	वाहन कर	0.73	0.08	10.96
3453	विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	0.07	0.00	0.00
2506	भूमि सुधार	0.04	0.00	0.00
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	7,698.94	0.00	0.00
2245	प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत	692.19	-514.06	-74.27
	योग	<b>2,05,817.22</b>	<b>35,209.44</b>	

### पूँजीगत

4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	14,350.43	6,607.95	46.05
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	18,251.78	5,926.87	32.47
4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2,000.00	2,000.00	100
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	6,077.48	1,705.62	28.06
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	3,537.43	1,251.40	35.38
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	2,123.91	1,073.48	50.54
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	2,492.24	631.85	25.35
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,195.94	600.67	50.23
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	2,184.66	577.67	26.44
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	942.75	530.38	56.26
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय	8,218.61	529.02	6.44
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	1,286.51	428.29	33.29
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	738.33	350.80	47.51
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,215.50	341.60	28.1
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	635.48	338.23	53.22
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	4,515.00	302.21	6.69
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	853.77	290.56	34.03
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	764.03	285.99	37.43
5053	नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	282.00	268.12	95.08
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	353.79	191.76	54.2

4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	542.43	174.21	32.12
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	163.85	138.14	84.31
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	373.78	96.34	25.77
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	160.07	70.86	44.27
4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	865.60	54.57	6.3
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	147.60	47.74	32.34
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	94.85	29.67	31.28
4403	पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय	98.58	24.06	24.41
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय	308.68	17.92	5.81
4810	ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूँजीगत परिव्यय	53.36	11.19	20.97
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	10.00	10.00	100
4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	25.61	9.60	37.49
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	7.06	6.23	88.24
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	8.34	6.13	73.5
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5.73	0.68	11.87
4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	10.74	-	0
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	26.71	-	0
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	1,300.00	-	0
योग		<b>76,222.63</b>	<b>24,929.81</b>	

<b>परिशिष्ट 2.11</b>	<b>समीक्षित अनुदान का सार</b> (सन्दर्भः प्रस्तर 2.4; पृष्ठ )
--------------------------	---

(₹ हजार में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचतं	लेखाशीर्ष
अनुदान संख्या 21 – खाद्य एंव रसद विभाग					
राजस्व—दत्तमत					
मूल	22,94,987				
अनुपूरक	1,40,676	24,35,663	21,82,195	2,53,468	मुख्यशीर्ष 2075, 2408, 3456, 3475
राजस्व—भारित					
मूल	350				
अनुपूरक	00	350	276	74	मुख्यशीर्ष 2075, 2408, 3456, 3475
पूंजीगत—दत्तमत					
मूल	7,77,65,084				
अनुपूरक	00	7,77,65,084	5,58,44,664	2,19,20,420	मुख्यशीर्ष 4059, 4408
पूंजीगत—भारित					
मूल	46,06,082				
अनुपूरक	00	46,06,082	41,90,037	4,16,045	मुख्यशीर्ष 4059, 4408
योग	<b>8,48,07,179</b>	<b>8,48,07,179</b>	<b>6,22,17,172</b>	<b>2,25,90,007</b>	

(स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2014–15)

<b>परिशिष्ट 2.12</b>	<b>पेंशन की असंवितरित धनराशि जो शासकीय लेखे में जमा नहीं की गयी (संदर्भ: प्रस्तर 2.5.1; पृष्ठ 59)</b>
--------------------------	---

क्र0 सं0	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	अंसवितरित धनराशि (₹)	क्र0 सं0	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	अंसवितरित धनराशि (₹)
1.	बलिया	26	4,30,928.00	27.	बहराइच	25	7,69,782.00
2.	बलरामपुर	16	2,24,941.00	28.	कन्नौज	06	39,814.00
3.	इटावा	07	99,848.00	29.	ओरैया	06	77,849.00
4.	सीतापुर	06	44,473.00	30.	फरुखाबाद	06	97,698.00
5.	झांसी	10	21,762.00	31.	जालौन	01	3,242.00
6.	आगरा	08	1,45,878.00	32.	अलीगढ़	20	2,42,367.00
7.	कासगंज	05	39,854.00	33.	आजमगढ़	12	1,23,577.00
8.	पीलीभीत	17	2,65,078.00	34.	गाँडा	24	1,93,923.00
9.	रायबरेली	12	1,95,318.00	35.	हरदोई	46	16,42,236.00
10.	बुलन्दशहर	11	1,73,059.00	36.	प्रतापगढ़	10	4,53,393.00
11.	उन्नाव	18	3,74,753.00	37.	सिविल लाइन्स, इलाहाबाद	10	1,49,486.00
12.	बस्ती	15	3,13,063.00	38.	मिर्जापुर	17	3,53,329.00
13.	रामपुर	02	48,073.00	39.	गाजीपुर	27	8,19,526.00
14.	कौशाम्बी	08	1,24,417.00	40.	लखीमपुर खीरी	13	4,19,109.00
15.	सोनभद्र	05	71,129.00	41.	देवरिया	10	1,72,713.00
16.	छत्रपति शाहजी महाराज नगर	08	98,063.00	42.	चन्दौली	17	3,67,487.00
17.	गोरखपुर	12	2,22,488.00	43.	मुरादाबाद	09	81,500.00
18.	भदोही	17	1,70,746.00	44.	बदायूँ	06	48,902.00
19.	गाजियाबाद	12	3,95,890.00	45.	महाराजगंज	03	56,718.00
20.	शाहजहाँपुर	12	2,34,311.00	46.	वाराणसी	18	4,88,265.00
21.	कुशीनगर	03	51,385.00	47.	अम्बेडकर नगर	01	1,913.00
22.	संत कबीर नगर	02	5,697.00	48.	बांदा	02	16,128.00
23.	जे.पी. नगर	02	54,725.00	49.	फैजाबाद	03	25,562.00
24.	मेरठ	07	1,68,377.00	50.	श्रावस्ती	02	8,962.00
25.	जौनपुर	26	6,32,885.00	51.	फतेहपुर	10	71,297.00
26.	मथुरा	32	6,00,648.00	52.	कानपुर नगर	09	1,32,812.00
योग						<b>612</b>	<b>1,20,65,379.00</b> अथवा <b>120.65 लाख</b>

<b>परिशिष्ट 2.13</b>	<b>नई पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रान का आवंटन न किया जाना (संदर्भ: प्रस्तार 2.5.3; पृष्ठ)</b>
--------------------------	--

क्र० सं०	कोषागार का नाम	कर्मचारियों की संख्या	आवंटित प्रान	प्रान आवंटन हेतु प्रतीक्षित
1.	बलिया	1,057	1,040	17
2.	मऊ	3,160	3,129	31
3.	बलरामपुर	2,675	2,591	84
4.	ओरैया	1,473	1,408	65
5.	सीतापुर	3,604	2,743	861
6.	जालौन	3,031	2,731	300
7.	आजमगढ़	7,844	7,464	380
8.	बुलन्दशहर	3,100	2,243	857
9.	सिविल लाइन्स, इलाहाबाद	2,611	2,328	283
10.	इलाहाबाद (कलेक्ट्रेट)	7,919	4,838	3,081
11.	लखीमपुर खीरी	4,015	3,800	215
12.	फिरोजाबाद	2,375	2,170	205
13.	देवरिया	4,193	3,295	898
14.	गोरखपुर	6,350	4,581	1,769
15.	मुरादाबाद	5,153	5,082	71
16.	गाजियाबाद	4,658	3,786	872
17.	महाराजगंज	2,724	2,654	70
18.	वाराणसी	4,186	4,045	141
19.	अम्बेडकर नगर	3,358	690	2,668
20.	बागपत	1,337	1,313	24
21.	संत कबीर नगर	2,784	2,759	25
22.	मेरठ	4,639	3,433	1,206
योग			<b>68,123</b>	<b>14,123</b>

i f' f' k"V 3-1	foHkkxh; okf.kfT; d , o  v) l okf.kfT; d mi Øekø ds ys[kkvks dk vfrehdj .k vkj fuos' kks dk fooj .k (संदर्भः प्रस्तर 3.3; पृष्ठ )
--------------------	---

ØO 10	mi Øe dk uke	ys[kkvks ds vfrehdj .k dk o"kl	foxr vfre ys[ks ds vu  kj fuos' k (₹ dj kM+ e)
fl pkbz foHkkx			
1.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2014-15	0.27
2.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी	2014-15	0.44
3.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2014-15	2.38
4.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2014-15	0.49
5.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2014-15	1.54
6.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	2014-15	1.78
lk' k  kyu foHkkx			
7.	राजकीय पशुधन सह कृषि फार्म	2010-11	24.85
[kk   , o  j   n foHkkx			
8.	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2011-12	2,617.93
LokLF; foHkkx			
9.	स्टेट फार्मसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1990-91	उपलब्ध नहीं ; kx
		<b>2,649.68</b>	

lkfj f' k"V 3-2	nfofu; kx] xcu vklfn ds foHkkxokj @o"kbkj i adj . kks dk fooj . k Wftues vfre dk; bkgh ekpl 2015 rd yfEcr Fkh½ (संदर्भः प्रस्तर 3.4; पुष्ट)
--------------------	---

(dk" Bd e vkdM र्यक [k e i nf' k] g)

०० Lk0	foHkkx dk uke	5 o"kl rd	5 l s 10 o"kl rd	10 l s 15 o"kl rd	15 l s 20 o"kl rd	20 l s 25 o"kl rd	25 o"kl l s vf/kd	i adj . kks dk ; kx
1.	कृषि विभाग	-	-	4 (9.09)	-	-	-	4 (9.09)
2.	पशुपालन विभाग	-	-	1 (3.20)	3 (0.79)	6 (0.72)	6 (1.84)	16 (6.55)
3.	सहकारिता विभाग	-	-	-	2(1.45)	-	-	2(1.45)
4.	शिक्षा विभाग	1 (1.60)	4(111.34)	-	1 (5.00)	-	-	6 (117.94)
5.	मत्स्य विभाग	1 (1.01)	-	-	-	2 (1.60)	-	3 (2.61)
6.	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	1 (3.06)	-	4 (16.42)	4 (9.30)	9 (28.78)
7.	सिंचार्इ विभाग	5 (110.94)	8 (0.24)	4 (0.35)	24 (9.50)	-	-	41 (121.03)
8.	न्याय विभाग	-	1 (4.44)	-	-	-	-	1 (4.44)
9.	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3 (331.78)	3 (331.78)
10.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	1 (3.87)	3 (2.45)	7 (9.57)	11 (15.89)
11.	पुलिस विभाग	1 (0.00)	1(4.00)	-	-	1 (1.21)	3 (2.89)	6 (8.10)
12.	पी.ए.सी.	-	-	-	1 (47.48)-	-	1 (0.51)	2 (47.99)
13.	लोक निर्माण विभाग	3 (50.52)	6 (96.87)	1 (0.98)	-	-	-	10 (148.37)
14.	राजस्व विभाग	1 (6.68)	-	-	1 (1.72)	-	3 (6.09)	5(14.49)
15.	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	2(0.63)	1(1.02)	9 (2.19)	12 (3.84)
16.	समाज कल्याण विभाग	1 (4.44)	-	-	1 (0.25)	-	2 (0.70)	4 (5.39)
17.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1 (11.59)	-	-	-	1 (11.59)
18.	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	-	1 (1.01)	1 (1.01)
19.	उद्यान विभाग	-	1 (3.59)	-	-	-	-	1 (3.59)
20.	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	1 (0.67)	1 (0.67)
; kx		13 (175.19)	21 (220.48)	12 (28.27)	36 (70.69)	17 (23.42)	40 (366.55)	139 (884.60)

i f j f' k"V 3-3	pkj h] nfofu; kx] भासकीय   kefxl kः dh gkfu , oI xcu ds dkj . k j kT;   j dkj dks gbl {kfr ds i idj . kk dk foHkkxokj @J s khokj fooj . k (संदर्भः प्रस्तर 3.4; पृष्ठ )
---------------------	--

₹ yk[k e]

foHkkx dk uke	pkj h ds i idj . k	nfofu; kx ds i idj . k	gkfu ds i idj . k	xcu ds i idj . k	; kx
	i idj . k /kuj kf' k dh   a[; k	i idj . k /kuj kf' k dh   a[; k	i idj . k /kuj kf' k dh   a[; k	i idj . k /kuj kf' k dh   a[; k	i idj . k /kuj kf' k dh   a[; k
कृषि विभाग	1 1.47	1 5.45	2 2.17	- -	4 9.09
पशुपालन विभाग	11 1.78	- -	3 1.55	2 3.22	16 6.55
सहकारिता विभाग	1 1.28	- -	- -	1 0.17	2 1.45
शिक्षा विभाग	2 6.60	1 6.19	- -	3 105.15	6 117.94
मत्स्य विभाग	- -	- -	1 1.23	2 1.38	3 2.61
खाद्य एवं रसद विभाग	- -	- -	4 10.15	5 18.63	9 28.78
सिंचाई विभाग	33 15.84	3 29.72	3 5.28	2 70.19	41 121.03
न्याय विभाग	- -	- -	- -	1 4.44	1 4.44
भूमि अध्याप्ति विभाग	- -	2 5.78	- -	1 326.00	3 331.78
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8 11.91	- -	- -	3 3.98	11 15.89
पुलिस विभाग	- -	- -	2 4.01	4 4.09	6 8.10
पी.ए.सी.	- -	- -	- -	2 47.99	2 47.99
लोक निर्माण विभाग	3 1.63	- -	7 146.74	- -	10 148.37
राजस्व विभाग	- -	- -	- -	5 14.49	5 14.49
ग्राम्य विकास विभाग	5 1.38	- -	1 0.14	6 2.32	12 3.84
समाज कल्याण विभाग	- -	- -	- -	4 5.39	4 5.39
प्राविधिक शिक्षा विभाग	- -	1 11.59	- -	- -	1 11.59
बाट एवं माप विभाग	1 1.01	- -	- -	- -	1 1.01
उद्यान विभाग	- -	- -	- -	1 3.59	1 3.59
वित्त विभाग	- -	- -	- -	1 0.67	1 0.67
; kx	65 42.90	8 58.73	23 171.27	43 611.70	139 884.60

i f' k' V 3-4	0k"kl 2014&15 ei foHkkxokj fulrkfj r@ vi yf[kr fd, x, i dj . kks dk foLr`r fooj . k ( संदर्भः प्रस्तर 3.4; पृष्ठ )
------------------	--

Ques No	कार्यालय का नाम	कार्यालय की स्थिति	कार्यालय का वर्णन	कार्यालय की अवधि	कार्यालय का विवरण	कार्यालय का विवरण
1.	मत्स्य विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	कार्यालय सहायक निदेशक, मत्स्य, झांसी की वाहन संख्या यू.टी.पी.-7398 की दुर्घटना से हानि।	एक	0.47	
2.	लोक निर्माण विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी.डी. मैनपुरी के कैश चेस्ट में धनराशि का कम पाया जाना।	एक	2.94	
3.	लोक निर्माण विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी.डी. मैनपुरी में श्री ए.सी. पाण्डे, अवर अभियन्ता के नाम फर्जी अस्थायी अग्रदाय।	एक	3.22	
Total Amount						6.63

lkfj f' k"V 3-5	Yk?kj ' kh"kl '800&vU; i kfjr; kj' ds vrxi;r i lrfkdr eq[; ' kh"kbkj (संदर्भः प्रस्तर 3.5; पुष्ट)
--------------------	--

₹ करोड़ में)

eq[; ' kh"kl	eq[; ' kh"kl dk fooj .k	dly i kfjr	Yk?kj ' kh"kl '800& vU; i kfjr; kj' ds vrxi;r i kfjr; kj	lkfr' krrk
1452	पर्यटन	0.99	1.62	163.64(*)
0801	ऊर्जा	967.87	967.87	100
0217	शहरी विकास	85.48	85.48	100
0023	होटल प्राप्ति कर	43.29	43.29	100
0810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	6.60	6.60	100
0506	भूमि सुधार	5.94	5.94	100
1456	नागरिक आपूर्ति	3.44	3.44	100
0852	उद्योग	1.74	1.74	100
0575	अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.30	0.30	100
0415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	0.17	0.17	100
0875	अन्य उद्योग	0.10	0.10	100
0047	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.06	0.06	100
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	209.71	208.84	99.59
0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	58.66	58.16	99.15
0075	विविध सामान्य सेवाएं	6,400.41	6,297.93	98.40
0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	415.06	397.08	95.67
1055	सड़क परिवहन	8.15	7.59	93.13
0071	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के संबंध में अंशदान	53.17	49.37	92.85
0029	भू—राजस्व	527.23	482.04	91.43
1053	नागरिक उड़डयन	0.18	0.16	88.89
0230	श्रम तथा रोजगार	66.75	57.80	86.59
0059	लोक निर्माण	82.95	69.51	83.80
1054	सड़क तथा सेतु	587.41	490.80	83.55
0220	सूचना तथा प्रचार	0.12	0.10	83.33
0211	परिवार कल्याण	0.30	0.24	80.00
0403	पशुपालन	38.76	30.98	79.93
1601	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	32,691.48	23,100.21	70.66
0056	कारागार	5.07	3.35	66.07
0055	पुलिस	254.29	132.73	52.20
0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	281.89	144.34	51.20
0700	मुख्य सिंचाई	5.08	2.56	50.39

(\*) यह लघुशोषण 900—घटाएं वापसियाँ के अंतर्गत ₹ 0.84 करोड़ की वापसियों के कारण है।

l kfj f' k"V 3-6	Yk?kq ' kh"kl '800&vU; 0; ; , ds vr xl i l rkfdr eq[; ' kh"kbkj 0; ; dk fooj .k (संदर्भः प्रस्तर 3.5; पृष्ठ)
---------------------	--

₹ करोड़ में)

eq[; ' kh"kl	eq[; ' kh"kl dk fooj .k	cl y 0; ;	Yk?kq ' kh"kl '800&vU; 0; ; , ds vr xl 0; ;	lkfr'krkk
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	122.31	183.92	150.37(क)
2245	प्राकृतिक आपदा के संबंध में राहत	487.10	659.89	135.47(*)
2801	ऊर्जा	12,242.44	12,242.44	100
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	507.60	507.60	100
5053	नागरिक उड़डयन पर पूंजीगत परिव्यय	278.42	278.42	100
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	275.76	275.76	100
2705	कमांड क्षेत्र विकास	164.88	164.88	100
4859	दूरसंचार एवं इलेक्ट्रानिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	25.41	25.41	100
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	10.00	10.00	100
4853	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	6.23	6.23	100
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.03	5.03	100
2407	बागान	4.75	4.75	100
2885	उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	1.54	1.54	100
2041	वाहनों पर कर	0.61	0.61	100
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	430.07	379.62	88.27
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	1,081.99	885.94	81.88
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	601.46	459.80	76.45
2425	सहकारिता	1,128.53	853.29	75.61
2405	मत्स्य पालन	72.62	53.67	73.91
4217	नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय	871.48	475.15	54.52
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4,996.26	2,672.65	53.49
3452	पर्यटन	31.97	16.77	52.46
2211	परिवार कल्याण	3,936.82	2,006.48	50.97

(क) यह पूंजीगत प्राप्तियों (₹ 475.52 करोड़) के कारण है जिसे इस शीर्ष के अंतर्गत ऋणात्मक व्यय के रूप में लिया गया है।

(\*) यह लघु शीर्ष 901-घटाएं वापसियां के अन्तर्गत ₹ 651.23 करोड़ की वापसियों के कारण है।

i fj f' k"V 4	' kCnkoyh ¼vfrfj Dr vkJdM½
------------------	----------------------------

### x. $\text{kuk dk vk/kkj}$

in	x. $\text{kuk dk vk/kkj}$
प्राचल की उत्स्लावनता	प्राचल की वृद्धि/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (एक्सर) की उत्स्लावनता अन्य प्राचल (वाई) के संदर्भ में	प्राचल (एक्सर) की वृद्धि दर/प्राचल (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि}/\text{विगत वर्ष की धनराशि}) - 1] \times 100$
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान / [(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] $\times 100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि – आकलित ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टाक $\times$ ब्याज विस्तार
बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	प्राप्ति ब्याज $[(\text{प्रारम्भिक अवशेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतिम अवशेष}) / 2] \times 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + शुद्ध ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी. सी. आर.)	राजस्व प्राप्तियां – लेखाशीर्ष 2048 – ऋण की कमी अथवा परिहार हेतु विनियोग के अंतर्गत व्यय को छोड़कर समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेतर व्यय

i n	0; k[ ; k
उत्पादनता अनुपात	उत्पादनता अनुपात राजकोषीय चर की, आधार चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलापन की मात्रा को इंगित करता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2010–11 के लिए राजस्व उत्पादनता का मान 0.7 का अर्थ है कि जी.एस.डी.पी. की एक प्रतिशत की बढ़त होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.7 प्रतिशत की बढ़त होगी।
कोर पब्लिक गुड्स एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी सामग्रियाँ जिनका उपभोग सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति करता है एवं किसी व्यक्ति द्वारा उस सामग्री के प्रयोग से दूसरे व्यक्ति को उस सामग्री के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे कानून एवं व्यवस्था का आरोहण, हमारे अधिकारों की संरक्षा एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय सामग्रियां तथा सड़क अवसंरचना इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी सामग्रियाँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मुफ्त या सहायतित दरों पर इसलिए उपलब्ध कराये जाते हैं, क्योंकि लोगों अथवा संस्थाओं को उन वस्तुओं की आवश्यकता है तथा जिसके भुगतान के लिए उनके पास न ही क्षमता है और न ही इच्छाशक्ति। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र उन वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देती है। उदाहरणार्थ गरीबों को पोषण प्रदान करने हेतु सहायतित या मुफ्त भोजन को उपलब्ध कराना, मृत्यु दर को घटाने एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि।
विकास व्यय	व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यों पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूँजीगत परिव्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं से विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर व्यय है।
ऋण एवं संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को परिभाषित करता है एवं संबंधित के ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थिर होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटा के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती है तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी।

उधार निधियों की निवल उपलब्धता	उधार निधियों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अंतर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरुद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अंतर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से आधिक किसी भी व्यय को विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं।
राज्य क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य सरकार द्वारा जिसमें कोई संगठन/संस्था, अशासकीय संगठनों को सम्मिलित कर राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, राज्य क्रियान्वयन अभिकरण होते हैं। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इत्यादि।
आकस्मिक देयताएँ	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
सिंकिंग फण्ड (शोधन निधि)	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।
प्रत्याभूति विमोचन निधि	राज्य के समेकित निधि पर ऋणी जिसके लिए प्रत्याभूति विस्तारित की गयी, ऋणी द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिक प्रत्याभूति देयताएँ होती हैं। प्रत्याभूति विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बकाया प्रत्याभूतियों के प्राप्त न हुए एवं वर्तमान वर्ष में वृद्धिमान प्रत्याभूतियों के प्राप्त न होने वाली धनराशि की स्थिति में उसके कम से कम पांचवें हिस्से के योगदान निधि में होना चाहिए।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा नियमित प्राप्त ऋणों को आन्तरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकल ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों पर, रिपोर्ट की जाँच करें एवं यह समिति जिसकी जाँच करना आवश्यक समझें।

## i Fkek{kj h

i Fkek{kj h	i ll foLrkj
ए सी बिल	संक्षिप्त आकर्षिक बिल
ए ई	कुल व्यय
बी ई	बजट अनुमान
सी ए जी	भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
सी ई	पूँजीगत व्यय
डी सी सी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकर्षिक बिल
डी सी आर एफ	ऋण संकलन एवं राहत सुविधा
डी ई	विकास व्यय
एफ सी पी	राजकोषीय सुधार पथ
एफ आर बी एम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन
जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
आई पी	ब्याज भुगतान
एम टी एफ आर पी एस	मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति विवरण
एन पी आर ई	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
ओ एण्ड एम	संचालन एवं रख—रखाव
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी आर आई	पंचायती राज संस्थायें
आर ई	राजस्व व्यय
आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
एस एण्ड डब्ल्यू	वेतन एवं मजदूरी
एस ए आर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस एस ई	सामाजिक सेवा व्यय
टी ई	कुल व्यय
टी एफ सी	तेरहवां वित्त आयोग
यू सी	उपभोग प्रमाण—पत्र
यू एल बी	नगरीय स्वायत्त निकाय